खण्ड-199, अंक-1
बुधवार, 2 आश्विन, शक संवत् 1880
(24 सितम्बर, 1958 ई0)

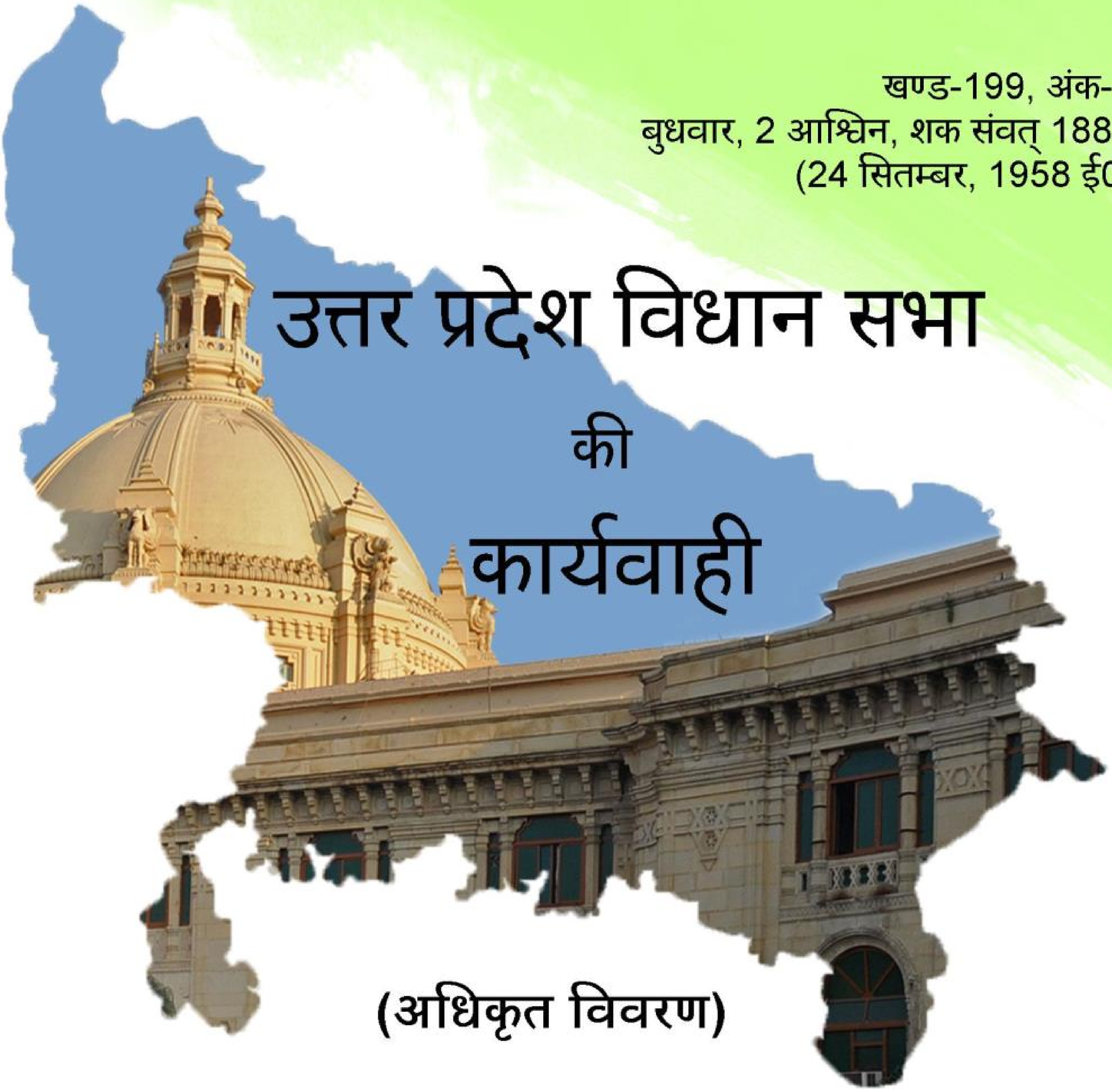

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 199 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

RA
2073
150320

विषय-सूची

बुधवार, २४ सितम्बर, १९५८

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–४
प्रश्नोत्तर	४–१३
सदस्यों की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना	१३
ऐडीशनल सेशन्स जज, सीतापुर, द्वारा दर्शक दीर्घा रजिस्टर की मांग के संबंध में विशेषाधिकार समिति की सिफारिश (स्वीकृत) ..	१३
सदन की आगामी बैठक के संबंध में जानकारी	१३
श्री अध्यक्ष द्वारा विभिन्न दलों के सहयोग की अपील	१४–१७
२६ सितम्बर, १९५८ को सरकारी कार्य करने हेतु संकल्प (स्वीकृत) ..	१७
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५८ (विचारोपरान्त पारित)	१७–८९
उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८ (मेज पर रखा गया)	९०
परगना दनकौर, तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर, के ग्राम मकनपुर बेला आदि के सामने पंजाब सरकार द्वारा जमुना पर बांध बनवाने के संबंध में विवाद (समाप्त)	९०–९५
नत्थियां	९६–१२३

बृहस्पतिवार, २५ सितम्बर, १९५८

उपस्थित सदस्य	१२५–१२८
प्रश्नोत्तर	१२८–१४१
सदस्यों की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना	१४१
उत्तर प्रदेश राज्य पथ-परिवहन सेवा (विकास) नियमावली, १९५८ (मेज पर रखी गयी)	१४२
पंचायत राज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये) ..	१४२
उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८ (प्रस्ताव पर कि विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक पर विचार किया जाय तथा संशोधन पर कि विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, विवाद—जारी) ..	१४२–१८४
नत्थियां	१८५–१८८

शुक्रवार, २६ सितम्बर, १९५८

उपस्थित सदस्य	१८९–१९१
प्रश्नोत्तर	१९२–२०१
२८ अगस्त, १९५८ के प्रश्न ४१ से संबंधित एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	२०१–२०२

विषय	पृष्ठसंख्या
सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में सूचना	२०२
उपाध्यक्ष के संबंध में जानकारी	२०२
श्री अवधेशप्रताप सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गयी)	२०२–२०४
धारा १०७/११७ के अन्तर्गत दंडित व्यक्तियों के बन्दूकों आदि के लाइसेंस रद्द न करने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	२०४
सदन से सदस्यों को हटाते समय पुलिस द्वारा अभिकथित ज्यादती की जांच के संबंध में सूचना (जारी)	२०४–२०५
विधान सभा के लिये अलग से पुलिस फोर्स रखने के प्रश्न पर विचार करने का सुझाव	२०६–२०७
सदन से सदस्यों को हटाते समय पुलिस द्वारा अभिकथित ज्यादती की जांच के संबंध में सूचना	२०७–२०८
द्वितीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	२०८–२०९
सोन नदी की बाढ़ से संबंधित २२ सितम्बर, १९५८ के कार्य-स्थगन प्रस्ताव के विषय में सूचना	२०९
उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८ (विचारोपरान्त पारित)	२०९–२८३
नत्थियां	२८४

सोमवार, १ दिसम्बर, १९५८

उपस्थित सदस्य	२८५–२८९
प्रश्नोत्तर	२८९–३१२
'स्वतंत्र भारत' के विरुद्ध प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करने से पहले छापने पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (निर्णय स्थगित)	३१२–३१३
८ सितम्बर, की घटना के संबंध में पुलिस अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय गृह मंत्री को दी गयी रिपोर्ट के विषय पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	३१३–३१५
हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस के संबंध में चार कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (निर्णय स्थगित)	३१६–३२१
राजनीतिक पार्टियों के सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गई)	३२१–३२२
राधेलाल इंटर कालेज, कछला के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३२२
मंत्रि परिषद् के कुछ सदस्यों द्वारा त्याग-पत्र देने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	३२२

विषय	पृष्ठ-संख्या
बहराइच म्युनिसिपल बोर्ड के मेहतरों को नौकरी से अलग करने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	३२२–३२३
जलालपुर, जिला बाराबंकी, में पुलिस द्वारा कथित अत्याचार के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३२३
खाद्यान्नों की मंहगाई कम न होने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	३२३–३२५
देवरिया में 'घेरा डालो 'आन्दोलन के कैदियों पर कथित जुल्म आदि के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३२५–३२६
शाहजहांपुर में खन्नौत नदी के टूटे पुलों का पुनर्निर्माण न हो सकने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३२७–३२९
प्रदेश के सीमान्त इलाके की सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध न होने के बारे में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	३२९–३३०
कार्य-क्रम में परिवर्तन किये जाने के बारे में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३३०
लखीमपुर-खीरी जिले में खेती के लिये बीज न मिलने के बारे में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	३३०
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ के संबंध में काउन्टर ऐफीडेविट के लिये अधिकारी की नियुक्ति	३३०–३३१
कार्य-स्थगन प्रस्ताव के विषय में जानकारी	३३१
श्री गेंदासिंह द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना से संबंधित विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार (स्थगित)	३३१–३३२
९ सितम्बर को सोशलिस्ट पार्टी के १२ सदस्यों द्वारा सदन के अवमान के विषय में सचिव की रिपोर्ट पर विचार (स्थगित)	३३२
'ब्लिट्ज' के स्थानापन्न संपादक श्री होमी दिनशा मिस्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न समाप्त करने के संबंध में संकल्प (स्वीकृत)	३३२–३४८
मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना ..	३४८–३४९
उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट एंड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५८ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	३४९
उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५८ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	३४९
उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी) पावर्स आफ कंट्रोल (संशोधन) विधेयक १९५८ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	३४९
उत्तर प्रदेश (१९५४–५५ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५८ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	३४९
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८–५९ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९५८ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	३५०
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	३५०

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) विधेयक, १९५७ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	३५०
इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	३५०
लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	३५०
उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	३५०
गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों की सूची (मेज पर रखी गयी)	३५१
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन (मेज पर रखा गया)	३५१–३५२
उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ (पुरःस्थापित किया गया)	३५२
इंटरटेनमेंट ऐंड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ (पुरःस्थापित किया गया)	३५२
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५८ (पुरःस्थापित किया गया)	३५२
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	३५३
यू० पी० पंचायत राज नियमावली में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	३५३
उत्तर प्रदेश वृहत-जोतकर नियमावली, १९५७ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	३५३
यू० पी० बिक्री-कर ऐक्ट के अधीन प्रख्यापित वित्त विभाग की विज्ञप्ति (मेज पर रखी गयी)	३५३
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली के अधीन प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	३५३
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० के अधीन प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	३५४
स्टेट हेल्थ बोर्ड के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	३५४
गया प्रसाद लाइफ सेविंग फंड ट्रस्ट, कानपुर की समिति में कार्य करने के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	३५४
मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के दो-दो अतिरिक्त स्थानों पर सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	३५४–३५५
मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों में रिक्त स्थानों पर सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	३५५
शनिवार, ६ दिसम्बर, १९५८ को विधान सभा की बैठक होने के संबंध में संकल्प (वापस लिया गया)	३५५–३६१

विषय	पृष्ठ-संख्या
कृषि भूमि से संबंधित स्टेट ड्यूटी के संसद द्वारा विनियमनार्थ संकल्प (स्वीकृत)	३६१–३६२
गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम में श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर विचार (स्थगित)	३६२–३६६
नत्थियां	३६७–३९५
मंगलवार, २ दिसम्बर, १९५८	
उपस्थित सदस्य	३९७–४०१
प्रश्नोत्तर	४०१–४३२
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	४३२
"स्वतन्त्र भारत" के विरुद्ध प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करने से पहले छापने पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (निर्णय-स्थगित)	४३२–४३३
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	४३३–४३४
हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (श्री त्रिलोकी सिंह का प्रस्ताव विवादार्थ स्वीकृत)	४३४–४३७
कार्य-स्थगन प्रस्तावों के विषयों के बारे में जानकारी	४३८–४४२
उत्तर प्रदेश कृषि-विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ पर विवाद के लिये कार्य-परामर्श समिति द्वारा समय निर्धारण	४४२
लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, १९५८, भाग १ (मेज पर रखा गया) ..	४४२
द्वितीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (उपस्थित किया गया)	४४२–४४३
आश्वासन समिति के प्रथम प्रतिवेदन का चतुर्थ भाग (उपस्थित किया गया) ..	४४४
उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९५८ (पुरःस्थापित किया गया)	४४४
उत्तर प्रदेश कृषि-विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ (प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव पर चर्चा जारी)	४४५–४६६
हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव (स्वयमेव समाप्त)	४६६–४९०
नत्थियां	४९१–५०६
बुधवार, ३ दिसम्बर, १९५८	
उपस्थित सदस्य	५०७–५११
प्रश्नोत्तर	५११–५४९
'स्वतंत्र भारत' के विरुद्ध प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करने से पहले छापने पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	५४९–५५०
सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित डायरी में गलत सूचना देने पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	५५१

विषय	पृष्ठ-संख्या
'ब्लिट्ज" के मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही क संबंध में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	५५१–५५३
मानपुर, जिला बाराबंकी में सर्वश्री रामकिशोर व रघुनाथ के मकान पर आक्रमण के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	५५३–५५४
आगरा जिले की जलमग्न भूमि के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	५५४
गन्ने के दामों में वृद्धि न करने के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	५५४–५५६
मथुरा जिले में वाटर लागिंग के विषय पर विवादार्थ समय की मांग (स्वीकृत)	५५६
विभिन्न विधेयकों पर विवाद के लिये कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा समय निर्धारण	५५६–५५८
उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ (संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया)	५५८–५९०
स्थायी तथा अन्य समितियों के निर्वाचन के कार्य-क्रम में परिवर्तन की सूचना ..	५९०–५९१
नत्थियां	५९२–६०६

बृहस्पतिवार, ४ दिसम्बर, १९५८

उपस्थित सदस्य	६०७–६११
प्रश्नोत्तर	६११–६३९
साहू कैमिकल फैक्टरी दुलहीपुर के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	६३९–६४२
जिला देवरिया के कुछ गांवों के गन्ना उत्पादकों द्वारा कप्तानगंज शुगर फैक्टरी को गन्ने की सप्लाई बन्द करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	६४२
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५८ (विचारोपरान्त पारित)	६४३–६८७
उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ की संयुक्त प्रवर समिति के लिये विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित सदस्यों के सम्बन्ध में सूचना ..	६८७–६८८
उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ की संयुक्त प्रवर समिति के लिये विधान सभा सदस्यों का निर्वाचन	६८८–६८९
नत्थियां	६९०–६९४

शुक्रवार, ५ दिसम्बर, १९५८

उपस्थित सदस्य	६९५–६९९
प्रश्नोत्तर	६९९–७३४
सर्वदलीय खाद्य समिति के नाम के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	७३५

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी	७३५
देवरिया, गोरखपुर तथा बस्ती जिलों में भदई में जड़हन का बीज देने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	७३६–७३८
धान की कीमत में अप्रत्याशित कमी के कारण उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	७३८–७३९
सदन के कार्य-क्रम के बारे में पूछताछ	७३९
कोआपरेटिव सोसाइटियों तथा सरकारी एजेंसियों द्वारा किसानों से गल्ला खरीदने के सम्बन्ध में संकल्प (वापस लिया गया)	७३९–७७५
कार्यक्रम की सूचना	७७५–७७६
नत्थियां	७७७–७८४

सोमवार, ८ दिसम्बर, १९५८

उपस्थित सदस्य	७८५–७८९
प्रश्नोत्तर	७८९–८३१
राजकीय सूक्ष्म यंत्र निर्माणशाला, लखनऊ, के एक कर्मचारी की मुअत्तली के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	८३१–८३२
राज्य में चावल के मुल्य निर्धारण के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	८३२
बुड्डूपुर, जिला बाराबंकी में सोशलिस्ट पार्टी का झंडा उखाड़ने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	८३२
थाना इन्चार्ज, गोपीगंज, जिला वाराणसी द्वारा कथित गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	८३२–८३३
देवरिया सहकारी बैंक के २५० ग्रुप एकाउन्टेंन्टों के अलग-अलग किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	८३३–८३४
देवरिया जिले में गन्ना पर्चेजिंग सेन्टर, बनवारी टोला, बरवा जंगल का गन्ना विक्रय न होने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	८३४
जिला खीरी में गेहूं और चने का बीज न देने पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	८३४–८३६
राज्य में चावल का मूल्य कम निर्धारित करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	८३६–८३७
कार्य-स्थगन प्रस्तावों के विषय के बारे में जानकारी	८३७
साप्ताहिक कार्य-क्रम के बारे में सूचना	८३७–८३८
उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ (पुरःस्थापित किया गया)	८३८
उत्तर प्रदेश स्टैम्प (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ (पुरःस्थापित किया गया)	८३८
विभिन्न विधेयकों पर विवादार्थ कार्य-परामर्शदात्री समिति द्वारा समय निर्धारण	८३८–८४२

विषय	पृष्ठ-संख्या
आगरा जिले की जलमग्न भूमि के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर विवाद के सम्बन्ध में जानकारी	८४२
विधेयक पर विवादार्थ निर्धारित समय में वृद्धि का सुझाव	८४२
प्रतिनिहित विधायन समिति का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्थापित किया गया) ..	८४३–८४४
यू० पी० नर्सेज ऐण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल के दो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	८४४
उत्तर प्रदेश इन्टरटेंनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ (विचारोपरान्त पारित)	८४४–८६५
उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९५८ (विचारोपरान्त पारित)	८६५–८७४
सदन के आगामी कार्य-क्रम के विषय में पूछताछ	८७४–८७७
नत्थियां	८७८–९००

मंगलवार, ९ दिसम्बर, १९५८

उपस्थित सदस्य	९०१–९०५
प्रश्नोत्तर	९०५–९४६
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	९४६
प्रश्नों के सम्बन्ध में पूछताछ	९४६
कानपुर में कुछ कपड़ा मिलों के बन्द होने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	९४६–९४८
बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ व रामसनेही घाट तहसीलों में गोमती की बाढ़ से कृषि भूमि के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	९४८
मड़ियाहूं के थानेदार के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	९४८–९४९
साहू केमिकल्स फैक्टरी से सम्बन्धित ४ दिसम्बर के कार्य-स्थगन प्रस्ताव के विषय पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	९४९–९५१
विभिन्न समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना	९५१
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५८ (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा)	९५१
कार्य-क्रम के बारे में पूछताछ	९५१–९५२
कार्य-क्रम में परिवर्तन पर आपत्ति	९५२–९५३
उत्तर प्रदेश स्टैम्प (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ (विचारोपरान्त पारित)	९५३–९९६
उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ (संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित किया गया)	९९६
नत्थियां	९९७–१०३१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

उपाध्यक्ष

श्री रामनारायण त्रिपाठी, बी० एस-सी० ।

सचिव, विधान मंडल

श्री रूपचन्द्र, एच० जे० एस० ।

सचिव, विधान सभा

श्री देवकीनन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी० ।

सहायक सचिव

श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी० ।

कमेटी आफिसर

श्री भोलादत्त उपाध्याय ।

अधीक्षक

श्री अहीन्द्रनाथ मित्र ।
श्री श्रीपति सहाय, बी० ए० ।
श्री गिरधारी लाल, बी० ए० ।

पुस्तकाध्यक्ष

श्री बृजेन्द्र नारायण सिंह, एम० ए० एल-एल० बी०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मध्यप्रदेश विधान सभा

शासन

राज्यपाल
श्री वराहगिरि वेंकटगिरि

मंत्रि-परिषद्

मन्त्री (जो मन्त्रिमण्डल के सदस्य हैं)

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, विधान-सभा-सदस्य, मुख्य मंत्री, उद्योग, श्रम, सामान्य प्रशासन एवं नियोजन मंत्री ।

श्री हुकुमसिंह विसेन, बी० ए०, एल-एल बी०, विधान-सभा-सदस्य, स्वास्थ्य, न्याय, सहायता तथा पुनर्वासन मंत्री ।

श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, विधान-सभा-सदस्य. सार्वजनिक निर्माण मंत्री ।

श्री चरणसिंह, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, माल मंत्री, सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री ।

श्री सैयद अलीजहीर, बार-एट-ला, विधान-सभा-सदस्य. न्याय, वित्त तथा वन मंत्री ।

श्री कमलापति त्रिपाठी, विधान-सभा-सदस्य, गृह, शिक्षा, हरिजन कल्याण तथा सूचना मंत्री।

श्री विचित्रनारायण शर्मा, विधान-सभा-सदस्य, स्वायत्त शासन मंत्री ।

*आचार्य जुगलकिशोर, श्रम तथा समाज-कल्याण मंत्री ।

श्री मोहनलाल गौतम, विधान-सभा-सदस्य, कृषि तथा सहकारिता मन्त्री ।

मन्त्री (जो मन्त्रिमण्डल के सदस्य नहीं हैं)

†श्री मंगलाप्रसाद, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, हरिजन कल्याण-मंत्री ।

†श्री मुजफ्फर हसन, विधान-सभा-सदस्य, समाज सुरक्षा मंत्री ।

*श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, सिंचाई मंत्री ।

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (विस), पी-एच० डी०, विधान-सभा-सदस्य, मादक-कर तथा परिवहन मंत्री ।

उपमंत्री

श्री जगमोहनसिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, उद्योग उपमंत्री।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य, विधान-सभा-सदस्य, सहकारिता, उपमंत्री ।

†श्री कैलाशप्रकाश, विधान-सभा-सदस्य, शिक्षा उपमंत्री ।

†श्री रऊफ जाफरी, एम० ए०, विधान-सभा-सदस्य, उद्योग उपमंत्री ।

†डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी, विधान-सभा-सदस्य, स्वास्थ्य उपमंत्री ।

†श्रीमती प्रकाशवती सूद, विधान-सभा-सदस्या, समाज कल्याण उपमंत्री ।

श्री सुलतान आलम खां, विधान-सभा-सदस्य, नियोजन उपमंत्री ।

---

*४ नवम्बर, १९५८ को मन्त्रि-पद से त्याग-पत्र ।

†१० नवम्बर, १९५८ से त्याग-पत्र ।

विधान सभा
मध्य प्रदेश

सभा–सचिव

मुख्य मंत्री के सभा-सचिव

श्री कृपाशंकर, विधान-सभा-सदस्य ।

श्री राजविहारीसिंह, विधान-सभा-सदस्य ।

स्वास्थ्य मंत्री के सभा-सचिव

श्री बलदेवसिंह आर्य, विधान-सभा-सदस्य ।

श्री धर्मसिंह, विधान-सभा-सदस्य ।

स्वशासन मंत्री के सभा-सचिव

श्री रामस्वरूप यादव, विधान-सभा-सदस्य ।

गृह मंत्री के सभा–सचिव

श्री इस्तफा हुसैन, विधान-सभा-सदस्य ।

श्रम मंत्री के सभा–सचिव

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा, विधान-सभा-सदस्य ।

हरिजन कल्याण मंत्री के सभा–सचिव

†श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा, विधान-सभा-सदस्य ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभा–सचिव

श्री महावीर सिंह, विधान-परिषद्-सदस्य ।

---

†१० नवम्बर, १९५८ से त्याग-पत्र ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

130990

विधान सभा उत्तर प्रदेश

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

क्रम-सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१	अक्षयवरसिंह, श्री ..	.. पिपराइच .. ,,
२	अजीज इमाम, श्री ..	.. कंतित .. ,,
३	अतीकुल रहमान, श्री	.. नजीबाबाद .. ..
४	अनन्तराम वर्मा, श्री ..	.. अलीगढ़ .. ..
५	अब्दुल रऊफ लारी, श्री	.. विनायकपुर .. ..
६	अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री	.. कोपागंज .. ..
७	अब्दुस्समी, श्री ..	.. बरौंसा .. ..
८	अभयराम यादव, श्री ..	.. जसवंतनगर .. ..
९	अमरनाथ, श्री ..	.. महाराजगंज .. ..
१०	अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री	.. मिर्जापुर .. ..
११	अमोलादेवी, श्रीमती.	.. अठेहा .. ..
१२	अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री	.. सलेमपुर (पूर्व) .. ..
१३	अली जरीर जाफ़री, श्री	.. उतरौला .. ..
१४	अली जहीर, श्री सैयद	.. लखनऊ शहर (पश्चिम) ..
१५	अवधेश कुमार सिन्हा, डाक्टर	.. मिसरिख .. ..
१६	अवधेशचन्द्रसिंह, श्री ..	.. भोजपुर .. ..
१७	अवधेश प्रताप सिंह, श्री	.. बीकापुर (पूर्व) .. ..
१८	असलम खां, श्री ..	.. रामपुर .. ..
१९	अहमद बख्श, श्री ..	.. जानसठ .. ..
२०	आत्माराम गोविन्द खेर, श्री	.. झांसी .. ..
२१	आत्माराम पांडेय, श्री	.. सैदपुर .. ..
२२	आदिराम सिंघल, श्री	.. आगरा शहर .. ..
२३	आनन्दब्रह्म शाह, श्री	.. राबर्ट्सगंज .. ..
२४	आर्थर सी० ग्राइस, श्री	.. नाम-निर्देशित (आंग्ल भारतीय)
२५	इन्दुभूषण गुप्त, श्री ..	... सगरी .. ..
२६	इरतजा हुसैन, श्री ..	.. सियाना .. ..
२७	इस्तफा हुसैन, श्री ..	.. गोरखपुर .. ..
२८	उग्रसेन, श्री ..	.. सलेमपुर (पश्चिम) ..
२९	उदयशंकर दुबे, श्री ..	.. बस्ती .. ..
३०	उबैदुर्रहमान, श्री ..	.. बांसी (पूर्व) .. ..
३१	उमाशंकर शुक्ल, श्री	.. कानपुर शहर .. ..
३२	उल्फ़तसिंह, श्री ..	.. सहसवान .. ..
३३	ऊदल, श्री ..	.. कोलासला .. ..
३४	एस० अहमद हसन, श्री	.. कानपुर शहर .. ..
३५	कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री	.. शाहबाद .. ..
३६	कमरुद्दीन, श्री ..	.. बुधना ..
३७	कमल कुमारी गोइंदी, कुमारी	.. करछना .. ..
३८	कमलापति त्रिपाठी, श्री	.. चन्दौली .. ..
३९	कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले	.. पुवायां .. ..

क्रम-सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
४०	कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम .. छुन्नन गुरु	.. इलाहाबाद शहर (दक्षिण)
४१	कल्याणराय, श्री ..	.. शाहाबाद ..
४२	कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री	.. महाइच ..
४३	कालीचरण अग्रवाल, श्री	.. कासगंज ..
४४	काशीप्रसाद पांडेय, श्री	.. कादीपुर ..
४५	किशनसिंह, श्री ..	.. ठाकुरद्वारा ..
४६	कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री ..	.. सुल्तानपुर ..
४७	केशभान राय, श्री ..	.. मगहर ..
४८	केशव पांडेय, श्री ..	.. मनीराम ..
४९	केशवराम, श्री	.. बिसौली ..
५०	कैलाशकुमारसिंह, श्री	.. इस्लामनगर ..
५१	कैलाशनारायण गुप्त, श्री	.. इलाहाबाद शहर (उत्तर)
५२	कैलाशवती श्रीमती ..	.. छिल्लपुर ..
५३	कैलाशप्रकाश, श्री ..	.. मेरठ शहर ..
५४	कोतवालसिंह भदौरिया, श्री	.. छिबरामऊ ..
५५	कृपाशंकर, श्री ..	.. नगर ..
५६	खजानसिंह, चौधरी ..	.. उन्नाव ..
५७	खमानीसिंह, डाक्टर ..	.. मुरादाबाद (देहात)
५८	खयालीराम, श्री ..	.. मोहनलालगंज ..
५९	खुशीराम, श्री ..	.. पिथौरागढ़ ..
६०	खूबसिंह, श्री ..	.. धामपुर
६१	गंगाधर जाटव, श्री ..	.. एतमादपुर
६२	गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)	.. एटा
६३	गंगाप्रसाद श्री (गोंडा)	.. गोंडा (दक्षिण)
६४	गंगाप्रसाद सिंह, श्री ..	.. रसरा
६५	गजेन्द्रसिंह, श्री ..	.. विधुना
६६	गज्जूराम, श्री ..	.. ललितपुर
६७	गणेशप्रसाद पांडेय, श्री ..	.. बांसगांव
६८	गनेशचन्द्र काछी, श्री ..	.. भोगांव
६९	गनेशीलाल चौधरी, श्री	.. बिस्वां
७०	गयाप्रसाद, श्री ..	.. कुंडा
७१	गयाबख्श सिंह, श्री ..	.. इसौली
७२	गयूर अली खां, श्री ..	.. भवन
७३	गरीबदास, श्री ..	.. कालपी
७४	गिरधारीलाल, श्री ..	.. धामपुर
७५	गुप्तारसिंह, श्री ..	.. सरैनी
७६	गु प्रसादसिंह, श्री ..	.. मुसाफिरखाना
७७	गुलाबसिंह, श्री ..	.. मसूरी
७८	गेंदादेवी, श्रीमती ..	.. खलीलाबाद
७९	गेंदासिंह, श्री ..	.. पडरौना (पूर्व)
८०	गोकुलप्रसाद, श्री ..	.. चायल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
८१	गोपाली, श्री ..	.. खुर्जा
८२	गोपीकृष्ण आजाद, श्री ..	.. नारायनी
८३	गोविन्द नारायण तिवारी, श्री	.. जालौन
८४	गोविन्दसहाय, श्री ..	.. नगीना
८५	गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री ..	.. अल्मोड़ा
८६	गौरीराम गुप्त, श्री ..	.. फरेंदा (पश्चिम)
८७	गौरीशंकर राय, श्री ..	.. बलिया
८८	घनश्याम डिमरी, श्री ..	.. बद्रीनाथ
८९	घासीराम जाटव, श्री ..	.. भरथना
९०	चन्द्रजीत यादव, श्री ..	.. मोहम्मदाबाद, गोहना
९१	चन्द्र व, श्री ..	.. पडरौना (उत्तर)
९२	चन्द्रबली शास्त्री, ब्रह्मचारी, श्री	.. निजामाबाद
९३	चन्द्रसिंह रावत, श्री ..	.. पौड़ी
९४	चन्द्रहास मिश्र, श्री ..	.. बिलग्राम
९५	चन्द्रावती, श्रीमती ..	.. बिजनौर
९६	चन्द्रिकाप्रसाद, श्री ..	.. बछरावां
९७	चरणसिंह, श्री ..	.. कोटना
९८	चित्तरसिंह नि जन, श्री ..	.. कोंच
९९	चिरंजीलाल जाटव, श्री	.. जलेसर
१००	छत्तरसिंह, श्री ..	.. खुर्जा
१०१	छत्रपति अम्बेश, श्री ..	.. आगरा शहर
१०२	छेदीलाल, श्री ..	.. श्रीनगर
१०३	छोटेलाल पालीवाल, श्री	.. सिरहपुरा
१०४	जंगबहादुर वर्मा, श्री ..	.. हैदरगढ़
१०५	जगदीशनारायण, श्री ..	.. बिलारी
१०६	जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री	.. मोहम्मदी
१०७	जगदीश प्रसाद, श्री ..	.. हसनपुर
१०८	जगदीश शरण अग्रवाल, श्री	.. बरेली शहर
१०९	जगन्नाथ, चौधरी ..	.. सिकन्दरपुर
११०	जगन्नाथप्रसाद, श्री ..	.. धौरेहरा
१११	जगन्नाथ लहरी, श्री ..	.. फिरोजाबाद
११२	जगपति सिंह, श्री ..	.. करवी
११३	जगमोहनसिंह नेगी, श्री	.. गंगा सलाण
११४	जगवीरसिंह, श्री ..	.. अगोटा
११५	जमुनासिंह, श्री ..	.. गुन्नौर
११६	जयगोपाल, डाक्टर ..	.. हरौरा
११७	जयदेवसिंह आर्य, श्री ..	.. घिरोर
११८	जयराम वर्मा, श्री ..	.. टांडा
११९	जरगाम हैदर, श्री सैयद ..	.. बहराइच (उत्तर)
१२०	जवाहरलाल, श्री ..	.. मंझनपुर
१२१	जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर	.. कानपुर शहर
१२२	जागेश्वर, श्री ..	.. किशनपुर

क्रम-सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१२३	जितेन्द्रप्रताप सिंह, श्री ..	.. कांठ
१२४	जुगलकिशोर, आचार्य ..	.. गोवर्द्धन
१२५	जोखई, श्री ..	.. मेजा
१२६	ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री	.. घाटमपुर
१२७	झारखंडेराय, श्री ..	.. घोसी
१२८	टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री ..	.. खैराबाद
१२९	ीकाराम, श्री . ..	.. बदायूं
१३०	टीकाराम पुजारी, श्री ..	.. सादाबाद
१३१	डूंगरसिंह, श्री ..	.. राठ
१३२	ताराचन्द माहेश्वरी, श्री	.. सिधौली
१३३	तारादेवी, डाक्टर ..	.. मड़ियाहूं
१३४	तिरमलसिंह, श्री ..	.. सहावर
१३५	तेजबहादुर, श्री ..	.. लालगंज
१३६	तेजासिंह, श्री ..	.. गाजियाबाद
१३७	त्रिलोकीसिंह, श्री ..	.. लखनऊ शहर (पूर्व)
१३८	दत्त, श्री एस० जी० ..	.. कानपुर शहर
१३९	दर्शनसिंह, श्री ..	.. शाहजहांपुर
१४०	दशरथप्रसाद, श्री ..	.. बलरामपुर
१४१	दाताराम, चौधरी ..	.. नकुड़
१४२	दीनदयालु करुण, श्री ..	.. बलरामपुर
१४३	दीनदयालु शर्मा, श्री ..	.. अनूपशहर
१४४	दीनदयालु शास्त्री, श्री ..	.. रुड़की
*१४५	दीपंकर, आचार्य ..	.. बरौत
१४६	दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री	.. देवरिया (दक्षिण)
१४७	दुर्योधन, श्री ..	.. महाराजगंज
१४८	देवकीनन्दन विभव, श्री ..	.. आगरा शहर
१४९	देवदत्तसिंह, श्री ..	.. टप्पल
१५०	देवनारायण भारतीय, श्री	.. जमौर
१५१	देवराम, श्री ..	.. शादियाबाद
१५२	देवीप्रसाद मिश्र, श्री ..	.. अकबरपुर
१५३	द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री	.. मुजफ्फरनगर
१५४	द्वारिकाप्रसाद, श्री ..	.. कन्नौज
१५५	द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री	.. फरेंदा (पूर्व)
१५६	धनीराम, श्री ..	.. लालगंज
१५७	धनुषधारी पांडेय, श्री ..	.. महुली
१५८	धरमपालसिंह, श्री ..	.. तुलसीपुर
१५९	धर्मदत्त वैद्य, श्री ..	.. सिरौली
१६०	धर्मसिंह, श्री ..	. अनूपशहर
१६१	नत्थाराम रावत, श्री ..	.. बाराबंकी
१६२	नत्थूसिंह, श्री (बरेली) ..	.. फरीदपुर
१६३	नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)	.. करहल

*२५ अक्तूबर, १९५८ से रिक्त।

लोक सभा सचिवालय

क्रम-सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१६४	नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री ..	.. हाथरस
१६५	नन्दराम, श्री ..	.. कुन्डा
१६६	नरदेवसिंह दतियानवी, श्री	.. चांदपुर
१६७	नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री ..	.. केदारनाथ
१६८	नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री ..	.. पिथौरागढ़
१६९	नवलकिशोर, श्री ..	.. आंवला
१७०	नागेश्वर प्रसाद, श्री ..	.. गरवारा
१७१	नारायणदत्त तिवारी, श्री	.. नैनीताल
१७२	नारायणदास पासी, श्री ..	.. बीकापुर (पश्चिम)
१७३	निरंजनसिंह, श्री ..	.. पीलीभीत
१७४	नेकराम शर्मा, श्री ..	.. अतरौला
१७५	पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री	.. अतरौलिया
१७६	पब्बरराम, श्री ..	.. गाजीपुर
१७७	परमानन्द सिनहा, श्री ..	.. सोरांव (पश्चिम)
१७८	परमेश्वरीदीन वर्मा, श्री	.. पुर्वा
१७९	पहलवानसिंह, चौधरी ..	.. बांदा
१८०	प्रकाशवती सूद, श्रीमती ..	.. मेरठ (छावनी)
१८१	प्रतापबहादुर सिंह, श्री ..	.. फखरपुर
१८२	प्रतापभान प्रकाश सिंह, श्री	.. लहरपुर
१८३	प्रतापसिंह, श्री ..	.. टनकपुर
१८४	प्रभावती मिश्र, श्रीमती ..	.. लम्भुआ
१८५	प्रभुदयाल, श्री ..	.. बानगंगा (पश्चिम)
१८६	फतेहसिंह राणा, श्री ..	.. सरधना
१८७	बंशीधर शुक्ल, श्री ..	.. श्रीनगर
१८८	बलदेवसिंह, श्री ..	.. महदेवा
१८९	बलदेवसिंह आर्य, श्री ..	.. शाहाबाद
१९०	बलवानसिंह, श्री ..	.. अकबरपुर
१९१	बसन्तलाल, श्री ..	.. लखनऊ (छावनी)
१९२	बादामसिंह, श्री ..	.. शिकारपुर
१९३	बाबूराम, श्री ..	.. भोजीपुरा
१९४	बाबूलाल कुसुमेश, श्री ..	.. प्रतापगंज
१९५	बालकराम, श्री ..	.. तिलहर
१९६	बालेश्वर प्रसाद सिंह, श्री	.. डोमरियागंज (दक्षिण)
१९७	बिन्दुमतीदास, श्रीमती ..	.. प्रतापगगंज
१९८	बिशम्बरसिंह, श्री ..	.. हस्तिनापुर
१९९	बिहारीलाल, श्री ..	.. बीसलपुर
२००	बुलाकीराम, श्री ..	.. हरदोई
२०१	बुद्धीलाल, श्री ..	.. नानपारा
२०२	बुद्धीसिंह, श्री ..	.. बहजोई
२०३	बृजबासीलाल, श्री ..	.. बीकापुर (पश्चिम)
२०४	बृजरानी मिश्र, श्रीमती ..	.. बिल्हौर
२०५	बेचनराम, श्री ..	.. ज्ञानपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
२०६	बेचरामगुप्त, श्री ..	.. ज्ञानपुर
२०७	बेनीबाई, श्रीमती ..	.. मऊ
२०८	बैजूराम, श्री ..	.. सिधौली
२०९	ब्रजनारायण तिवारी, श्री	.. पडरौना (पश्चिम)
२१०	ब्रजभूषणशरण, श्री ..	.. देहरादून
२११	ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री ..	.. कानपुर शहर
२१२	भगवतीप्रसाद दुबे, श्री ..	.. भावापुर
२१३	भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री	.. प्रतापगढ़ (दक्षिण)
२१४	भगवतीसिंह विशारद, श्री	.. भगवन्तनगर
२१५	भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री ..	.. बाराबंकी
२१६	भजनलाल, श्री ..	.. औरैया
२१७	भीखालाल, श्री ..	.. हसनगंज
२१८	भुवनेशभूषण शर्मा, श्री ..	.. इटावा
२१९	भूपकिशोर, श्री ..	.. अलीगंज
२२०	मंगलाप्रसाद, श्री ..	.. मेजा
२२१	मंजूरुलनबी, श्री ..	.. सहारनपुर
२२२	मथुराप्रसाद पांडेय, श्री ..	.. नौगढ़
२२३	मदनगोपाल वैद्य, श्री ..	.. अमीरसन
२२४	मदन पांडेय, श्री ..	.. तिलपुर
२२५	मदनमोहन, श्री ..	.. फैजाबाद
२२६	मन्नालाल, श्री ..	.. मोहमदी
२२७	मलखानसिंह, श्री ..	.. सिकन्दरा राव
२२८	मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)	.. मैनपुरी
२२९	महमूद अली खां, कुंवर, (मेरठ)	.. दसना
२३०	महमूद अली खां, श्री (रामपुर)	.. स्वार टांडा
२३१	महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)	.. मुजफ्फराबाद
२३२	महमूद हुसैन खां, श्री ..	.. सम्भल
२३३	महादेव प्रसाद, श्री ..	.. फखरपुर
२३४	महाबीरप्रसाद शुक्ल, श्री	.. केवाई
२३५	महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री	.. लखनऊ शहर (मध्य)
२३६	महीलाल, श्री ..	.. बिलारी
२३७	महेन्द्ररिपुदमन सिंह, राजा	.. बाह
२३८	महेशसिंह, श्री ..	.. हरदोई
२३९	माताप्रसाद, श्री ..	.. शाहगंज
२४०	मान्धातासिंह, श्री ..	.. कोपाचीत
२४१	मिहरबानसिंह, श्री ..	.. भरथना
२४२	मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री	.. रुदौली
२४३	मुक्तिनाथ राय, श्री ..	.. गोपालपुर
२४४	मुजफ्फरहसन, श्री ..	.. चायल
२४५	मुनीन्द्रपालसिंह, श्री ..	.. बीसल
२४६	मुबारकअली खां, श्री ..	.. उसेहट
२४७	मुरलीधर, श्री ..	.. बिल्हौर

क्रम सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
२४८	मुरलीधर कुरील, श्री ..	.. माहुल
२४९	मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री ..	.. सफीपुर
२५०	मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री	.. वाराणसी (उत्तर)
२५१	मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री	.. देवरिया (उत्तर)
२५२	मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री	.. बानगंगा (पूर्व)
२५३	मुहम्मद हुसैन, श्री ..	.. बरेली (छावनी)
२५४	मूलचन्द, श्री ..	.. मिसरिख
२५५	मोतीलाल अवस्थी, श्री ..	.. कानपुर (देहात)
२५६	मोहनलाल, श्री ..	.. महोबा
२५७	मोहनलाल गौतम, श्री ..	.. कोयल
२५८	मोहनलाल वर्मा, श्री ..	.. संडीला
२५९	मोहनसिंह मेहता, श्री ..	.. दानपुर
२६०	यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री ..	.. रायबरेली (उत्तर)
२६१	यमुनासिंह, श्री ..	.. शादियाबाद
२६२	यशपालसिंह, श्री ..	.. देवबन्द
२६३	यशोदादेवी, श्रीमती ..	.. बांसगांव
२६४	यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा ..	.. जौनपुर
२६५	रऊफ जाफरी, श्री ..	.. मछलीशहर
२६६	रघुनाथसहाय यादव, श्री	.. किशनपुर
२६७	रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री, उपनाम लाल साहब ..	.. सादुल्लानगर
२६८	रघुराजसिंह चौधरी, श्री	.. बुलन्दशहर
२६९	रघुबीर राम, श्री ..	.. मोहम्मदाबाद
२७०	रघुबीरसिंह, श्री (एटा)	.. जलेसर
२७१	रघुबीरसिंह, श्री (मेरठ)	.. बागपत
२७२	रणबहादुर सिंह, श्री ..	.. हरैया (पश्चिम)
२७३	रमाकान्त सिंह, श्री ..	.. अमेठी
२७४	रमानाथ खैरा, श्री ..	.. ललितपुर
२७५	रमेशचन्द्र शर्मा, श्री ..	.. बरसाथी
२७६	राघवराम पांडेय, श्री	.. गोंडा (दक्षिण)
२७७	राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री ..	.. मनकापुर
२७८	राजकिशोर राव, श्री ..	.. इकौना
२७९	राजकुमार शर्मा, श्री ..	.. चुनार
२८०	राजदेव उपाध्याय, श्री ..	.. सिधुवाजोबना
२८१	राजनारायण, श्री ..	.. कसवरसरकारी
२८२	राजनारायणसिंह, श्री ..	.. अहरौरा
२८३	राजबिहारीसिंह, श्री ..	.. कसवर राजा
२८४	राजाराम शर्मा, श्री ..	.. खलीलाबाद
२८५	राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती	.. डोमरियागंज (उत्तर)
२८६	राजेन्द्र कुमारी, श्रीमती ..	.. मौदहा
२८७	राजेन्द्रदत्त, श्री ..	.. शिकारपुर
२८८	राजेन्द्रसिंह, श्री ..	.. गोंडवा

क्रम सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
२८९	राजेन्द्रसिंह यादव, श्री ..	.. शमसाबाद
२९०	रामअधार तिवारी, श्री ..	.. प्रतापगढ़ (उत्तर)
२९१	रामअभिलाख, श्री ..	.. गोंडा (उत्तर)
२९२	रामकिंकर, श्री ..	.. पट्टी
२९३	रामकुमार वैद्य, श्री ..	.. अमरोहा
२९४	रामकृष्ण जैसवार, श्री ..	.. कंतित
२९५	रामकृष्ण सारस्वत, श्री ..	.. फर्रुखाबाद
२९६	रामचन्द्र उनियाल, श्री ..	.. रवाईं
२९७	रामचन्द्र विकल, श्री ..	.. सिकन्दराबाद
२९८	रामजीलाल सहायक, श्री	.. सरधना
२९९	रामजीसहाय, श्री ..	.. सिलहट
३००	रामदास आर्य, श्री ..	.. जानसठ
३०१	रामदीन, श्री ..	.. करहल
३०२	रामनाथ पाठक, श्री ..	.. दोआबा
३०३	रामनारायण त्रिपाठी, श्री	.. सुरहुरपुर
३०४	रामपाल त्रिवेदी, श्री ..	.. मलिहाबाद
३०५	रामप्रसाद, श्री ..	.. सलैन
३०६	रामप्रसाद देशमुख, श्री ..	.. कोयल
३०७	रामप्रसाद नौटियाल, श्री	.. लैन्सडाउन
३०८	रामबली, श्री ..	.. मुसाफिरखाना
३०९	राममूर्ति, श्री ..	.. बहेड़ी
३१०	रामरतन प्रसाद, श्री ..	.. रसरा
३११	रामरतीदेवी, श्रीमती ..	.. अकबरपुर
३१२	रामलक्षण तिवारी, श्री ..	.. बांसडीह (पूर्व)
३१३	रामलखन, श्री (जौनपुर)	.. रारी
३१४	रामलखन, श्री (वाराणसी)	.. चन्दौली
३१५	रामलखन मिश्र, श्री ..	.. बांसी (पश्चिम)
३१६	रामलाल, श्री ..	.. नगर
३१७	रामवचन यादव, श्री ..	.. माहुल
३१८	रामशरण यादव, श्री ..	.. मोहनलालगंज
३१९	रामसनेही भारतीय, श्री	.. बबेरू
३२०	राम समझावन, श्री ..	.. केराकत
३२१	रामसिंह चौहान, श्री वैद्य	.. एतमादपुर
३२२	रामसुन्दर पांडेय, श्री ..	.. नत्थूपुर
३२३	रामसूरत प्रसाद, श्री ..	.. पिपराइच
३२४	रामस्वरूप यादव, श्री ..	.. जसराना
३२५	रामस्वरूप वर्मा, श्री ..	.. भोगनीपुर
३२६	रामहेतसिंह, श्री ..	.. छाता
३२७	रामायण राय, श्री ..	.. पडरौना (दक्षिण)
३२८	रामेश्वरप्रसाद, श्री ..	.. बछरावां
३२९	रुक्नुद्दीन खां, श्री ..	.. कोंहडौर
३३०	रूर्मसिंह, श्री ..	.. खेरा बजेहरा

अनुसंधान विभाग

क्रम-सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
३३१	लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री ..	.. काशीपुर
३३२	लक्ष्मणराव कदम, श्री ..	.. गरोथा
३३३	लक्ष्मणसिंह, श्री ..	.. रानीखेत (दक्षिण)
३३४	लक्ष्मीनारायण, श्री ..	.. पहाड़पुर
३३५	लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री	.. फतेहाबाद
३३६	लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री	.. माट
३३७	लायकसिंह, चौधरी ..	.. शिकोहाबाद
३३८	लालबहादुर सिंह, श्री ..	.. केराकत
३३९	लुत्फअली खां, श्री ..	.. हापुड़
३४०	लोकनाथसिंह, श्री ..	.. कटेहर
३४१	वजरंग बिहारी लाल रावत, श्री	.. हैदरगढ़
३४२	वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री	.. जमानिया
३४३	वसी नकवी, श्री ..	.. रोखा
३४४	वासुदेव दीक्षित, श्री ..	.. खागा
३४५	विचित्र नारायण शर्मा, श्री	.. मोदीनगर
३४६	विजयशंकरसिंह, श्री ..	.. मुहम्मदाबाद
३४७	विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती	.. शाहाबाद
३४८	विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती	.. देवप्रयाग
३४९	विशालसिंह, श्री ..	.. भिटौली
३५०	विश्रामराय, श्री ..	.. आजमगढ़
३५१	विश्वनाथसिंह गौतम, श्री	.. कराद
३५२	विश्वेश्वरानन्द, स्वामी	.. फतेहपुर, सीकरी
३५३	वीरसेन, श्री ..	.. हापुड़
३५४	वीरेन्द्र वर्मा, श्री ..	.. कैराना
३५५	वीरेन्द्रबिक्रमसिंह, श्री ..	.. बहराइच (दक्षिण)
३५६	वीरेन्द्र शाह, राजा ..	.. कालपी
३५७	व्रजगोपाल सक्सेना, श्री	.. महोबा
३५८	व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री	.. घाटमपुर
३५९	शंकरलाल, श्री ..	.. कादीपुर
३६०	शकुन्तलादेवी, श्रीमती ..	.. हरौरा
३६१	शब्बीरहसन, श्री ..	.. खजुहा
३६२	शमसुल इस्लाम, श्री ..	.. निधपुर
३६३	शम्भूदयाल, श्री ..	.. संडीला
३६४	शांति प्रपन्न शर्मा, श्री ..	.. हरद्वार
३६५	शिवगोपाल तिवारी, श्री ..	.. सफीपुर
३६६	शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)	.. सिधुवाजोबना
३६७	शिवप्रसाद नागर, श्री (खेरी)	.. खीरी
३६८	शिवमंगल सिंह, श्री ..	.. बांसडीह (पश्चिम)
३६९	शिवमूर्ति, श्री ..	.. फूलपुर
३७०	शिवराजबलीसिंह, श्री ..	.. फतेहपुर
३७१	शिवराजबहादुर, श्री ..	.. नवाबगंज
३७२	शिवराजसिंह यादव, श्री	.. बिसौली

विधान सभा

क्रम-सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
३७३	शिवराम, श्री ..	.. अफजलगढ़
३७४	शिवराम पांडेय, श्री ..	.. डेरापुर
३७५	शिववचन राव, श्री ..	.. सलेमपुर (दक्षिण)
३७६	शिवशंकरसिंह, श्री ..	.. डलमऊ
३७७	शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री	.. इकौना
३७८	शीतला प्रसाद, श्री ..	.. तरबगंज
३७९	शोभनाथ, श्री ..	.. राबर्ट्सगंज
३८०	श्याममनोहर मिश्र, श्री	.. लखनऊ (छावनी)
३८१	श्यामलाल, श्री ..	.. माट
३८२	श्यामलाल यादव, श्री	.. मुगलसराय
३८३	श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी	.. किथोर
३८४	श्रीकृष्णगोयल, श्री	.. उझानी
३८५	श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री	.. खैरागढ़
३८६	श्रीनाथ, श्री	.. मोहम्मदाबाद गोहाना
३८७	श्रीनाथ भार्गव, श्री	.. मथुरा
३८८	श्रीनिवास, श्री	.. गांगिरी
३८९	श्रीपालसिंह, कुंवर	.. शाहगंज
३९०	संग्रामसिंह, श्री	.. सोरांव (पूर्व)
३९१	सईद अहमद अन्सारी, श्री	.. ज्वालापुर
३९२	सजीवन लाल, श्री	.. हसनगंज
३९३	सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती	.. शिवपुर
३९४	सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती	.. दादरी
३९५	सम्पूर्णानन्द, डाक्टर	.. वाराणसी शहर (दक्षिण)
३९६	सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती	.. सरजू
२९७	सियादुलारी, श्रीमती	.. करवी
३९८	सीताराम, डाक्टर	.. सिलहट
३९९	सीताराम शुक्ल, श्री	.. हरैया (पूर्व)
४००	सुक्खनलाल, श्री	.. हसनपुर
४०१	सुखरानी, श्रीमती	.. फतेहपुर
४०२	सुखराम दास, श्री	.. टांडा
४०३	सुखलाल, श्री	.. औरैया
४०४	सुखीराम भारतीय, श्री	.. फूलपुर
४०५	सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री	.. मऊ
४०६	सुनीता चौहान, श्रीमती	.. सलोन
४०७	सुन्दरलाल, श्री	.. फरीदपुर
४०८	सुरथबहादुर शाह, श्री	.. निघासन
४०९	सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री	.. हमीरपुर
४१०	सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार	.. पुवायां
४११	सुरेशप्रकाश सिंह, श्री	.. बिसवां
४१२	सुल्तान आलम खां, श्री	.. कायमगंज
४१३	सूरतचन्द रमोला, श्री	.. टेहरी
४१४	सूर्यबली पांडेय, श्री	.. हाटा

विधान सभा प्रदेश

क्रम-सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
४१५	सोहनलाल धुसिया, श्री	..	बांसी (पूर्व)
४१६	हमीदुल्ला खां, श्री	..	चारदा
४१७	हरकेशबहादुर, श्री	..	पट्टी
४१८	हरदयालसिंह, श्री	..	जलालाबाद
४१९	हरदयालसिंह पिपल, श्री	..	हाथरस
४२०	हरदेव सिंह, श्री	..	देवबन्द
४२१	हरिदत्त काण्डपाल, श्री	..	रानीखेत (उत्तर)
४२२	हरिश्चन्द्रसिंह, श्री	..	दातागंज
४२३	हरिहरबख्शसिंह, श्री	..	पाली
४२४	हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री	..	सीतापुर
४२५	हरीसिंह, श्री	..	क्योंर
४२६	हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री	..	मुरादाबाद शहर
४२७	हिम्मतसिंह, श्री	..	देबाई
४२८	हुकुमसिंह विसेन, श्री	..	कैसरगंज
४२९	हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री	..	मंझनपुर
४३०	होरीलाल यादव, श्री	..	कन्नौज
४३१	(रिक्त)	..	इगलास

130990

संसद पुस्तकालय

बिहार विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २४ सितम्बर, १९५८

130990

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—२५८

अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री

जगपतिसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोहनलाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री

विधान सभा सदस्य

राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
बासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती बाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शम्सुल इस्लाम, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री

विधान सभा प्रदेश उ०प्र०

सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २४ सितम्बर, १९५८

तारांकित प्रश्न

केदारनाथ में श्री शंकराचार्य का स्मारक बनाने के सम्बन्ध में जानकारी

*१—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केदारनाथ स्थान में श्री शंकराचार्य स्मारक बनाने का सरकार विचार कर रही है ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—जी नहीं ।

*२—श्री गनेशीलाल चौधरी—यदि हां, तो उसमें सरकार का कितना धन व्यय होगा ?

आचार्य जुगलकिशोर—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले दिनों जब माननीय मुख्य मन्त्री केदारनाथ गये थे तो उस समय वहां के लोगों को आश्वासन दिया था कि वे केदारनाथ में शंकराचार्य का स्मारक बनवाने पर विचार करेंगे ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शंकराचार्य जी का स्मारक बनाने का विचार क्यों नहीं हो रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह मैंने नहीं कहा कि विचार नहीं हो रहा है । सरकार की तरफ से विचार नहीं हो रहा है ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केदारनाथ में जो जगद्गुरु शंकराचार्य जी की समाधि है उसके जीर्णोद्धार के लिये धन की व्यवस्था करने का वह आयोजन करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पहले तो जो चीज वहां पर है उसको समाधि कहना गलत है । शंकराचार्य की समाधि वहां पर नहीं है । वह चीज इतनी भद्दे किस्म की है कि उसका जीर्णोद्धार करने लायक नहीं है । अगर वहां पर कुछ करना होगा तो वह नई चीज बनेगी जो शंकराचार्य का स्मारक कहलायेगा, समाधि नहीं ।

श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि धर्म निरपेक्ष राज्य में धार्मिक स्मारक बनाने पर विचार क्यों किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं हिन्दू हूं और ऐसे देश में करोड़ों हिन्दू हैं। यह कहीं मना नहीं किया गया है कि धर्म निरपेक्ष राज्य में इस किस्म की कोई बात न की जाय। राज्य की तरफ से भी कोई चीज की जाय तो गलत नहीं होगी।

*३-४—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)—[बारहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*५-६—**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)—[दसवें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ४९-५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

कानपुर जिले की बिल्हौर तथा घाटमपुर तहसीलों में अग्नि-पीड़ितों को सहायता

*७—**श्री मुरलीधर कुरील** (जिला कानपुर)—क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले की बिल्हौर तथा घाटमपुर तहसील के किन-किन ग्रामों में मार्च, १९५८ से जून, १९५८ ई० तक भीषण अग्निकांड हुए ?

स्वायत्त शासन मन्त्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—तहसील बिल्हौर के किशनदत्त निवादा, तरीपाठकपुर, कन्जैटी और गुजरैनी ग्रामों में तथा तहसील घाटमपुर के कोहर और जरसरा ग्रामों में मार्च, १९५८ से जून, १९५८ ई० तक भीषण अग्निकांड हुए।

*८—**श्री मुरलीधर कुरील**—क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त अग्निकांडों में से कहां-कहां सब से अधिक मकान जलकर नष्ट हो गये जिनके पुर्ननिर्माण की आवश्यकता है और उनको नियोजित ढंग से बनाने के लिये सरकार किस प्रकार की सहायता दे रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—किशनदत्त निवादा और तरीपाठकपुर में सब से अधिक मकान जले जिनकी मरम्मत व पुर्ननिर्माण के लिये १५,००० रुपये की तकावी दी गयी।

श्री मुरलीधर कुरील—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह तकावी कितने दिनों में वसूल की जायगी और इसका ब्याज भी लिया जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—तकावी के नियम बने हुए हैं, उन्हीं के अनुसार वसूल की जायगी और जो कुछ अनुदान दिये गये हैं उनके वसूल करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि घाटमपुर के केवल इसी गांव में आग लगी है या कुछ और गांवों में भी आग लगी है जिनकी सचना सरकार को नहीं मिल पायी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने बतलाया कि दो गांवों में खासतौर से ज्यादा नुकसान हुआ था। कुछ और गांवों में भी आग लगी थी किन्तु वहां पर इतना नुकसान नहीं हुआ था।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि उक्त दोनों गांवों में कुल कितनी क्षति हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव—जो गांव था किशनदत्त नवांगांव, उसमें बहुत काफी नुकसान हुआ था। वहां पर ८४ मकानों को नुकसान हुआ था जिनमें से ५२ बिलकुल जल गये थे। १० पर कुछ असर पड़ा। २८७ आदमियों पर असर पड़ा। दूसरे गांव में करीब-करीब ८५ मकान थे जिनमें से ३० बिलकुल जल गये। ४२ परिवारों पर असर पड़ा था। यह अन्दाजा किया जाता है कि ५६,००० रुपये का नुकसान हुआ था।

श्रीमती बृजरानी मिश्र (जिला कानपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन गांवों में ८५ और ८० के करीब मकान जल गये हैं उनमें क्या वह आदर्श गांव बसाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—नये गांव बनाने का विचार नहीं हो रहा है लेकिन जिन-जिनके मकानों का नुकसान हुआ है उनको अनुदान और तकावी जो आवश्यक थी, उसका प्रबन्ध कर दिया गया है ।

बदायूं तहसील के अग्निपीड़ितों को सहायता

*९—**श्री श्रीकृष्ण गोयल** (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ अप्रैल, १९५८ से ३१ जुलाई, १९५८ तक बदायूं तहसील, जिला बदायूं, में किन-किन ग्रामों में अग्निकांड हुए, कितना-कितना नुकसान हुआ और सरकार की ओर से क्या सहायता दी गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९६ पर)

श्री श्रीकृष्ण गोयल—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं तहसील में २२ गांवों में आग लगी और कवल ६ ग्रामों में तकावी और ग्रेचुयट्स रिलीफ दी गयी, इसका क्या कारण है ? क्या वहां के ग्रामवासियों ने उसे लेने से इन्कार कर दिया या उनको दी ही नहीं गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव—तकावी और सहायता जहां ज्यादा आवश्यकता होती है वहां दी जाती है । जहां नहीं दी गयी वहां जरूरत नहीं समझी गयी और न उसकी मांग थी ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—बदायूं तहसील के अन्तर्गत जहां आग लगी और १,६९,७०० रुपये का नुकसान हुआ वहां १३-१४ तरीख को आग लगी और सरकारी अफसर १८ तारीख को पहुंचे, इस संबंध में माननीय मन्त्री जी को एक पत्र भी लिखा गया था । तो क्या इस मामले की जांच माननीय मन्त्री जी करायेंगे कि सरकारी अफसर देर से क्यों पहुंचे ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन अग्नि कांडों में सामूहिक रूप से कितने की क्षति हुई और सामूहिक रूप से कितना रुपया ग्रेचुयट्स रिलीफ और तकावी में बांटा गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—जो नुकसान हुआ है वह २,३०,३९३ रुपये ४ आने का है अनुमानित और जो अहेतुक सहायता दी गयी है वह २२६ रुपये हैं, नेचुरल कैलेमिटी रिलीफ फंड से १९० रुपये है और तकावी ४,५८१ रुपये है ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इतने बड़े अग्निकांड में कोई जांच जिलाधीश, बदायूं, द्वारा करवायी गयी कि इसका कारण क्या था ?

श्री रामस्वरूप यादव—जांच का प्रश्न तो तब उठता है कि जब खासकर कोई शिकायत हो कि जानबूझ कर ही आग लगायी गयी है ।

[*१०—**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)—[हटा दिया गया ।]

*११—**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ)—[हटा दिया गया ।]

*१२-१३—श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—[२३ सितम्बर, १९५८ को प्रश्न संख्या ७९-८० के अन्तर्गत हटाये जा चुके हैं।]

*१४—श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—[हटा दिया गया।]

तराई उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत निर्मित शरणार्थी गृह

*१५—श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला बाराणसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रुद्रपुर कोलोनाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत कितने रिफ्यूजी अब तक बसाये गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—रुद्रपुर कोलोनाइजेशन नाम की कोई स्कीम नहीं है। तराई उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत २,५३७ रिफ्यूजी अब तक बसाये गये हैं।

*१६—श्रीमती सज्जनदेवी महनोत—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त लोगों के मकानात किस विभाग की ओर से निर्मित किये गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—उपर्युक्त लोगों के मकानात उपनिवेशन विभाग और सहायता तथा पुनर्वास विभाग के रुपये से निर्मित किये गये हैं।

*१७—श्रीमती सज्जनदेवी महनोत—क्या उपर्युक्त मकानों के निर्माण हेतु सरकार की ओर से कुछ धनराशि स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो प्रति मकान कितना स्वीकृत हुआ और वह रुपया प्रार्थियों को दिया गया या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी, हां। ये मकान सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित कराये गये हैं इस वजह से रुपया देने का सवाल नहीं उठता। इन मकानों की कीमत निम्नलिखित है :

१—उपनिवेशन विभाग—

३६७ मकान, प्रति मकान ३,११५ रु०

५० मकान, प्रति मकान २,५६५ रु०

२—सहायता तथा पुनर्वास विभाग—

(१) ५०० मकान, प्रति मकान ८२५ रु०

(२) ४९६ मकान, प्रति मकान १,०२५ रु०

(३) २९२ मकान, प्रति मकान ८४० रु०

(४) २१२ मकान, प्रति मकान ८०० रु०

(५) ३८३ मकान, प्रति मकान ७४५ रु०

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न १७ के उत्तर के अनुसार जो धन दिया गया है वह ग्रान्ट के रूप में दिया गया था या विभाग द्वारा मकान बनाये गये थे ?

श्री रामस्वरूप यादव—ग्रान्ट नहीं दी गयी, विभाग के द्वारा ही आवास बना दिये गये थे।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत—क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि उन मकानों की हालत खराब हो रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मकानों की हालत बहुत खराब तो नहीं हुई है लेकिन ऐसी शिकायत हुई है कि कुछ खराबी जरूर हो गयी है। उसको देखा जा रहा है।

*१८—श्री देवनारायण भारतीय—[हटा दिया गया।]

*१९-२०—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—[हटा दिये गये।]

*२१—श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)—[हटा दिया गया।]

सीतापुर जिले के वर्षा-पीड़ितों की सहायता के लिये प्रार्थना

*२२—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १०, ११, १२, १३ अगस्त, १९५८ को जिला सीतापुर की प्रत्येक तहसील में कितने-कितने इंच वर्षा हुई?

श्री रामस्वरूप यादव—अपेक्षित सूचना इस प्रकार है:—

दिनांक	नाम तहसील व वर्षा का विवरण			
	सीतापुर (हुई वर्षा)	सिधौली (हुई वर्षा)	बिसवां (हुई वर्षा)	मिसरिख (हुई वर्षा)
	इंच	इंच	इंच	इंच
१०-८-५८	५·४४	५·४०	५·००	४·५७
११-८-५८	१·६३	४·७१	०·८३	३·३०
१२-८-५८	१·६७	२·७८	५·१०	६·५४
१३-८-५८	१·०४	०·७०	२·३९	०·९५

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—इन अंकों को देखते हुये क्या सरकार को ज्ञात है कि सीतापुर जिले में बहुत-सी गलियों में पानी भरा हुआ है और उसे निकालने के लिये क्या वह किसी योजना पर विचार करेगी?

श्री रामस्वरूप यादव—हां, कुछ जगह पानी अवश्य भरा हुआ है, लेकिन जहां संभव हो सकता है वहां पानी निकाला जायगा, लेकिन कोई विशेष योजना इसके लिये नहीं बनायी गयी है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सरकार वर्षा में पानी भरे हुये गांवों को और अधिक सहायता देने के प्रश्न पर विचार करेगी?

श्री रामस्वरूप यादव—जहां-जहां असर हुआ था वहां वहां रुपया, तेल और नमक इत्यादि बांटने का प्रबन्ध किया गया। जहां जरूरी था वहां तक़ावी का भी प्रबन्ध किया गया।

*२३-२४—श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)— [बारहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२५—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[हटा दिया गया।]

*२६—श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह (जिला गोंडा)—[हटा दिया गया।]

बस्ती जिले के अग्निपीड़ितों को सहायता

*२७—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनवरी सन् १९५७ से १५ जून १९५८, तक बस्ती जिले में आग लगने पर कितना धन लोगों को प्रत्येक तहसील में दिया गया?

नोट:—तारांकित प्रश्न २७ श्री उमाशंकर ने पूछा।

श्री रामस्वरूप यादव—अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

नाम तहसील	धन जो दिया गया
	रूपया
१—बस्ती	३,०८१
२—बांसी	४३५
३—हरैया	७१५
४—खलीलाबाद	१,३००
५—डुमरियागंज	९७०
६—नौगढ़	१,०९०
योग ..	७,५९१

श्री उमाशंकर (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि हरैया तहसील से कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे और क्षतिग्रस्त परिवारों को कितना धन दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव— इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

*२८—श्री राम दीन (जिला मैनपुरी)—[हटा दिया गया।]

रायबरेली जिलान्तर्गत महाराजगंज तहसील के अग्निपीड़ितों की सहायता

*२९—श्री चन्द्रिकाप्रसाद (जिला रायबरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अप्रैल, सन् १९५८ से जून, सन् १९५८ तक महराजगंज तहसील, जिला रायबरेली, में कितनी जगह आग लगी और उसमें कितनी जानें गईं तथा कितने रुपयों की हानि हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव— अप्रैल सन् ५८ से जून, सन् ५८ तक महाराजगंज तहसील, जिला रायबरेली, में २७ ग्रामों में आग लगी और उनमें ५ मनुष्यों व ४ पशुओं की जानें गईं तथा लगभग १,७२,२४६ रुपये की सम्पत्ति की हानि हुई।

*३०—श्री चन्द्रिकाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त गांवों के निवासियों को सरकार की ओर से कितने रुपये की सहायता दी गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—उपरोक्त गांवों में से केवल ग्राम जिजौली, केंदौली, चित्रा बुजुर्ग, इन्हौना और पूरे जुरावन के निवासियों को क्रमशः रु० ३२१·१२ नये पैसे, ५० रु०, ५० रु०, ४० रु० और ३५ रु० अहेतुक सहायता के रूप में (Gratuitous Relief) दिया गया।

श्री चन्द्रिकाप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन गांवों में बहुत बड़ी क्षति हुई है उनका वह लगान और सिंचाई माफ करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—जिस जगह ८ आने से ज्यादा नुक्सान हो वहां नियमानुकूल माफ़ी पर या स्थगित करने पर विचार किया जायगा।

श्री चन्द्रिकाप्रसाद—इन गांवों में कितनी तकावी दी गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—नोटिस की आवश्यकता है।

*३१-३२—श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)—[हटा दिये गये।]

*३३—श्री गनेशीलाल चौधरी—[बारहवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*३४—श्री जगन्नाथप्रसाद—[हटा दिया गया।]

*३५—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—[हटा दिया गया।]

*३६—श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह—[हटा दिया गया।]

*३७—श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह—[माननीय सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण ग्यारहवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३८-४०—श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—[हटा दिये गये।]

*४१-४२—श्री रघुवीरसिंह (जिला मेरठ)—[बारहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

मुरादाबाद जिले से वृद्धावस्था पेन्शन के लिये प्राप्त पत्रों की स्वीकृति

*४३—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद से बुढ़ौती पेन्शन पाने के लिये कुल कितने प्रार्थना-पत्र आये और उनमें से कितने स्वीकार हुये हैं?

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—जिला मुरादाबाद में अब तक कुल ५२९ प्रार्थना-पत्र आये और उनमें से १९९ पेंशन के लिये स्वीकृत हुए।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो शेष प्रार्थना-पत्र रह गये हैं वे खारिज हो चुके हैं अथवा अभी विचाराधीन हैं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जो ५२९ प्रार्थना-पत्र जिलाधीश के पास आये थे उनमें से २९६ जिलाधीश द्वारा अस्वीकृत हो चुके हैं, २१ विचाराधीन हैं, २१२ उन्होंने श्रमायुक्त को भेजे, १९९ पर उन्होंने फैसला दे दिया, ९ अस्वीकृत कर दिये गये, ४ पर कार्यवाही चल रही है।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि अभी तक कुछ प्रार्थना-पत्र जिला स्तर पर ही कानूनगो और तहसीलदारों के यहां विचाराधीन हैं? उनको शीघ्र मंगवाने की कृपा करेंगे?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—वह तो खुद ही भेजते जाते हैं, हमारे अफसरों को समझाने की आवश्यकता नहीं होता, वे स्वयं ही कर्त्तव्य पालन करते रहते हैं।

*४४-४५—श्री भगौतीप्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—[हटा दिये गये।]

*४६-४७—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—[हटा दिये गये।]

*४८—श्री गरीब दास (जिला जालौन)—[हटा दिया गया।]

*४९—श्री नागेश्वर प्रसाद (जिला जौनपुर)—[बारहवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*५०—श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)—[न्याय मंत्री से सम्बन्धित, दसवें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५१-५३—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—[हटा दिये गये।]

*५४-५५—श्री बुद्धीसिंह (जिला मुरादाबाद)—[बारहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*५६-५७—श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद)—[बारहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*५८-५९—श्री रामसनेही भारतीय (जिला बांदा)—[बारहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

बस्ती जिले में काम दिलाऊ दफ्तर खोलने पर विचार

*६०—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—क्या सरकार जिला बस्ती में काम दिलाऊ दफ्तर खोलने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस पर विचार हो रहा है।

*६१—श्री रामलखन मिश्र—यदि हां, तो कब तक ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामलखन मिश्र—क्या आदरणीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस प्रदेश में बस्ती जिला क्षेत्रफल और जन संख्या की भी दृष्टि से सब से बड़ा जिला है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—प्रदेश की सरकार के सामने बस्ती का यह नक्शा हमेशा उपस्थित रहता है।

*६२—श्री गयाप्रसाद (जिला प्रतापगढ़)—[हटा दिया गया।]

*६३—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—[हटा दिया गया।]

*६४—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—[हटा दिया गया।]

बलिया जिले में गंगा के कटान में आये ग्रामवासियों की सहायता

*६५—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—क्या यह सही है कि जिला बलिया में गंगा की हाल की कटान से हल्दी, डांगर-वाद और रुद्रपुर ग्रामों के लगभग दो सौ घर गंगा में विलीन हो गये हैं ? यदि हां, तो इन तीनों ग्रामों में कितनी क्षति हुई है ?

श्री रामस्वरूप यादव— जी हां, यह सही है। उक्त ग्रामों में अनुमानतः ७५,५०० रुपये की क्षति हुई है।

श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि २०० गांव जो गंगा के कटाव में बह गये हैं इन लोगों को कहां बसाया गया है और अब तक उन्हें कितनी सहायता दी गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव— हल्दी क्षेत्र के किसानों के आवास के लिये सुल्तानपुर में भूमि प्राप्त करने को तय किया गया है। बेलहरी रुद्रपुर क्षेत्र वालों के लिये स्थान की खोज की जा रही है। कोटअजीरपुर क्षेत्र में आवास का कोई विशेष प्रश्न नहीं है। मेलान्ड दबहड़ रेपुरा क्षेत्र में कोई विशेष बात नहीं है। जहां तक तकावी का प्रश्न है, २,४१० रुपये हल्दी क्षेत्र में, ३,८१० रुपये बेलहरी रुद्रपुर क्षेत्र में, ५५० रुपये कोटअजीरपुर क्षेत्र में हैं। इसके अतिरिक्त कुछ चना और मिट्टी का तेल भी दिया गया है।

श्री गंगाप्रसादसिंह— क्या यह सही है कि ७५,५०० रुपये की क्षति में वह जूनियर हाई स्कूल तथा उसका होस्टल जिसकी कीमत ३०,००० रुपये के लगभग है सम्मिलित नहीं किये गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—सूचना की आवश्यकता है।

श्री गंगाप्रसादसिंह—वह स्कूल गंगा की कटान में बह गया है, तो क्या सरकार वहां के लड़कों की पढ़ाई के लिये कोई प्रबन्ध करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—यदि ऐसा होगा तो इस पर अन्तरिम जिला परिषद् अवश्य विचार करेगी।

*६६—**श्री मलिखानसिंह** (जिला मैनपुरी)—[हटा दिया गया।]

*६७-६८—**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर)—[हटा दिये गये।]

*६९—**श्री मुनीन्द्रपालसिंह** (जिला पीलीभीत)—[हटा दिया गया।]

*७०—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—[हटा दिया गया।]

रामपुर जिले में रामगंगा के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में सहायता देने की प्रार्थना

*७१—**श्री कल्याणराय** (जिला रामपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर जिले में रामगंगा से इस बरसात में बाढ़ आने के कारण अब तक कितनी फसल नष्ट हुई और सरकार ने इन बाढ़-पीड़ित किसानों के लिये क्या-क्या इमदाद दी ?

श्री रामस्वरूप यादव—रामपुर जिले में राम गंगा नदी की बाढ़ से ३४० एकड़ क्षेत्र में फसल को हानि हुई। बाढ़ दरिया के पेटे में ही रही अतः अन्य कोई हानि नहीं हुई। अहेतुक सहायता आदि की आवश्यकता नहीं समझी गयी। दवाइयां आदि की जहां आवश्यकता थी वितरित की गयीं।

श्री कल्याणराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कौन-कौन फसलों को हानि हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव—धान, मिर्च और मक्का को।

श्री कल्याणराय—जब इतनी हानि हुई तो ज्यादा सहायता क्यों नहीं दी गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—बाढ़ दरिया के पेटे में ही रही थी, इसलिये सहायता देना आवश्यक नहीं समझा गया।

*७२—**श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला हरदोई)—[हटा दिया गया।]

*७३-७५—**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)—[हटा दिये गये।]

आगरा जिले की फतेहाबाद तहसील में वर्षा-पीड़ितों को सहायता

*७६—**श्री लक्ष्मीनारायण बंसल** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील फतेहाबाद (आगरा) में जुलाई व अगस्त सन् १९५८ की बारिश से कितनी हानि हुई है और क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में वहां के निवासियों को सहायता देने का कुछ प्रबन्ध किया है ? यदि हां, तो क्या ?

वित्त मन्त्री (श्री चरणसिंह)—अपेक्षित सूचना संलग्न तालिका में दिखा दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९७ पर)

*७७—**श्री विश्राम राय** (जिला आगमगढ़)—[हटा दिया गया।]

*७८—**श्री भजनलाल**—[हटा दिया गया।]

अतारांकित प्रश्न

१—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—[हटा दिया गया।]

सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि श्री सैयद जरगाम हैदर लखनऊ में २३ सितम्बर को दफा १५१, जाब्ता फौजदारी, में गिरफ्तार हुए हैं। श्री रघुवीर सिंह जी, (एटा), २३ सितम्बर को दफा १०७—११७, जाब्ता फौजदारी, में गिरफ्तार हुए हैं। श्री मुल्ला प्रसाद हंस २३ तारीख को १६१, इंडियन पीनल कोड, के अन्तर्गत गिरफ्तार हुए हैं।

ऐडीशनल सेशन्स जज सीतापुर, द्वारा दर्शक दीर्घा रजिस्टर की मांग के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना और देना चाहता हूं कि ऐडीशनल सेशन्स जज, सीतापुर, से एक वायरलेस संदेश १७ सितम्बर, ५८ को प्राप्त हुआ था, जिसमें एक सेशन्स के मामले के सम्बन्ध में ११ व १२ फरवरी, १९५८ से सम्बन्धित दर्शक दीर्घा का रजिस्टर तथा सम्बद्ध सहायक को २० सितम्बर को अदालत में बुलाया गया था। बाद को एक दूसरे वायरलेस सन्देश द्वारा पेशी की तिथि २२ सितम्बर, ५८ कर दी गई थी। माननीय अध्यक्ष ने इस मामले को २२ सितम्बर, ५८ को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया। समिति ने अपनी दिनांक २४ सितम्बर, ५८ की बैठक में इस मामले पर विचार किया और समिति यह सिफारिश करती है कि उक्त रजिस्टर तथा जिस अधिकारी को भी माननीय अध्यक्ष निर्देश दें उक्त अदालत में भेजे जायं। मैं इस पर सदन की राय ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि सदन विशेषाधिकार समिति की सिफारिश को स्वीकार करता है कि दर्शक दीर्घा रजिस्टर तथा जिस अधिकारी को माननीय अध्यक्ष निर्देश दें एडीशनल सेशंस जज, सीतापुर, की अदालत में भेजे जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन की आगामी बैठक के सम्बन्ध में जानकारी

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन से मैं यह जानकारी चाहता हूं कि जब यह सेशन २५ तारीख को उठ रहा है तो इसका अगला अधिवेशन कब बैठेगा।

मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अगली बैठक १७ नवम्बर को होगी।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—वर्तमान बैठक कब तक चलेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्रीमन, पहले मैंने निवेदन किया था कि २५ तारीख को यह बैठक खत्म हो जायगी लेकिन कुछ काम जरूरी रह गये हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि २६ तारीख तक बैठक होगी, यानी परसों बैठक खत्म हो जायगी।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस दिन एलान किया था कि २६ तारीख को बारावफात है इसलिये उस दिन बैठक बन्द रहेगी, तो क्या उस दिन सेशन होगा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—चन्द्रमा की गति के आधार पर बारावफात २६ तारीख को नहीं है बल्कि २७ तारीख को है।

श्री अध्यक्ष द्वारा विभिन्न दलों से सहयोग की अपील

श्री अध्यक्ष--अब मैं एक निवेदन आपके सामने करना चाहता हूं । परसों आदरणीय सदन की बैठक जो उठ कर १७ नवम्बर तक के लिये स्थगित होगी, उसके पहले मुझे कुछ निवेदन करना है । इस सदन के कुछ स्वतंत्र सदस्यों को छोड़कर अन्य विरोधी दलों ने प्रस्तुत सत्र के अन्त तक के लिये सदन की बैठकों का वहिष्कार कर दिया है । किन्हीं परिस्थितियों से और घटनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने पार्लियामेंटरी जनतांत्रिक पद्धति जो विचार विनिमय के द्वारा शासन चलाने की सर्वमान्य वैध पद्धति है, उसका अतिक्रमण करके शासन का प्रत्यक्ष क्रियात्मक विरोध भी उन दलों द्वारा प्रारम्भ होगया । ऐसी परिस्थिति और घटनायें सब के लिये बड़ी ही खेदजनक हैं और मेरे लिये तो विशेषतः । इस सदन की भावना तथा रूप से तादात्म्य रख कर अनन्य भाव से उनसे मैं सम्बद्ध हूं । इसका वामांग अधिकांश बिछुड़ कर यदि उक्त स्थानों को सूना रखे, चाहे थोड़े ही दिनों के लिये क्यों न हो, उससे मेरे हृदय में किस प्रकार की वेदनायें रहती होंगी, इसका आप सब अहसास करें । मैं किसी को क्यों दोष दूं, मेरी ही तपस्या और सेवा में शायद कुछ त्रुटि रही हो ।

क्रियात्मक विरोध प्रदेश में प्रारम्भ होने पर मुझे प्रतीत होता था कि सब से सहयोग के लिये मार्ग दर्शन काफी अरसे तक सम्भव न हो सकेगा परन्तु आदरणीय श्री राज्यपाल की तारीख १८ सितम्बर की अपील जिन सौहार्द्रपूर्ण शब्दों में की गयी उसकी प्रतिक्रिया जब सभी जिम्मेदार और समझदार दलों पर अच्छी पड़ी और सहयोग का मार्ग पुनः ढूढ़ने का विचार उक्त दल करने लगे तो पुनः शीघ्र विचार-विनिमय द्वारा पार्लियामेंन्टरी वैध पद्धति का मार्ग सभी विरोधी दल फिर से अपना कर सदन का वाम भाग भर जावेगा, यह मुझे आशा उत्पन्न हुई । राज्यपाल की उस अपील से मैं पूर्ण रूपेण सहमत हूं और उसका समर्थन करता हूं । बेकारी और अन्नाभाव की समस्या इस गरीब देश में सभी दलों और जनता के सभी अंगों के सहयोग से ही हल हो सकती है और उसे राष्ट्रीय संकट समझ कर लड़ाई के स्तर पर ही हल करना उचित होगा । अब प्रश्न यह है कि यद्यपि जनता सब दलों के सहयोग को इस प्रकार वांछनीय समझती है पर आन्दोलन के चलते हुए सहयोग के लिये शान्ति का वातावरण उत्पन्न करने या कराने के लिये पहला कदम कौन उठाये ? पिछले पांच दिनों में कुछ दलों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने सब दलों को मिलाकर विचार के लिये सहूलियत देने का शासन से आग्रह किया । वह सुझाव शासन ने अव्यवहार्य समझा । जबकि हर दल की मांगें, लक्ष्य, साधन और आन्दोलन की प्रक्रिया सभी भिन्न रही हैं तो आन्दोलन स्थगित करके शान्तिपूर्ण वातावरण लाने के लिए एक-वाक्यता कहां तक सम्भव है इसकी शासन को आशंका होना स्वाभाविक है और यदि ऐसा प्रयत्न असफल रहा तो अभी जो वैधानिक समस्या गम्भीर प्रतीत होती है उससे कहीं अधिक जटिल और गम्भीर वह हो सकती है । प्रतीत होता है ऐसी भिन्नता के सामने शासन खतरा मोल लेना उचित नहीं समझता यद्यपि उसकी भी भावना और इच्छा यह है कि सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया जाय । दूसरा प्रश्न यह उठता है कि इस परिस्थिति में पहला कदम कौन और किस प्रकार उठावे । इस प्रश्न से सभी विरोधी दलों और सरकार की प्रतिष्ठा का सम्बन्ध आता है । यह कहना सरल है कि प्रतिष्ठा का कोई खयाल न किया जाय, पर वास्तविकता को इतनी आसानी से दूर नहीं हटाया जा सकता है । साधारण व्यक्ति, कमजोर से कमजोर व्यक्ति या दल अपनी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के खयाल में बंधा रहता है । सभी राष्ट्रपिता, पूज्य गान्धी जी या बिनोबा जी की तरह अनासक्ति योग की ऊंची मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं हैं । यह आदरणीय सदन भी अपनी प्रतिष्ठा और अनुशासन के बल पर अपना कार्य शान्तिपूर्वक चलाता है और उसे कायम रखना अपना परम पुनीत कर्त्तव्य समझता है । इसलिए मार्ग वही उचित होगा और कदम वही उठाना ठीक होगा जिसमें सफल होने पर भी खतरा कम हो और जो प्रथम कदम उठावे या जो रेस्पांस उस कदम पर किसी दल से प्राप्त हो उनसे किसी दल की प्रतिष्ठा पर कम से कम आघात हो सके । एसी परिस्थिति में मैं अपना यह कर्त्तव्य

समझता हूं कि जनता और सभी जिम्मेदार दलों की जो सहयोग की सद्भावना है उसे क्रियात्मक रूप किस प्रक्रिया से देना सम्भव है उसे मैं आदरणीय सदन के सामने रक्खूं । सभी दलों से एक साथ सहयोग की चर्चा करके असफलता मिलने की सम्भावना होती तो मैं उसका बड़ी प्रसन्नता से स्वागत करता । पर जब वह तरीका अव्यवहार्य दिखाई दिया तब मैं पार्लियामेंटरी पद्धति में ऐसी अवस्थाओं में जो अन्य देशों में प्रक्रिया सफलतापूर्वक अपनायी जाती है उसी तरफ संकेत करूंगा । यों तो हम सभी चुने हुए जनता के प्रतिनिधियों पर जिन्होंने देश के संविधान पर चलने की शपथ ली है उन्हें इस पार्लियामेन्टरी पद्धति की सीमा में रहना और उसकी प्रतिष्ठा कायम करने की जिम्मेदारी है परन्तु सबसे अधिक जिम्मेदारी बहुमत दल जिस पर कि शासन की जिम्मेदारी पड़ती है और वह विरोधी दल यानी मुख्य विरोधी दल जिस दल के नेता को हम नेता विरोधी दल कहते हैं उन दो दलों के ऊपर और उनके नेताओं पर ही विशेषकर है और उनका ही, ऐसी आशाजनक सहयोग की भावना जागृत होने पर, यह कर्त्तव्य होता है कि उनमें से कोई भी पहला कदम, चाहे वह साधारण जेस्चर के रूप में ही क्यों न हो, उसे उठाकर क्रम से सभी विरोधी दलों में सहयोग करने का मार्ग प्रशस्त करें । इस प्रक्रिया में किसी दल को अपना अपमान समझने की बात नहीं है । फिर जो इस राष्ट्रीय संकट में सहयोग देना उचित समझते हैं, नेता सदन और नेता विरोधी दल, उनके लिये भी पूर्ण सुविधा अवश्य ही उत्पन्न किया करते हैं । यह प्रक्रिया अन्य देशों में भी प्रतिष्ठित है । नेता विरोधी दल इस समय बंदी हैं, ऐसी अवस्था में पहला कदम उनकी ओर से उठाने का जिक्र करना भी अनुचित ही होगा, वह कदम सरकार की ओर से नेता सदन ही उठा सकते हैं । यदि नेता विरोधी दल को अपनी पार्टी के सदस्यों से परामर्श कर के परिस्थिति पर पुनर्विचार कर के सरकार से बातचीत करने का अवसर प्राप्त होता है तो मुझे विश्वास है कि सदन के नेता और नेता विरोधी दल इस आशाजनक सहयोग की हवा में जबकि जनता सबका सहयोग वांछनीय समझती है, ऐसा सहयोग का रास्ता प्रशस्त करेंगे कि क्रम से और शीघ्र ही सब दलों का सहयोग प्रस्तुत अन्न की समस्या हल करने में प्राप्त हो सकेगा और सदन का कार्य सभी ओर की बेंचें पूर्ववत भरकर प्रारम्भ हो सकेगा । मैं केवल एक संकेत अवश्य करना चाहता हूं कि सहयोग की भावना का उद्गम हृदय से होता है, इस कारण विचार-विनिमय के पश्चात सरकार अगर पहला कदम उठाती है तो उसमें उसे प्रतिष्ठा भंग होने का सब से कम खतरा है क्योंकि उसने शान्ति, सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था कायम रखने में और अन्न संकट में, अन्न के वितरण से, जनता को सक्रिय लाभ पहुंचाने में सफलता भी प्राप्त कर ली है और खरीफ की फसल आने पर तो अन्नाभाव का संकट तात्कालिक टलता हुआ दिखाई देता है पर बेकारी और अन्नाभाव की समस्या का स्थायी रूप से हल करने के लिये भी सब का सहयोग वांछनीय है । इस कारण भी जब सरकार इतनी मजबूत है तो उसी को प्रथम कदम उठाना उचित होगा और इससे उसकी प्रतिष्ठा कम न होगी और मेरी राय में तो उसकी कीर्ति इससे बढ़ेगी ही । म सभी विरोधी दलों से ऐसी अपेक्षा करता हूं कि इस प्रक्रिया पर यदि कार्य प्रारम्भ हुआ तो सभी के हित में उसकी सफलता होने की प्रतीक्षा करें और अन्न की समस्या को हल करने में जिन बातों में मतैक्य हो उन्हीं से ही सहयोग का कार्य प्रारम्भ करें क्योंकि एक बार सक्रिय सहयोग आरम्भ होने पर उसका विस्तार और क्षेत्र बढ़ता ही जाता है । इस विषय में मैं श्री भगवद्गीता के दो एक श्लोक संकेतात्मक रूप में पढ़ कर सभी दलों से अपील करता हूं कि श्री राज्यपाल की अपील पर पुनर्विचार करके सहयोग के लिये जो आवश्यक प्रक्रिया मैंने बताई है उसके अनुसार प्रारम्भिक कदम उठावें ।

१—"नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतोभयात् ॥"

२—"पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ।
नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति ॥"

[श्री अध्यक्ष]

पहले का अर्थ यह है कि जो शुभ कार्य प्रारम्भ करता है, उसके प्रारम्भ किये हुए काम का नाश नहीं होता, वह नष्ट नहीं होता। "प्रत्यवायो न विद्यते", उसमें कोई अड़चन या बाधा या बुराई भी नहीं पैदा होती। धर्म के या कर्त्तव्य के रास्ते पर कोई थोड़ा सा भी चले तो उससे बड़े से बड़ा संकट टाला जा सकता है।

दूसरा है, "पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति"। यह उस प्रसंग पर कहा गया कि कहीं कोई योगभ्रष्ट हो जाय योगसाधना करते हुए तो उसका क्या नतीजा होगा, कहीं विनाश तो नहीं हो जायगा ? यानी यह अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा कि यदि कोई प्रयत्नशील आदमी किसी अच्छे काम में हाथ डालता है और असफल हो जाता है तो क्या परिणाम होता है। उसका उत्तर कृष्ण भगवान् देते हैं कि हे पार्थ ! न तो इस लोक में और न परलोक में उसका नाश हो सकता है। जो कल्याण करने वाला है, कल्याण की तरफ कदम उठाने वाला है, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है।

इन शब्दों के साथ मैं यही प्रार्थना करता हूं कि सदन में तथा प्रदेश में पुनः पूर्ववत् परिस्थिति उत्पन्न हो इसके लिये आवश्यक कदम सभी लोग उठायेंगे और श्री राज्यपाल की जो अपील है उसको मूर्त-रूप देने में सक्रिय सहयोग देंगे। यही मेरी आशा है।

*मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस बात को कहने की आवश्यकता न होनी चाहिये कि कोई गवर्नमेंट इस बात को पसन्द नहीं करती कि उसके राज्य क्षेत्र के भीतर अशान्ति की परिस्थिति उत्पन्न हो जिससे कि वह जनता की सेवा करने के जो भी प्रयत्न करना चाहती है उनमें बाधा पड़े। यह भी स्पष्ट है कि जैसा कि अभी आपने कहा, अन्न हो या कोई और प्रश्न हो, यदि हमारे सामने कोई टेढ़े प्रश्न हैं तो उनका सुलझाव यदि युद्धस्तर पर किया जा सके तो बहुत अच्छा है और ऐसा करने से सफलता की अधिक सम्भावना होगी, लेकिन युद्धस्तर पर काम करने का यह अर्थ नहीं हो सकता कि हम समस्याओं से लड़ने के बदले आपस में ही युद्ध करने लगें। जब किन्हीं कारणों से कुछ लोग अशान्ति का वातावरण उत्पन्न कर देते हैं तो फिर सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि, चाहे वह कर्त्तव्य कितना ही कटु क्यों न हो, सभी वैध उपायों से उस अशान्ति के वातावरण को दूर करे और उस शान्त वातावरण को कायम करे और कायम रखे जिसमें कि उन्नति के, प्रगति के तथा कठिनाइयों को दूर करने के प्रयत्न सफल हो सकते हैं। जैसा कि आपने अभी कहा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के सामने यह कर्त्तव्य उपस्थित हो गया है और प्रदेश की जनता के सहयोग से हम शान्ति को कायम रखने में समर्थ हुए हैं। जनता ने इस बात को पूरे तौर से स्पष्ट कर दिया है कि उसको उन लोगों के साथ रत्ती भर सहानुभूति नहीं है जो अन्न संकट को दूर करने के नाम पर प्रदेश में किन्हीं राजनीतिक उद्देश्यों की सिद्धि के लिये अशान्त वातावरण उत्पन्न करने का प्रयत्न करते रहे हैं। जो भी प्रश्न हमारे सामने हों उनका हल तो जनतांत्रिक ढंग से ही होना चाहिये और हो सकता है।

आज से कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री जी की तरफ से एक अपील निकली थी। फिर हमारे राज्यपाल, श्री गिरि, की ओर से एक दूसरी अपील निकली और आज अभी आपने अपने शब्दों में उसी आशय की एक अपील उपस्थित की है। मैं ऐसी आशा करता हूं कि इन अपीलों का असर लोगों पर पड़ा होगा और जो अब तक अशान्ति के पथ पर चल रहे हैं वे फिर से विचार करेंगे और इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि उनको अपना मार्ग बदलना चाहिये। विशेष रूप से हमको ऐसी आशा करनी चाहिये कि वह दल जिसका आपने विशेष रूप से उल्लेख किया है जो कि इस सदन में मुख्य विरोधी दल है और इस कारण जिसके ऊपर विशेष जिम्मेदारी है, मैं ऐसी आशा करता हूं कि वह दल और उसके नेता जरूर आपकी अपील के शब्दों पर गौर करेंगे और अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां तक हमारी बात है, इस वक्त किसी से कोई खास विचार-विनिमय या किसी प्रकार के नेगोशियेशन की आवश्यकता तो हमको प्रतीत नहीं होती, लेकिन आपने जो कुछ कहा है निश्चय ही उसका बहुत बड़ा महत्व है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम उस पर गंभीरता से विचार करेंगे और यथाशक्ति आपकी इच्छा को कार्यान्वित करने के प्रश्न पर विचार करेंगे।

२६ सितम्बर १९५८, को सरकारी कार्य करने हेतु संकल्प

वित्त मन्त्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक नया प्रस्ताव पेश कर रहा हूं। एजेंडे में वह नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैं पूछ लूंगा; किसी को आपत्ति न हो तो आज लूंगा, नहीं तो कल लूंगा।

श्री चरणसिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम १८ के अधीन २६ सितम्बर, १९५८, को, जो कि इस माह का चौथा शुक्रवार है, असरकारी कार्य को प्राथमिकता होगी। परन्तु जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८, को शीघ्र पारित करने हेतु सदन यह निश्चय करता है कि उस दिन सरकारी कार्य किया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि किसी को आपत्ति तो नहीं है।

(कोई आपत्ति नहीं की गयी।)

प्रश्न यह है कि विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १८ के अधीन २६ सितम्बर, १९५८, को जो कि इस माह का चौथा शुक्रवार है, असरकारी कार्य को प्राथमिकता होगी परन्तु जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८ को शीघ्र पारित करने हेतु सदन यह निश्चय करता है कि उस दिन सरकारी कार्य किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—अध्यक्ष महोदय, जो असरकारी दिन लिया जा रहा है यह आगे के लिये ड्यू रहेगा?

श्री अध्यक्ष—जी हां। दो दिन वाजिब हो गये हैं। एक दिन पहले का बाकी है।

*उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५८ (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—वित्त मंत्री जी के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय, इस पर मैं संशोधनों को लूंगा।

श्री लालबहादुरसिंह (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५८ दोनों सदनों की एक सयुंक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तथा प्रवर समिति को इसकी परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

*१९ सितम्बर, १९५८ की कार्यवाही में छपा है।

†२३ सितम्बर, १९५८ की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ३ का संशोधन ।

२—मूल अधिनियम की धारा ३ में—

(१) खंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(१) 'सहायक चकबन्दी अधिकारी' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन सहायक चकबन्दी अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये इस स्थिति में नियुक्त करे ।"

(२) खंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(२) 'चकबन्दी' का तात्पर्य एक कटक की जोतों की विभिन्न खातेदारों के बीच इस प्रकार पुनर्व्यवस्था करने से है जिससे कि उनके अपने-अपने खाते अधिक संहत हो जायं ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिये, जोत के अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं हैं :

(१) वह भूमि जो धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति जारी होने के ठीक पहले के कृषि-वर्ष में बाग थी ;

(२) वह भूमि जिसमें बाढ़ का पानी आया करता हो तथा जिसमें अत्यधिक कटाव होता हो;

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१।

(३) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १३२ में उल्लिखित भूमि ;

(४) ऐसे संहत क्षेत्र जो सामान्यतः दीर्घकाल तक जल-प्लावित रहते हों;

(५) ऊसर, खल्लर तथा रिहला के गाटों से बना कोई संहत क्षेत्र, जिसमें उस क्षेत्र के अन्दर की कृषि भूमि भी है ;

(६) पान, गुलाब, बेला, चमेली-वर्ग (Jasmine) तथा केवड़ा उपजाने के लिये प्रयुक्त भूमि; तथा

(७) ऐसे अन्य क्षेत्र जिन्हें चकबन्दी संचालक चकबन्दी के प्रयोजन के लिये अनुपयुक्त प्रख्यापित करे ।"

(३) खंड (२) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (२-१-क) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(२-१-क) 'चकबन्दी-क्षेत्र' का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसके लिये धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति जारी की जा चुकी हो, किन्तु इसमें उसके वे भाग सम्मिलित न होंगे जिन पर १९५० ई० के जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के उपबन्ध लागू न हों ।"

उ०प्र० अधिनियम १, १९५१।

(४) खंड (२-क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(२-क) 'चकबन्दी समिति' का तात्पर्य उस समिति से है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियत रीति से संघटित की जाय।"

(५) खंड (२-क) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (२-ख) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(२-ख) 'चकबन्दी लेखपाल' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन चकबन्दी लेखपाल के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये इस स्थिति में नियुक्त करे, तथा चकबन्दी क्रियाओं के अधीन क्षेत्रों में यू०पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अधीन नियुक्त लेखपाल भी इसके अन्तर्गत है।" यू० पी० ऐक्ट १, १९०१।

(६) खंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(३) 'चकबन्दी अधिकारी' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन चकबन्दी अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये इस स्थिति में नियुक्त करे।"

(७) खंड (३-क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(३-क) 'चकबन्दी-कर्त्ता' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन चकबन्दी-कर्ता के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये इस स्थिति में नियुक्त करे।"

(८) खंड (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(४) 'चकबन्दी संचालक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन चकबन्दी संचालक के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये इस स्थिति में नियुक्त करे और अतिरिक्त चकबन्दी संचालक तथा संयुक्त चकबन्दी संचालक भी इसके अन्तर्गत है।"

(९) खंड (४) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (४-क), (४-ख) तथा (४-ग) के रूप में बढ़ा दिये जायं—

"(४-क) 'उप-संचालक चकबन्दी' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार चकबन्दी संचालक के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये इस स्थिति में नियुक्त करे, जो उसे राज्य सरकार द्वारा सौंपे जायं तथा जिला उप-संचालक चकबन्दी और सहायक चकबन्दी संचालक भी इसके अन्तर्गत हैं।"

"(४-ख) 'जिला उप-संचालक चकबन्दी' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो तत्समय जिले का कलेक्टर हो।"

"(४-ग) 'जोत' का तात्पर्य भूमि के ऐसे भाग अथवा भागों से है जो किसी खातेदार द्वारा अकेले अथवा अन्य खातेदारों के साथ संयुक्त रूप में एक खाते के अधीन अधिकृत हो।"

(१०) खंड (५) में शब्द "और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है" तथा उनके पश्चात् आने वाले "कोलन डैश" के स्थान पर "पूर्ण विराम" रख दिया जाय और उसके बाद के उप-खंड (क) तथा (ख) निकाल दिये जायं।

(११) खंड (८) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(८) किसी लेख्य के संबंध में 'कटक में प्रकाशन' या 'कटक में प्रकाशित करना' का तात्पर्य डुग्गी पीटकर पूर्वसूचित दिनांक पर किसी कटक में उस लेख्य को पढ़कर सुनाने तथा कटक में डुग्गी पीट कर अथवा अन्य किसी रूढ़िगत ढंग से इस तथ्य की घोषणा करने से है कि किसी निश्चित स्थान तथा समय पर वह लेख्य सार्वजनिक निरीक्षण के लिये उपलब्ध है:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कटक के लिये चकबन्दी समिति संघटित हो गई हो तो उक्त समिति के प्रत्येक सदस्य को इस प्रकाशन के तथ्य की अलग-अलग सूचना भी दी जायगी।"

(१२) खंड (९) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(९) 'बन्दोबस्त अधिकारी-चकबन्दी' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये इस स्थिति में नियुक्त करे तथा अतिरिक्त बन्दोबस्त अधिकारी-चकबन्दी एवं सहायक बन्दोबस्त अधिकारी-चकबन्दी भी इसके अन्तर्गत हैं।"

(१३) खंड (११) में शब्द "यदि प्रसंग से कोई अन्य तात्पर्य न निकलता हो तो" तथा "उसका अधिवासी और" निकाल दिये जायं।

(१४) खंड (११) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (११-क) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(११-क) 'कटक' का तात्पर्य ऐसे गांव या उसके भाग से है और, यदि चकबन्दी संचालक सरकारी गजट में प्रकाशन द्वारा यह विज्ञापित करे तो, ऐसे दो या अधिक गांव अथवा उनके भागों से है, जिसके या जिनके लिये चकबन्दी की एक ही योजना बननी है।"

(१५) खंड (१२) में—

(१) उप-खंड (क) में आने वाले अंक तथा शब्द "१९०१ में" तथा "पारिभाषित" के बीच में शब्द "प्रयुक्त अथवा" बढ़ा दिये जायें,

(२) उप-खंड (ख) में आने वाले शब्द "किन्तु जिनकी परिभाषा १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में की गयी है" के स्थान पर शब्द "किन्तु जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में प्रयुक्त अथवा पारिभाषित हैं" रख दिये जायं; तथा

(३) अंतिम पंक्ति में आने वाले शब्द "जिनमें वे" तथा "पारिभाषित हैं" के बीच में शब्द "इस प्रकार प्रयुक्त या" बढ़ा दिये जायं।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (२) के स्पष्टीकरण के भाग (५) की पंक्ति १ में शब्द "ऊसर" तथा शब्द "खल्लर" के बीच में शब्द "भीटा" रख दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इसमें कहा गया है कि ज्यादातर लोग चकबन्दी से इसलिये असंतुष्ट रहते हैं कि उन्हें अच्छे खेतों के बदले खराब खेत मिल जायेंगे। जमींदारी उन्मूलन के बाद कुछ जमींदारों ने भीटे तथा टीले पर भी कब्जा कर लिया है। अगर चकबन्दी होने लगेगी तो ऐसा संदेह है कि भीटा और टीले दूसरे के चक में चले जायेंगे और उन्हें अच्छे खेत मिल जायेंगे। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि इन शब्दों के बीच में मंत्री जी इसको भी रख लेंगे।

***वित्त मन्त्री (श्री चरणसिंह)**—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय माताप्रसाद का जो मतलब है उससे सहमत हूं कि इस तरह की भीटे की जमीन चकबन्दी में शामिल नहीं होनी चाहिये और न की जा सकती है। इस तरह की जमीनें होल्डिंग्स में या जोतों में शामिल नहीं होती हैं। उनका मतलब शायद तालाब वगैरह के पास जो ऊंची जमीन होती है, उससे है। वैसे जहां तक पानी के भीटा से जो संबंध है वह जोत की परिभाषा से निकाली जा रही है। तालाब के पास कोई जमीन ऐसी हो, ऊंची हो, भीटा कहलाती हो, वह जोतों में आम तौर पर शामिल नहीं होगी। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि कुछ जमींदारों ने, संभव है कि इस तरह की जमीन की जमींदारी विनाश होने के डर से जोतों में लिखा लिया हो अपना रकबा बढ़ाने के उद्देश्य से, तो ऐसे केसेज बहुत कम होंगे और डाइरेक्टर को अधिकार है कि ऐसे अन्य क्षेत्र जिन्हें चकबन्दी संचालक चकबन्दी के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त प्रख्यापित करें वह जमीन भी होल्डिंग से निकाली जा सकती है। इसमें तो हमने जो बड़ी-बड़ी छः चीजें हैं वह गिनायी हैं। उनके लिये हमने रख दिया कि यह होल्डिंग्ज में शामिल नहीं होंगी। अगर छोटी-मोटी चीजों को गिनना चाहेंगे तो लिस्ट पूरी ही नहीं हो सकती। फिर भी अख्तियार लेना पड़ता है और लिस्ट बहुत लम्बी हो जाती। इसलिये मैं यह समझता हूं कि माननीय माताप्रसाद जी मुझसे सहमत होंगे। इस संशोधन की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत कम केसेज होंगे। ऐसी जमीन होल्डिंग्स में शामिल होती नहीं है। अगर कहीं हुई तो डाइरेक्टर को अधिकार है कि अपने एग्जिक्यूटिव आर्डर से एक्सक्ल्यूड कर दे। यह लिस्ट बहुत लम्बी और काम्प्लीकेटेड हो जायगी। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मित्र को मेरे स्पष्टीकरण से संतुष्टि हो जायगी और वह अपना अमेंडमेंट प्रेस नहीं करेंगे।

श्री माताप्रसाद—माननीय मंत्री जी के स्पष्टीकरण से मैं यह समझता हूं कि यह भीटे भी चकबन्दी के अन्दर नहीं आयेंगे इसलिये मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शब्बीर हसन (जिला फतेहपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह गांव जो दरिया के किनारे हैं और उनमें जोत तो होती है लेकिन कुछ काश्तकार ऐसे हैं जो टीले या नाले जोते हुए हैं, उनमें कैसे चकबन्दी होगी ?

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, जो आज हमारा अधिनियम है उस में यह है कि जहां बाढ़ आती है या जहां जमीन का कटाव होता रहता है वह जमीन पहले से एक्सक्लूडेड है। इस तरह के गांव निकाल दिये जाते हैं। अगर कोई ऐसा गांव है जहां पर थोड़ी ही ऐसी जमीन ह जहां बाढ़ आती ह, तो वह जमीन निकाल दी जाती है। ऐसे गांवों में दो तरह के मोहाल होते हैं---मोहाल एहतमाली और मोहाल मुस्तकिली। मोहाल एहतमाली तो बिल्कुल निकाल देते हैं। मोहाल मुस्तकिली की भी अगर जमीन खराब हो और चकबन्दी न हो सकती हो तो उसको भी निकाल देते हैं। पहले अधिनियम में इस बात की गुंजाइश है। संशोधन में उसका कोई जिक्र नहीं है।

श्री शब्बीर हसन---अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये जरा और साफ करना चाहता हूं। हमारे फतेहपुर जिले में कुछ गांव ऐसे हैं जो यमुना के किनारे हैं। वहां एक काश्तकार नाला जोतता है तो दूसरा टेगरा जोतता है। कुछ जमीन ऐसी है जो पानी से कट जाती है, कुछ ऐसी है जो बहिया में चली जाती है और उनमें चकबन्दी हो रही है। उसके लिये मंत्री जी क्या कर रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---मैंने यह अर्ज किया था कि जिस जमीन में बाढ़ आती है या जिसमें कटाव होता रहता है उस जमीन को हम कंसालिडेशन आपरेशन से निकाल देते हैं। जो मौजूदा ऐक्ट है उसमें आलरेडी दिया हुआ है। जो आप अपने यहां की बात कह रहे हैं वह गांव गालिबन रामपुर है। उसमें जो मोहाल एहतमाली है उसको निकाल दिया गया है। मुस्तकिली को भी निकलवाना चाहते हैं, उसमें डिप्टी डाइरेक्टर से रिपोर्ट मांगी है, अगर गांव वाले नहीं चाहते तो उसको भी निकाल देंगे। यह तो अमल की बात है। ला बिल्कुल ठीक है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि श्री माताप्रसाद को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***श्री रघुनाथ सहाय यादव** (जिला फतेहपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५८ के खंड २ के उपखंड (२) के स्पष्टीकरण के भाग (५) की पंक्ति १ में शब्द "खल्लर" के स्थान पर शब्द "कल्लर" तथा शब्द "रिहला" के स्थान पर शब्द "रेहाला" रख दिये जाने के लिये प्रस्ताव करता हूं।

मैं समझता हूं कि यह संशोधन केवल शाब्दिक है और इसमें किसी को कोई भी एतराज नहीं हो सकता है। आशा है माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री चरणसिंह---मुझको स्वीकार है। शब्द जरा अच्छे हो गये हैं। वास्तव में शब्द "खल्लर" नहीं है "कल्लर" है और "रिहला" नहीं है "रेहाला" है।

श्री अध्यक्ष---प्रदेश भर में अलग-अलग शब्द होंगे।

श्री चरणसिंह---जी, नहीं हैं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो माननीय यादव जी ने प्रस्तुत किया है वह इस सदन की सम्पत्ति है और इस कारण मैं अपना मत प्रकट कर सकता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा विचार है कि प्रदेश में दोनों शब्द बोले जाते हैं। एक शब्द को ब्रैकेट में लिख दिया जाय क्योंकि जब दोनों ही बोले जाते हैं तो भ्रम उत्पन्न हो सकता है एक शब्द को रखने से, इसलिये दोनों ही शब्द रखे जायं तो उत्तम होगा।

श्री चरणसिंह—असल शब्द तो "कल्लर" ही है। अब कोई "कल्लर" को "खल्लर" कहने लगे तो यह तो कोई बात नहीं हुई कि सभी शब्द रखने पड़ेंगे। जो अधिक प्रयुक्त होते हैं वही शब्द रखे जाते हैं इसलिये "कल्लर" और "रेहाला" शब्द ही रखना ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष—उनका मतलब है कि एक को ब्रैकेट में कर दें ?

श्री चरणसिंह—वह ठीक नहीं रहेगा। मैं उनसे ऐग्री नहीं करता।

श्री नागेश्वर प्रसाद (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष जी, जैसा कि संशोधन में कहा गया है, वास्तव में जो प्रचलित शब्द है इसमें बड़ा अन्तर पड़ जाता है। शब्द "रेहाला" और "रेहला" से तात्पर्य उनका शायद रेह वाली जमीन से है। ऐसी भूमि को हमारे यहां रेहटा कहते हैं। तो इस तरह से तो शाब्दिक अन्तर हो ही जाता है। मेरी राय में दोनों शब्द रखे जायं। साथ ही शब्द रेहटा भी रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—तो आप क्या चाहते हैं कि "रेहटा" भी रख दिया जाय ?

श्री नागेश्वर प्रसाद—जी हां।

श्री चरणसिंह—जी नहीं, मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री रघुनाथ सहाय यादव—माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि किसी स्थान पर ऐसी गलतफहमी की आशंका हो तो मैं तो यही समझता हूं कि बहुत प्रचलित शब्द "कल्लर" है और "रेहाला" है; किन्तु ऐसी स्थिति में समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसका ज्यादा अनुभव होगा और वे जैसी भी स्थिति हो वैसा स्वीकार करें। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री चरणसिंह—मैं इसके लिये तैयार नहीं हूं। इससे कन्फ्यूजन होगा। इसमें लफ्ज आया है "गाटे" लेकिन पश्चिम में चले जाइये तो कोई "गाटे" जानता ही नहीं है। वहां लफ्ज "खेत" चलता है। यहां अधिक लफ्ज "गाटे" चलता है इसलिये "गाटे" कर दिया। वरना वैसे तो हजारों शब्द कहे जाते हैं। अलीगढ़ में कुछ और शब्द है और देवरिया में कुछ और है। इससे बड़ी मुश्किल हो जायगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (२) के स्पष्टीकरण के भाग (५) की पंक्ति १ में शब्द "खल्लर" के स्थान पर शब्द "कल्लर" तथा शब्द "रिहला" के स्थान पर शब्द "रेहाला" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नागेश्वर प्रसाद—माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खड २ के उपखंड (२) के स्पष्टीकरण के भाग ६ के पश्चात् नये भाग (६-क) तथा (६-ख) निम्न प्रकार रख दिये जायं :

"(६-क) बांस, बबूल, पलाश वाली भूमि।"
"(६-ख) निवास-स्थान वाली भूमि।"

मान्यवर, जहां पर चकबन्दी से अलग करने के लिये जोत की कुछ प्रकार की भूमि अलग की गयी है वहां कुछ इसी तरह की ऐसी भूमि छूट गयी है जिसका कि इसमें समावेश करना आवश्यक था, उसी के लिये मैंने यह संशोधन रखा है। जैसे यह चीज रखी गयी कि पानवाली जमीन, चमेली और केवड़ा की जहां पर खेती होती है उसको अलग कर दिया गया है और बागों को भी अलग कर दिया गया है। इसी तरह से यह भी ऐसी ही जमीन है,

[श्री नागेश्वरप्रसाद]

जिनका मैंने उल्लेख किया है, जिनको अलग रखना चाहिये पर अलग नहीं किया गया है। न तो ये बागों में आते हैं न उद्यान में आते हैं और न बेला, चमेली की खेती में ही आते हैं। कहीं पर ऐसी जमीन होती है कि बांस ही बांस लगा दिया जाता है। कुछ ऐसी खराब किस्म की जमीन होती है कि उसमें और कुछ पैदा नहीं होता है तो बबूल ही बबूल बो दिया जाता है। कुछ ऐसी जमीन होती है कि वहां पर ढाक का जंगल ही लगा दिया जाता है। वैसे पलाश लगाया नहीं जाता है पलाश का जंगल अपने आप हो जाता है और उसका रकबा भी कुछ बड़ा हो जाता है। ऐसी जमीन अगर चकबन्दी से बाहर न रखी जायगी तो ऐसी भूमि के खेती की जमीन के चक में आ जाने का खतरा है। इसलिये मैंने जो संशोधन रखा है मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी उसको स्वीकार करेंगे।

*श्री चरणसिंह--इसके लिये भी मेरा जवाब वही होगा जो मैंने माताप्रसाद जी को दिया था। बांस, बबूल और पलाश को अगर इसके अन्दर लाना है तो फिर नीम को क्यों न जोड़ा जाय, नीम भी होना चाहिये। नीम भी उसी तरह से जोड़ा जा सकता है, बांस, बबूल, पलाश और ढाक ही क्यों रहें। अब इसकी दो शक्ल हो सकती हैं, या तो वह एक-एक, दो-दो दरख्त हों। अगर ऐसा है तो उसको कम्पेन्सेशन मिलेगा और इनका चकबन्दी में शामिल करना कोई हर्ज की बात नहीं, या यह हो सकता है कि बहुत बड़ी तादाद में यह दरख्त इकटठे हों। अगर बहुत बड़ी तादाद में हैं तो वह तो होल्डिंग में शामिल नहीं हैं। अगर मान लीजिये कि ढाक का जंगल बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है तो वह तो जंगल हो गया और जंगल होने से गवर्नमेंट में वेस्ट हो गया। गवर्नमेंट उसको फारेस्ट डिपार्टमेंट को या गांव समाज को दे देगी। अगर वह फुल ट्रीज हैं तो वह ग्रो हो गये और हमने 'ग्रो' को इससे निकाल ही रखा है।

इसके अलावा निवास वाली भूमि जो होती है वह आमतौर पर आबादी में होती है। आगे चकबन्दी होती जायगी तो किसान अपने चक के अन्दर अपने रहने का मकान बनायेगा लेकिन आज किसान अकेला जंगल में नहीं रहता है। वहां पर अपने जानवरों को रखता है। कोल्हू वगैरा वहां जंगल में लगा लेता है। वह एक टैम्पोरेरी स्ट्रक्चर होता है। इनको अगर हम चकबन्दी से निकाल देते हैं तो इसमें कठिनाई पैदा हो जायगी और वह यह कि वह चकबन्दी में तो शामिल है नहीं। मान लीजिये उसका कोल्हू है या घेर बना हुआ है और अपने मवेशी वह रखता है। उसका रहने का मकान गांव में होगा। अगर वह चकबन्दी से बाहर निकल गया तो उसके चारों तरफ जो जमीन है वह दूसरे को जा सकती है। मकान वह उसके पास रह गया तो, क्योंकि यह चकबन्दी के बाहर है तो चकबन्दी उसके लिहाज से नहीं होगी तब उसको मकान या घेर या कोल्हू को इस्तेमाल करने में बाधा उपस्थित हो जायगी। उसके लिये इनका इस्तेमाल करना असंभव हो जायगा। उसमें झोपड़ी और कच्ची दीवार होती है तो कोशिश यह की जायगी कि जिसकी भी हो उसको दी जाय लेकिन अगर किसी वजह से जिसकी है उसको नहीं दी जा सके तो आसानी से उसको कम्पेन्सेशन दिया जा सकता है, क्योंकि उसमें पक्का मकान तो होता नहीं। इसलिये इसके निकालने से कठिनाई पैदा हो जायगी और रखने से कुछ कठिनाई नहीं है बल्कि आसानी है। उसका निवास का स्थान तो गांव में होता है। और वह अकेला जंगल में नहीं रहता और १० किसान जहां रहते हैं वह वैसे ही होल्डिंग से एक्सक्लूड हो जाता है। एक-आध आदमी अगर खेत पर रहता है तो वह होल्डिंग में इंक्लूड होता है, लेकिन वहां रहने काबिल मकान कोई बनाता नहीं। कोल्हू वगैरह होते हैं तो उसके लिये कोशिश हम करेंगे कि उसी को दिये जायं और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उसको कम्पेन्शेसन आसानी से मिल जायगा। इसलिये मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नागेश्वर प्रसाद ---माननीय मंत्री जी ने जैसा कहा, वास्तव में वैसी बात है नहीं। ढाक और बबूल के जंगल के बारे में हमारी तरफ तो ऐसा है कि वह न सरकार को गये हैं और न गांव समाज को, बल्कि जमींदारों द्वारा उनके पट्टे लिखा लिये गये हैं। ढाक के पेड़ जंगल के से होते हैं लेकिन उसको सब जगह जंगल लिखा नहीं जाता और वह जमीन खेती के काम में भी नहीं आ सकती। पता नहीं उसका क्या होगा और उसका क्या मुआविजा दिया जायगा। अगर वह किसी को दी जायगी तो वह उसको लेना नहीं चाहेगा और व्यवस्था ऐसी है कि उसको दिया जायगा। तो एक कठिनाई पड़ जाती है। बांस वाले मामले में भी यही बात है। जहांतक गृह-निवास की बात है, माननीय मंत्री जी को शंका है कि लोग खेतों में जा कर घर नहीं बनाते। हमारी तरफ काफी तादाद में ऐसे लोग हैं जो खेतों में मकान बनाये हुए हैं, २५ और ५० साल से बनाये हुए हैं, लेकिन उसका इन्दराज कागज में नहीं हुआ है और चकबंदी में ऐसा होता है कि जब उनको चक दिये जाते हैं तो उसमें उनको मकान बनाने में जो खर्च हुआ है वह पूरा नहीं दिया जा सकता। और वह अपने मकान को छोड़ना भी पसन्द नहीं करेंगे तो जिन लोगों ने अपनी जमीन पर मकान बना लिया है उनकी उतनी भूमि छोड़ देना चाहिये, नहीं तो कठिनाई आयेगी। वैसे मंत्री जी को अगर यह बात नहीं जंचती तो मुझे स्वीकार है कि मैं अपना संशोधन वापस ले लूं। लेकिन यह कठिनाई है और यह कभी न कभी मंत्री जी के सामने आयेगी और किसी दिन उन्हें इस संशोधन को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि एक बार माननीय मंत्री जी इस पर फिर विचार कर लें।

*श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, जो कठिनाई वह समझ रहे हैं उसका मुझको खयाल है, लेकिन जैसा वह चाहते हैं कि जहां मकान बना हुआ है वह चकबंदी से निकाल दिया जाय, तो वह देखें कि उसका नतीजा क्या होगा। उसका नतीजा यह होगा कि मकान का मालिक तो वही रहेगा लेकिन उसके आस पास का खेत दूसरे को दिया जा सकता है; क्योंकि उसका लिहाज फिर चकबंदी वाले क्यों करेंगे कि मकान के पास का जो खेत है वही उसको दिया जाय। वह तो चकबंदी से बाहर हो जायगा। तो मकान बना हुआ है, बाग है, पान का भीट है, बेला है चकबंदी के बाहर, अब इस के साथ उनके जेहन से यह भी बाहर हो जायगा। इसके बाद, वह मकान को ले कर करेगा क्या अगर आस-पास की जमीन उसको न मिले? रास्ता भी नहीं मिल सकता उस के लिये, वह उसको भोग भी नहीं सकता। लेकिन वह मकान, जैसा मैंने अर्ज किया, रहने वाले नहीं होते। वह होते हैं कैटिल एंक्लोजर्स। आमतौर पर ऐसा ही होगा। इसके लिये कोशिश यह की जाती है कि आस-पास की जगह ही उसको दी जाय ताकि वह उसका इस्तेमाल कर सके, लेकिन अगर वह नहीं हो पाता है तो उसका बदला दिया जाता है और उसका मुआवजा ज्यादा नहीं होता। वह दिया जा सकता है। लेकिन अगर इसको निकाल दिया जायगा तो अधिकारियों के जेहन से भी वह निकल जायगा और एक मुश्किल हो जायगी।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, जहां तक दरख्तों की बात है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि बड़े-बड़े कैसे क्षेत्रफल हैं कि जिनमें दरख्त लगे हुए हैं और वह न गांव समाज के पास आये और न गवर्नमेन्ट के पास और गांव की डेफिनीशन में भी नहीं आते हैं। बहुत कम ऐसा होगा लेकिन फिर भी मेरा आखिरी जवाब यह है कि जो आखिरी क्लाज है जिसमें लिखा हुआ है कि डायरेक्टर को यह अधिकार है कि अगर कोई ऐसा क्षेत्रफल है तो उसको निकाल भी सकता है। अगर किसी गांव में कोई ऐसी जमीन है तो माननीय मित्र उसको अधिकारियों के नोटिस में ले आयें, वह उसके बारे में नोटीफिकेशन निकाल देंगे, वह यहां कहां-कहां गिनाया जायगा।

श्री नागेश्वर प्रसाद---अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि अगर अधिकारियों का ध्यान दिलाया जायगा तो उस जमीन की व्यवस्था कर दी जायगी इसलिये मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री माता प्रसाद---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं :

"खंड २ के उपखंड (४) में प्रस्तावित धारा (२-क) की पंक्ति २ में शब्द 'नियत' के स्थान पर शब्द 'ग्राम पंचायत के सदस्यों में से गुप्त मतदान की' रख दिये जायं।"

मान्यवर, चकबंदी की सफलता के लिये इस विधेयक में एक चकबंदी समिति की व्यवस्था की गयी ह और इस चकबंदी की बहुत बड़ी सफलता चकबंदी समिति के ऊपर ही है। अगर अच्छे प्रकार से चकबंदी समिति गठित होती है तो चकबंदी भी सफल होगी। माननीय मंत्री जी ने इसमें यह व्यवस्था की है कि भूमि के पर्यवेक्षण, सर्वेक्षण, और उसका मूल्यांकन आदि जो खास-खास चीजें हैं वे चकबंदी समिति द्वारा की जायंगी। भूमि का सर्वेक्षण और उसका मूल्यांकन, ये दोनों ही मुख्य बातें हैं। इन्हीं दो बातों पर ज्यादातर झगड़े होते हैं और लोगों को परेशानी भी होती है। इसलिये यदि हम चकबंदी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चकबंदी समिति का गठन ठीक प्रकार से हमको करना चाहिये, जिस पर गांव के रहने वाले किसानों को पूरा-पूरा विश्वास हो।

लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहां चकबंदी समिति अजीब ढंग से गठित की गयी। लेखपाल ने उसका गठन किया और लोगों के सामने उन नामों को रख कर कहा कि यह चकबंदी समिति बना दी जाय और वह बना दी गयी। इसमें मेरी आपत्ति यह है कि गांव में कुछ प्रभावशाली लोग होते हैं जो कि उस चकबंदी समिति में आ जाते हैं और दूसरे लोग उनको न चाहते हुए भी, उनका विरोध नहीं कर सकते हैं और जिन लोगों को उनमें आना चाहिये वे नहीं आ पाते। इसलिये मेरा सुझाव है कि जब चकबंदी समिति बनायी जाय तो उसका मतदान गुप्त रूप से कराया जाय। वही वास्तव में गांव की सच्ची राय होगी और गांवों की चकबंदी भी अच्छी तरह से हो सकेगी तथा किसानों का लाभ भी अधिक हो सकेगा।

श्री नागेश्वर प्रसाद---अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय माता प्रसाद जी ने पेश किया है, मैं इसका विरोध करता हूं। मान्यवर, अगर चकबंदी समिति के बनाने में मतदान प्रणाली अपनायी गयी तो इससे व्यर्थ में पार्टीबन्दी हो जाने का खतरा रहेगा और बहुत सम्भव है यह भी कोशिश हो कि इस समिति में आने के लिये लोगों में इस तरह की खींचातानी मचे कि जो कमेटी बनायी जाय उसके सदस्य अपने वोटरों के पक्षपात के फेर में पड़ जायं। तो इसलिये सबसे अच्छा तरीका यह है कि अधिकारी लोगों से सलाह करके, बात करके, जैसा भी समझें एक ऐसी कमेटी सर्वसम्मति से बना दें जिस पर किसी को एतराज न हो और किसी तरह की पार्टीबंदी न हो। अगर माननीय माताप्रसाद जी के संशोधन को मान लिया जाता है तो मुझे खतरा है कि इस बात को लेकर चकबंदी तो दूर रही, गांवों में पार्टीबन्दी हो जायगी। आमतौर से नीचे दर्जे पर अब पार्टीबन्दी हो जाती है तो वह किस स्तर पर पहुंचती है, इसका बहुत कुछ आभास गांव पंचायतों के चुनावों में हम सब को मिल चुका है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस दलदल में न फंसा जाय और जो कमेटी बने उसको मतदान लेकर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है बल्कि सब की राय से बनायी जाय। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय माता प्रसाद जी इस संशोधन को वापस ले लेंगे और इसको पेश नहीं करेंगे।

*श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय नागेश्वर प्रसाद जी की राय से और उनके तर्कों से सहमत हूं। हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि "चकबंदी समिति का तात्पर्य उस समिति से है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियत रीति से संगठित की जाय," अर्थात् रूल्स बनाये जायेंगे और उन रूल्स के मातहत वह कमेटी बनायी जायगी, उसका संगठन किया जायगा। अब तक, अध्यक्ष महोदय, यही रहा है कि कन्सालिडेटर या ए०सी०ओ० गये और गांव पंचायत को दरअसल इस कमटी को बनाने का अधिकार था, यह चकबंदी समिति एक तरह से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गांव पंचायत की सब कमेटी थी। गांव पंचायत और भूमि प्रबंधक कमेटी जो अब तक थी, कन्सालिडेटर वहां गये और गांव पंचायत की मीटिंग की और अपने आप भी वहां मौजूद रहे और कह दिया कि सर्वसम्मति से कोई कमेटी बनायी जाय और न हो तो मेजारिटी, माइनारिटी बेसिस पर ही बनायी जाय। लेकिन माता प्रसाद जी चाहते हैं कि नहीं, इसके लिये बैलट बाक्स रखे जायं। अब अगर बैलट बाक्स रखे जाते हैं तो मान लीजिये कि पांच आदमियों को चुना जाना है और कैंडिडेट्स २५ हैं तो फिर उनके लिये २५ बैलट बाक्सेज रखने पड़ेंगे, तो उसमें कितना खर्चा पड़ेगा ? गांव-गांव में बैलट बाक्सेज जायेंगे, गांव-गांव में पोलिंग एजेंट्स होंगे, गांव-गांव में पोलिंग प्रेजाइडिंग आफिसर होंगे। तो यह तो अपने गांव की जिन्दगी में और अपने समाज में एक और झगड़ा डालने की बात हो जायगी। आज ही जैसा कि माननीय नागेश्वर प्रसाद जी ने कहा है कि हमारे गांवों की हालत खराब होती जा रही है और उसका मुख्य कारण मेजारिटी और माइनारिटी के आधार पर एलेक्शन होना और डिसिजन होना ही है। अध्यक्ष महोदय, प्राचीन काल में, हमारे बुजुर्गों के जमाने में कभी भी पंचायतों के फैसले बहुमत या अल्पमत के आधार पर नहीं होते थे बल्कि जनता का कंसेन्सस आफ ओपीनियन देखा जाता था और उसी के आधार पर फैसला होता था। जहां तक असेम्बली, कौंसिल व पार्लियामेंट के चुनाव की बात है, वहां तो मेजारिटी और माइनारिटी के आधार पर चुनाव होगा ही, वहां की बात तो दूसरी है; लेकिन जितने छोटे-छोटे चुनाव हों, सभापति का चुनाव हो, या मेम्बर का चुनाव हो, या किसी सब-कमेटी के सदस्यों का चुनाव करना हो, उसके लिये यूनेनिमसली चुनाव होना चाहिये। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोशिश यह होनी चाहिये कि गांवों में जो एलेक्शन हो वह मेजारिटी और माइनारिटी के आधार पर कम हो तो बहुत अच्छा है। माता प्रसाद जी को यह डर है कि इस तरह से बड़े-बड़े आदमी उन कमेटियों में आ जाते हैं, लेकिन वे तो गुप्त मतदान से भी आ सकते ह। दूसरी बात यह है कि आप सबको अपना-अपना तजुर्बा है असेम्बली के एलेक्शन का। जो हार गये वह जीतने वालों से क्या हमेशा बदतर थे ? या जो जीतकर आये हैं वह हमेशा मैन टु मैन अच्छे आदमी थे हारने वालों से? तो यह मेजारिटी, माइनारिटी और गुप्त मतदान यह एक वेस्टर्न मेथड है। हमें अपने यहां उसमें कुछ संशोधन करने होंगे और मैं समझता हूं कि जहां तक उनके बिना काम चल जाय वह अच्छा है। तो हमने रूल मेकिंग पावर रख ली है और जैसा आज तक का कांस्टीट्यूशन है हमें उसमें मेजारिटी माइनारिटी भी रखना पड़ेगा लेकिन हम बैलट बाक्स नहीं रखना चाहते। उनकी क्वालिफिकेशन भी रखनी पड़ेगी। हम यह रख देंगे कि ए० सी० ओ० या कंसालिडेटर वहां जाकर यूनेनिमिटी लाने की कोशिश करें और अगर नहीं हो सके तो मेजारिटी माइनारिटी से वह होगा। इसलिये रूल मेकिंग पावर में उसको रख लिया है।

इसके अलावा एक और आगे चलकर संशोधन है। वह यह है कि एक हरिजन जरूर रखा जाय। अब मतलब यह कि ऐक्ट में लिखना पड़ेगा कि रिजर्वेशन हो और फिर हरिजनों का अलग वोट पड़े। तो यह जो बातें हैं बैलट बाक्स और मेजारिटी और माइनारिटी और हरिजन का रिजर्वेशन, इन सबसे आखिर हम कहां जाकर रुकेंगे ? यह ठीक नहीं होगा। अब तक ये ७ से ११ मेम्बर चुने जाते थे पंचायत के या लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी के जरिये और १ से लेकर ४ मेम्बर नामिनेट किये जाते थे। तो नामिनेशन कई जगह हुआ। अगर हमको कोई हरिजन या खेतिहर मजदूर का नुमाइन्दा रखना है तो उसमें कर देंगे कि अगर कलेक्टर जरूरी समझे तो लैंडलेस लेबरर्स में से एक को नामिनेट कर दे। तो इस मामले में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिये और इस ऐक्ट को इतना काम्प्लीकेटेड कर देना कि चकबंदी कमेटी का एलेक्शन होगा उसमें रिजर्वेशन होगा, उसमें बैलट बाक्स रखा जायगा, वह मेरे खयाल से मुनासिब नहीं है और मैं समझता हूं कि माननीय माता प्रसाद जी मुझसे सहमत होंगे।

श्री माताप्रसाद---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामलखन मिश्र---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से यह संशोधन बहुत चिन्तन के पश्चात् मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका स्वरूप इस प्रकार है --

खंड २ (१०) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(१०) खंड ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

(५) 'भूमि (land)' का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो किसी के अधिकार या अध्यासन में कृषि, उद्यानकरण (horticulture) तथा पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन (pisciculture) और कुक्कुट पालन (poultry farming) भी है, से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिये हो और इसके अन्तर्गत खातेदार के मकान या अन्य तत्सम रचना (other similar structure) का स्थल (site) भी है।"

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसके अन्तर्गत एक छोटा-सा इतिहास यह है कि परिणाम ज्ञान के आधार पर इसको रखा गया है। होल्डिंग, जोत के अन्तर्गत कभी-कभी मकान बने रहते थे और ऐसा होता था कि वह मकान तो चकबंदी से बरी रहते थे और वह खेत जो था वह मिल जाता था दूसरे के चक में। तो परिणाम यह होता था कि बहुत ही बेचैनी उससे आती थी। वह कहते थे कि चकबंदी क्या हुई घर के चारों तरफ घेरा पड़ गया। तो उस ज्ञान के आधार पर यह ऐसा किया गया है कि उस जोत के अन्दर यानी होल्डिंग में जो साइट है वह भी उस भूमि में रख दिया गया है। यह इसका सार भाग है। इसका बहुत-सा स्पष्टीकरण तो माननीय मंत्री जी ने पहले ही कर दिया है। अब मैं इस पर सदन का समय नहीं लेना चाहता। मैं आशा करता हूं कि बहुत ही स्पष्ट यह हो गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, मुझको यह स्वीकार तो है, लेकिन इसकी शब्दावली में थोड़ा-सा मैं सुधार चाहता था। वह यह कि जहां आपके संशोधन में ये शब्द हैं आप देखेंगे अन्तिम से पहली लाइन में--"प्रयोजनों के लिये हो और इसके अन्तर्गत खातेदार के मकान" यह जो "के" है इसकी जगह मैं यह लपज चाहता हूं--"की जोत का भाग जो उसके"। यही शब्द पहले से मौजूद थे और चकबंदी अधिनियम में भी यही शब्द थे जो पहले हिन्दी में पास हुआ था। इसमें अन्तर कोई नहीं है, केवल हम पुराने शब्द इसलिये रखना चाहते हैं कि अदालतों में इन्टरप्रिटेशन वगैरह में कोई कन्फ्यूजन आदि न हो। इसलिये "के" की जगह "की जोत का भाग जो उस के" रख दिया जाय।

श्री रामलखन मिश्र---सारांश पर कोई अन्तर नहीं पड़ता, मुझे यह भी स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ (१०) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(१०) खंड ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

(५) 'भूमि (land)' का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो किसी के अधिकार या अध्यासन में कृषि उद्यानकरण, (horticulture) तथा पशुपालन जिस के अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन (pisciculture) और कुक्कुट पालन (poultry farming) भी है, से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिये हो और इसके अन्तर्गत खातेदार की जोत का भाग जो उसके मकान या अन्य तत्सम रचना (other similar structure) का स्थल (site) भी है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड ३

३—मूल अधिनियम की धारा ४ में—

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ४ का संशोधन।

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(१) राज्य सरकार जब कभी किसी जिले अथवा उसके किसी भाग में चकबन्दी-क्रिया आरम्भ करने का निश्चय करे तो वह इस आशय का प्रख्यापन जारी कर सकती है।"

(२) उपधारा (२) में शब्द "या स्थानीय क्षेत्र के प्रत्येक गांव" के स्थान पर शब्द 'के प्रत्येक कटक" रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४—मूल अधिनियम की धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ५ का संशोधन।

"५—सरकारी गजट में धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर उसमें निर्दिष्ट दिनांक से तथा धारा ५२ के अधीन अथवा धारा ६ की उपधारा (१) के अधीन, जैसी भी दशा हो, विज्ञप्ति प्रकाशित होने तक, प्रख्यापन से सम्बद्ध क्षेत्र में, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे—

प्रख्यापन का प्रभाव।

(क) जिला अथवा उसका भाग, जैसी भी दशा हो, निर्दिष्ट दिनांक से चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत समझा जायगा और अधिकार अभिलेख (record of rights) का रखरखाव तथा प्रत्येक गांव के नक्शे, खसरे और वार्षिक रजिस्टर की तैयारी का कार्य जिला उप-संचालक-चकबन्दी करेगा, जो कि उनका रखरखाव अथवा उनकी तैयारी, जैसी भी दशा हो नियत रीति से करेगा ;

(ख) (१) अभिलेखों के संशोधन की सभी कार्यवाहियां तथा भूमि में अधिकारों तथा स्वत्वों के प्रख्यापन अथवा भूमि के कब्जे या विभाजन के लिये सभी वाद जो प्रारंभिक अथवा अपील अभिदेश सुनने वाले अथवा पुनरीक्षण करने वाले किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हों, स्थगित हो जायेंगे किन्तु उक्त कार्यवाहियों अथवा वादों में विवादास्पद अधिकारों अथवा स्वत्वों के प्रश्नों को उस अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये नियमों के उपबन्धों के अधीन तथा अनुसार चकबन्दी प्राधिकारियों के समक्ष उठाने के प्रभावित व्यक्तियों के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(२) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में भूमि में ऐसे अधिकार अथवा स्वत्व के सम्बन्ध में चकबन्दी प्राधिकारियों की उपपत्तियां उस प्राधिकारी अथवा न्यायालय को मान्य होंगे जिसके समक्ष कार्यवाही अथवा वाद विचाराधीन था और वह सम्बद्ध पक्षों से उनकी सूचना मिलने पर कार्यवाही अथवा वाद में, जैसी भी दशा हो, आगे कार्यवाही करेगा; तथा

यू०पी० अधिनियम संख्या १, १९५१।

(ग) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, बन्दोबस्त अधिकारी की लिखित पूर्व-प्राप्त आज्ञा के बिना कोई खातेदार :

(१) कृषि, उद्यानकरण अथवा पशु-पालन, जिसमें मत्स्य-संबर्धन तथा कुक्कुट-पालन भी सम्मिलित हैं, से असंबद्ध प्रयोजन के लिये अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग का उपयोग नहीं करेगा ; और

(२) न चकबन्दी क्षेत्र में सम्मिलित अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग को विक्रय, दान अथवा विनियम द्वारा हस्तान्तरित करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खातेदार अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग का उपयोग ऐसे प्रयोजनों के लिये करता रह सकता है जिसके लिये कि धारा ४ के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दिनांक से पहले वह उपयोग में लाया जा रहा था।"

श्री रामलखन मिश्र—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा ५(क) में आये हुए शब्द "निर्दिष्ट दिनांक से" निकाल दिये जायं।

यह अनावश्यक शब्द हैं, इनका निकाल देना आवश्यक है और किसी विवाद या स्पष्टीकरण की इस में आवश्यकता नहीं है।

श्री चरण सिंह—यह रिपीटीशन है, इन्हें निकाल दिया जाय, मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा ५(क) में आये हुये शब्द "निर्दिष्ट दिनांक से" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रघुनाथ सहाय यादव—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के अन्तर्गत प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा ५ के खंड (ख) (२) की पंक्ति ४ में शब्द "होंगे" के स्थान पर शब्द "होंगी" रख दिया जाय।

श्री चरण सिंह—मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के अन्तर्गत प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा ५ के खंड (ख) (२) की पंक्ति ४ में शब्द "होंगे" के स्थान पर शब्द "होंगी" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

५---मूल अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ६ का संशोधन।

"(२) जब उपधारा (१) के अधीन किसी कटक के सम्बन्ध में प्रख्यापन रद्द कर दिया गया हो तो वह क्षेत्र, यदि उक्त रद्द करने के दिनांक से पहले पारित तथा भूमि-अभिलेखों में संशोधन से सम्बद्ध कोई अन्तिम आज्ञा हो तो उसके अधीन रहते हुए, रद्द करने के दिनांक से चकबन्दी क्रियाओं के अधीन न रह जायगा।"

श्री रामलखन मिश्र---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के अन्तर्गत प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (२) की पंक्ति ३ में शब्द "दिनांक" तथा "से" के बीच शब्द "पर या उस" जोड़ दिये जांय। यह शाब्दिक सा है, इसे स्वीकार करेंगे।

श्री चरणसिंह---श्रीमन्, अब तक तो था "दिनांक से"। मंशा हमारा है कि "उस दिनांक पर भी", इसलिये "पर या उस" शब्द जोड़ने के लिये यह संशोधन है। यह मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ के अन्तर्गत प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (२) की पंक्ति ३ में शब्द "दिनांक" तथा "से" के बीच शब्द "पर या उस" जोड़ दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

६---मूल अधिनियम की धारायें ७, ८, ९, १०, १०-क, १०-ख, ११ तथा १२ निकाल दी जायं।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ७ से १२ तक का संशोधन।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

७---मूल अधिनियम की धारा ६ के पश्चात् निम्नलिखित धारा ७, ८, ९, १०, ११, ११-क, ११-ख, १२, १२-क, १२-ख, १२-ग तथा १२-घ के रूप में बढ़ा दिया जाय :---

गांव के नक्शे का पुनरीक्षण।

"७---कटक के प्रत्येक गांव अथवा उसके भाग के अभिलेखों के पुनरीक्षण को सरल बनाने के विचार से तथा यहां आगे दिये हुये उपबंधों के अधीन रहते हुए, जिला उप-संचालक-चकबन्दी कटक की

चकबन्दी योजना की तैयारी प्रारम्भ करने के पूर्व उस कटक के गांव के नक्शों का पुनरीक्षण करवायेगा।"

खसरा तथा चालू वार्षिक रजिस्टर का पुनरीक्षण।

"८--धारा ७ के अधीन गांव के नक्शों के पुनरीक्षण के पश्चात् जिला उप-संचालक-चकबन्दी यहां आगे दिये हुये उपबंधों के अधीन रहते हुए खेतवार पड़ताल, तथा चालू वार्षिक रजिस्टर का परीक्षण एवं उसकी जांच के पश्चात् कटक के खसरे तथा चालू वार्षिक रजिस्टर का पुनरीक्षण करवायेगा। वह कटक में आने वाले गाटों से सम्बद्ध एक विवरण भी तैयार करवायेगा जिसमें खेतवार पड़ताल, तथा चालू वार्षिक रजिस्टर के निरीक्षण एवं उसकी जांच के दौरान में मिली अशुद्धियां तथा विवाद दिखलाये जायेंगे।"

अभिलेखों का परिशोधन।

"९--(१) धारा ८ में उल्लिखित विवरण के तैयार हो जाने पर, सहायक चकबन्दी अधिकारी लिपिक अशुद्धियों को, यदि कोई हों तो, सही करने के पश्चात् संबद्ध खातेदारों तथा स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को चालू वार्षिक रजिस्टरों के सम्बद्ध उद्धरणों सहित नोटिस भेजेगा, जिसमें धारा ८ के अन्तर्गत पाई गई अशुद्धियां और विवाद प्रदर्शित होंगे और उनसे यह कहा जायगा कि नोटिस की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर ऐसी आपत्तियां, यदि कोई हों, तो उसके समक्ष प्रस्तुत करें जिनमें उद्धरणों के इन्दराजों की शुद्धता अथवा उनके प्रकार के सम्बन्ध में विवाद हो तथा यदि कोई लुप्ति रह गई हो तो वह भी बतलाई गई हो।

(२) सहायक चकबन्दी अधिकारी संबद्ध फरीकों की सुनवाई करने के पश्चात् अथवा जब कोई आपत्ति न प्रस्तुत की गई हो तो ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, अपने समक्ष उपस्थित होने वाले फरीकों में यथाशक्ति समझौता करा कर विवाद-ग्रस्त इन्दराजों और अशुद्धियों को ठीक करने का प्रयास करेगा और इस प्रकार किये गये समझौते के आधार पर आज्ञा पारित करेगा। इस प्रकार कार्य करता हुआ सहायक चकबन्दी अधिकारी, तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी विपरीत बात के होते हुये भी, समर्थ न्यायालय माना जायगा।

(३) सहायक चकबन्दी अधिकारी शेष विवाद-ग्रस्त मामलों को, प्रत्येक पर अपनी रिपोर्ट देते हुये, चकबन्दी अधिकारी के पास एतत्पश्चात् व्यवस्थित रीति से निस्तारण के लिये भेज देगा।"

विवाद-ग्रस्त मामलों का निस्तारण।

"१०--(१) धारा ९ की उपधारा (३) के अधीन विवाद-ग्रस्त मामलों की प्राप्ति पर, चकबन्दी अधिकारी :

R.A. 2073
130990

(क) सम्बद्ध फरीकों को नोटिस भेजेगा जिसमें कि उनसे उसमें निश्चित दिनांक और स्थान पर अपने समक्ष उपस्थित होने के लिये कहेगा ;

(ख) सम्बद्ध फरीकों की सुनवाई करेगा और जहां साक्ष्य दिया जाय वहां उसे लिखेगा तथा आपत्तियों का निर्णय करेगा, मानो कि वह समर्थ न्यायालय हो, भले ही तत्समय प्रचलित किसी विधि में कोई विपरीत बात हो ।

(२) वार्षिक रजिस्टर धारा ९ की उपधारा (२) के अधीन सहायक चकबन्दी अधिकारी की तथा उपधारा (१) के अधीन चकबन्दी अधिकारी की आज्ञाओं के आधार पर पुनरीक्षित किये जायंगे ।"

"११—(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी की धारा (९) के अधीन अथवा चकबन्दी अधिकारी की धारा १० के अधीन, जैसी भी दशा हो, आज्ञा से क्षुब्ध कोई भी व्यक्ति उस आज्ञा के दिनांक के ३० दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है और बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी सम्बद्ध फरीकों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस पर अपना निर्णय देगा, जो निर्णय, उपधारा (२) में की गई अन्यथा व्यवस्था को छोड़कर, अंतिम होगा और जिस पर किसी भी विधि-न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी ।

अपीलें

(२) उपधारा (१) के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस आज्ञा के दिनांक से ३० दिन के भीतर उसके विरुद्ध जिला उप-संचालक-चकबन्दी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है और जिला उप-संचालक-चकबन्दी अथवा अन्य कोई ऐसा उप-संचालक-चकबन्दी जिसे चकबन्दी संचालक इस सम्बन्ध में प्राधिकृत करें, सम्बद्ध फरीकों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उस पर अपना निर्णय देगा, जो निर्णय इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन की गई अन्यथा व्यवस्था को छोड़कर अंतिम होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी ।

(३) तत्समय प्रचलित अन्य किसी विधि में किसी विपरीत बात के होते हुये भी, उपधारा (१) के अधीन अपील की सुनवाई करने वाला बन्दोबस्त अधिकारी-चकबन्दी तथा उपधारा (२) के अधीन अपील की सुनवाई करने वाला कोई उप-संचालक-चकबन्दी समर्थ न्यायालय समझा जायगा ।"

"११—(क) किसी चकबन्दी क्षेत्र में पड़ने वाली भूमि के सम्बन्ध में कोई प्रश्न जो धारा ९ के अधीन उठाया जा सकता था तथा उठाया जाना चाहिये था, परन्तु नहीं उठाया गया, भविष्य में चकबन्दी कार्यवाहियों के किसी भी स्तर पर नहीं उठाया जायगा न सुना जायगा । "

आपत्तियों पर रोक ।

"११—(ख) इस प्रकार से पुनरीक्षित अभिलेख कटक में प्रकाशित किये जायेंगे।"

पुनरीक्षित अभिलेखों का प्रकाशन।

"१२—(१) धारा ११-ख के अधीन प्रकाशित पुनरीक्षित अभिलेखों में अभिलिखित किन्हीं अधिकारों या स्वत्वों को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों तथा संक्रमणों से सम्बद्ध समस्त मामले, जिनके लिये तब वाद-कारण विद्यमान नहीं था जब धारा ७ से १० तक की कार्यवाहियां प्रारम्भ हुई थीं अथवा चल रही थीं, जब वह उत्पन्न हो तो सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष उठाये जा सकते हैं। किन्तु धारा ५२ अथवा धारा ६ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात् नहीं।

पुनरीक्षित अभिलेखों में अभिलिखित अधिकारों अथवा स्वत्वों पर प्रभाव डालने वाले परिवर्तन तथा संक्रमणों से संबद्ध मामलों का निर्णय।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन कोई मामला उठाया जाय तो धारा ७ से ११ तक के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे मानो कि वह उपर्युक्त धाराओं के अधीन उठाया गया मामला हो।"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१।

"१२—(क) (१) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी इस सम्बन्ध में निर्मित नियमों के अधीन रहते हुये—

नयी जोतों की मालगुजारी का अवधारण तथा जोतों के भागों पर मालगुजारी का वितरण।

(१) इस अधिनियम की धारा ७ से ११ तक और १२ के अधीन पारित आज्ञाओं के फलस्वरूप खातेदार द्वारा अर्जित भूमि में अधिकारों के निमित्त देय मालगुजारी की धनराशि अवधारित कर सकता है, तथा

(२) जहां आवश्यक हो वहां खातेदार की जोत के भाग के निमित्त देय मालगुजारी भी अवधारित कर सकता है।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१।

(२) उपधारा (१) के अधीन देय मालगुजारी की धनराशि अवधारित करने में १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम तथा तदन्तर्गत निर्मित नियमावली के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।"

"१२-ख—(१) चकबन्दी अधिकारी—

संयुक्त खाते का विभाजन

(१) स्वयमेव, धारा ११-ख के अधीन पुनरीक्षित अभिलेखों के प्रकाशन के पश्चात् किसी समय, किन्तु अध्याय ३ के अधीन कटक की चकबन्दी की योजना तैयार होने से पहले; और

(२) संयुक्त खातेदारों में से किसी के द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर तथा ऐसे निरोधों के अधीन रहते हुये जो नियत किये जायं, धारा ११-ख के अधीन पुनरीक्षित अभिलेखों के प्रकाशन से पन्द्रह दिन के भीतर, १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमीन्दारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १७८ में अथवा किसी बात के अथवा तत्समय प्रचलित किसी विपरीत विधि के होते हुये भी, दो या दो से अधिक खातेदारों के नाम अभिलिखित जोत का विभाजन कर सकता है । उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१ ।

(२) चकबन्दी अधिकारी लिखित आज्ञा देकर उपधारा (१) के अधीन अपने अधिकारों को प्रतिवाद-हीन मामलों अन्यथा व्यवस्था के विषय में सहायक चकबन्दी अधिकारी को सौंप सकता है ।"

"१२-ग—यथास्थिति चकबन्दी अधिकारी या सहायक चकबन्दी अधिकारी की धारा १२-ख के अधीन आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस आज्ञा के दिनांक के ३० दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसका निर्णय, इस सम्बन्ध में इस अधिनियम में की गई अन्यथा व्यवस्था को छोड़कर, अन्तिम होगा और उस पर किसी विधि-न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी ।"

विभाजन सम्बन्धी आपतियां ।

"१२-घ—धारा ११-ख के अधीन अभिलेख प्रकाशन के पन्द्रह दिन के भीतर दो या अधिक खातेदार चकबन्दी अधिकारी की समान भौमिक अधिकारों वाले अपने खातों को ऐसी शर्तों पर जो उनमें आपस में तय हों संयोजित करने के निमित्त प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं ।

दो या अधिक खातेदारों के गाटों का संयोजन ।

यदि प्रस्तावित संयोजन कटकों की चकबन्दी की सामान्य योजना के विपरीत न हो तो चकबन्दी अधिकारी उसे कार्यान्वित करेगा ।"

श्री रामलखन मिश्र—मेरा संशोधन इस प्रकार है—

खंड ७ में प्रस्तावित धारा ७ में शब्द "कटक की चकबन्दी योजना की तैयारी प्रारम्भ करने" के स्थान पर शब्द "कटक की चकबन्दी योजना तैयार करने" रख दिये जायं ।

यह कुछ तो शाब्दिक है और कुछ के न रखने पर भाव बदल जायगा । मेरा ऐसा विश्वास है कि आदरणीय मंत्री इसे स्वीकार करेंगे । मैं सदन का समय विवाद के लिये लेना नहीं चाहता ।

श्री चरणसिंह—यह जो संशोधन है, इसमें मेरा एक सुझाव है । "तैयार करने" इसमें जहां पर है उसकी जगह "तैयार होने" अच्छा रहेगा, यह मैं चाहता हूं । क्योंकि "करने" में प्वाइंट यह था कि डिप्टी डायरेक्टर आफ कन्सालिडेशन पर जिम्मेदारी आ जाती है । वह स्कीम आफ कन्सालिडेशन बनायेगा । इसके लिये आपने यह संशोधन

[श्री चरणसिंह]

दिया है, जिम्मेदारी उसकी नहीं है। इसीलिये माननीय सदस्य ने यह संशोधन किया है लेकिन इससे भी उनकी मंशा पूरी नही होगी क्योंकि "करने" रखने से भी जिम्मेदारी का भास होता है। इसलिये "करने" के स्थान पर "होने" रख दिया जाय। बाकी मुझे स्वीकार है।

श्री रामलखन मिश्र—अगर शब्द "करने" के स्थान पर शब्द "होने" रख दिया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं उसे स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा ७ में शब्द "कटक की चकबन्दी योजना की तैयारी प्रारम्भ करने" के स्थान पर शब्द "कटक की चकबन्दी योजना तैयार होने" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामलखन मिश्र—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा ८ में शब्द "खेतवार पड़ताल तथा चालू वार्षिक रजिस्टर का परीक्षण एवं उसकी जांच के पश्चात् कटक के खसरे तथा चालू वार्षिक रजिस्टर का पुनरीक्षण करवायेगा" के स्थान पर शब्द "कटक के खसरे (Field Book) का खेतवार पड़ताल के पश्चात् और चालू वार्षिक रजिस्टर का उसके परीक्षण तथा सत्यापन के पश्चात्, पुनरीक्षण करवायेगा" रख दिये जांय।

मेरा संशोधन रखने का अभिप्राय यह था कि छपने में कुछ अशुद्धियां थीं और कुछ भाषा का दोष था, इस संशोधन से सब स्पष्ट हो जायगा और कहीं किसी प्रकार की संदिग्धता नहीं रह जायगी और जो उद्देश्य है वह पूरा होगा। मेरा विश्वास है कि माननीय राजस्व मंत्री इसे स्वीकार करेंगे।

श्री चरणसिंह—मुझे संशोधन तो स्वीकार है, लेकिन बहुत ज्यादा संस्कृताइज्ड हो गया है। इसमें जो शब्द "सत्यापन" आया है उसके स्थान पर "उसकी जांच" कर दिया जाय।

श्री रामलखन मिश्र—अध्यक्ष महोदय, सत्यापन के मानी वही है जो अंग्रेजी में "वैरिफिकेशन" से तात्पर्य होता है। यह शब्द यहां विशेष अर्थ में रखा गया है।

श्री अध्यक्ष—अगर वैरिफिकेशन के अर्थ में "सत्यापन" रखा गया है तब तो "सत्यापन" ही आना चाहिये।

श्री चरणसिंह—तब रहने दिया जाय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यहां पर "वैरिफिकेशन" ही से मतलब है।

श्री अध्यक्ष—यह कर दिया जाय कि "सत्यापन" के बाद अंग्रेजी में "verification" लिख दिया जाय।

श्री चरणसिंह—दोनों ही कर दिये जायं। परीक्षण के बाद "test" तथा सत्यापन के बाद "verification" अंग्रेजी में लिख दिये जांय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा ८ में शब्द "खेतवार पड़ताल तथा चालू वार्षिक रजिस्टर का परीक्षण एवं उसकी जांच के पश्चात् कटक के खसरे तथा चालू वार्षिक रजिस्टर का पुनरीक्षण करवायेगा" के स्थान पर शब्द "कटक के खसरे (Field Book) का खेतवार पड़ताल के पश्चात् और चालू वार्षिक रजिस्टर का उसके परीक्षण (test) तथा सत्यापन (verification) के पश्चात्, पुनरीक्षण करवायेगा" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बृजवासीलाल (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ में प्रस्तावित नई धारा ९ (२) को निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय :

"९—(२) सहायक चकबन्दी अधिकारी, जब कोई आपत्ति प्रस्तुत न की गई हो तो ऐसी जांच करने के बाद जो आवश्यक हो उन अशुद्धियों या लुप्तियों को शुद्ध करने का आदेश देगा, अथवा विवाद-ग्रस्त मामलों (disputed cases) में अगर दरमियान फरीकैन कोई समझौता होता है तो उस समझौते के आधार पर आज्ञा पारित करेगा। इस प्रकार कार्य करता हुआ सहायक चकबन्दी अधिकारी तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी विपरीत बात के होते हुये भी समर्थ न्यायालय माना जावेगा।"

अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का मतलब यह है कि जो विधेयक में आया है वह यह है कि ए०सी०ओज० फरीकैन को बुलाकर कोशिश करेंगे कि उनमें आपस में सुलह हो जाय। यह कई बातों से व्यावहारिक रूप में ठीक नहीं आता है। अव्वल तो मेरे जिले में और मेरे क्षेत्र में चकबन्दी हो रही है। वहां पर इस तरह के केसेज तमाम हुए और ए०सी०ओज० ने तमाम ज्यादतियां कीं और जबरदस्ती लोगों में सुलह करा दी। ज्यादातर लोगों से यह कहा गया कि आधा तुम ले लो और आधा वह ले ले, इस तरह से सुलह कराई गई। हालांकि वह खेत छोड़ने के लिये तैयार नहीं थे लेकिन ए०सी०ओज० नाराज न हो जायं इसलिये सुलह कर ली। यह साइकॉलॉजीकल अफेक्ट होता है कि जब अदालत सुलह करने के लिये कहती है तो लोग मजबूर होकर कर लेते हैं। अभी तक कानून में यह कहीं नहीं है कि अदालत में मामला पेश हो तो अदालत कोशिश करे कि सुलह हो जाय। अगर फरीकैन में खुद सुलह हो जाय तो बात दूसरी है और वह कार्यान्वित होनी चाहिये लेकिन अदालत जाकर सुलह कराये, सुलह के लिये कहे, यह नहीं होना चाहिये। दुनिया में हर शख्स ईमानदार नहीं हो सकता है। ए०सी०ओ० ऐसा भी हो सकता है कि वह किसी से प्रभावित हो तो दूसरे फरीकैन से वह जोर डाल कर सुलह करा सकता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मान लें।

***श्री चरण सिंह**—अध्यक्ष महोदय, माननीय बृजवासीलाल जी माफ करेंगे अगर मैं यह कहूं कि उनका भाषण कुछ है और संशोधन कुछ है। भाषण उनका यह है कि ए०सी०ओज० बहुत खराब हैं और संशोधन उनका यह है कि जितने अधिकार उनको मिले हुए हैं उससे भी ज्यादा मिलने चाहिये। उन्होंने कहा कि उनके जिले में चकबन्दी हो रही है तो बहुत से ए०सी०ओज० ने यानी हमारे यहां अगर दो चार केसेज हो जांय तो बहुत से हो जाते हैं। दो चार ने गलती की होगी लेकिन कहा गया कि बहुतों ने की। खैर, मैं उनकी बात माने लेता हूं कि बहुतों ने यह किया, जबरदस्ती लोगों से सुलह कराई, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी नाराजगी कौन बर्दाश्त करे, इसलिये सुलह कर ली। तो मतलब यह है कि फैसला करने में तो ए०सी०ओ० बेईमानी कर सकता है लेकिन उनका संशोधन यह है कि वह एकतरफा मामले भी तय कर दे, डिसप्यूटेड केसेज भी तय कर दे। संशोधन उस समय समझ में आयेगा जब मैं विधेयक की भाषा को पढ़कर सुना दूं। यह है ९ का (२)—

"सहायक चकबन्दी अधिकारी सम्बद्ध फरीकों की सुनवाई करने के पश्चात् अथवा जब कोई आपत्ति न प्रस्तुत की गयी हो तो ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे अपने समक्ष उपस्थित होने वाले फरीकों में यथाशक्ति समझौता करा कर विवाद-ग्रस्त इंदराजों और अशुद्धियों को ठीक करने का प्रयास करेगा और इस प्रकार किये गये समझौते के आधार पर आज्ञा पारित करेगा। इस प्रकार कार्य करता हुआ सहायक चकबन्दी अधिकारी, तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी विपरीत बात के होते हुये भी समर्थ न्यायालय माना जायगा।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

तीसरा यह है--

"सहायक चकबन्दी अधिकारी शेष विवादग्रस्त मामलों को, प्रत्येक पर अपनी रिपोर्ट देते हुए, चकबन्दी अधिकारी के पास एतत्पश्चात् व्यवस्थित रीति से निस्तारण के लिये भेज देगा।"

मतलब यह है कि तीन तरह के केसेज हो सकते हैं। एक तो यह कि नोटिस जायगी ही या पड़ताल हुई सब को इल्म हो गया। दोनो फरीकों में से एक भी फरीक ए०सी०ओ० के सामने उपस्थित न हो तो एक शक्ल यह हुई। दूसरी शक्ल यह हो सकती है कि एक फरीक तो पेश हो और दूसरा फरीक न आये। जिसका नाम दर्ज है वह नहीं आ रहा है, जिसका नाम नहीं दर्ज है वह आ रहा है। तीसरी शक्ल यह हो सकती है कि दोनों फरीकैन आ जायं, तो विधेयक की मंशा यह है कि पहले दो जो शक्लें हैं दोनों में से एक भी नहीं आया या केवल एक आया तो इन दोनों को डिस्प्यूटेड केसेज माना जायगा और ए०सी०ओ० खुद डिसाइड नहीं करेगा। वह सी०ओ० को भेज देगा। तीसरी शक्ल यह है कि जब दोनों आ जायं तो समझौता कराने की कोशिश करेगा। आप यह कह रहे हैं कि ए०सी०ओ० बड़ी बेईमानी करता है और अधिकार दे रहे हैं कि एकतरफा मामलों में भी फैसला कर दे। हम पहली दो शक्लों में उसको अधिकार नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह इन मामलों को सी०ओ० के पास भेज देगा। आप अधिकार देना चाहते हैं कि वह अपना फैसला दे दे। तो कौन ज्यादा अधिकार देना चाहता है? माननीय ब्रजबासी लाल जी या यह विधेयक? अब तक उसको यह अधिकार था। अब यह अधिकार ले रहे हैं। पहले जैसा कि मैंने परसों निवेदन किया था, दो कार्य होते थे। एक तो कागजात की दुरुस्ती ७, ८ में और ११,१२ में फिर वही मामले उठ सकते थे टाइटिल के नाम पर। जिस तरह से अब तक हमारे यहां होता रहा है कि दाखिल खारिज का मुकदमा बोर्ड तक लड़ेंगे और फिर इस्तकरार का रेगुलर सूट दीवानी में लड़ेंगे। जैसा कि मैंने अर्ज किया था, हम जमींदारी अबालिशन ऐंड लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट में भी कर रहे हैं। एक ही प्रोसीडिंग्ज में मामला तय हो जायगा। उसके समानान्तर यहां भी कर रहे हैं। उस में ज्यादा समय लगता है। काश्तकार दौड़ता है, दो बार वकील लाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि एक ही साथ दोनों तय हो जायं। अब दो कार्यवाहियों के बजाय एक ही कार्यवाही होगी। अधिकार बढ़ जायगा इसलिये ए०सी०ओ० को हक नहीं देना चाहते हैं। चाहे एक ही फरीक आये तब भी कहते हैं कि फैसला नहीं करेगा। कागजात सी०ओ० के पास भेज देगा। इसके अलावा, यह जूरिसप्रूडेंस के उसूल के भी खिलाफ है कि जो तहकीकात करे वही फैसला भी दे दे। ए०सी०ओ० नोटिस देगा, वह तहकीकात भी करे और वही फैसला दे दे। फैसला देने वाला होना चाहिये, तहकीकात करने वाले आदमी के अलावा। मैं तो समझ रहा था अध्यक्ष महोदय, कि सब लोग इसका स्वागत करेंगे कि आपने ए०सी०ओ० के अख्तियारात को कम कर दिया, लेकिन बात उल्टी हो रही है। एक तरफ तो आप निजाई मामलों में फैसला करने का हक उसको दे रहे हैं और साथ ही यह कहते हैं कि उसको समझौता कराने का अधिकार क्यों दे रहे हो, यह नहीं होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, हमारी जो विचारधारा है उसमें हमेशा तब्दीली होती रहती है। पुराना खयाल यह था कि अदालतों को दोनों फरीकैन को समझौते से कोई हल निकाल देने का अख्तियार नहीं था लेकिन हमारे विशेषज्ञ, श्री मेहरा जो दोनों साल अभी अमेरिका में रहकर और ड्राफ्टिंग वगैरह सीखकर आये हैं, उन्होंने यह बतलाया है कि अमेरिका में कोशिश हो रही है और वहां पर बहुत से ऐक्ट्स में रखा भी गया है कि वे कोशिश करके समझौता कराके फैसला करा दें। लिहाजा यह नया डेवलेपमेंट जुरिस्प्रुडेंस में हो रहा है और अदालतों को यह अख्तियार दिये जा रहे हैं। जब ब्रजवासीलाल जी और हम पढ़ते थे उस वक्त ऐसी बात नहीं थी, लेकिन अब हो रही है। चूंकि दोनों को राजी कराकर फैसला कराना हल्की चीज है बजाय इसके कि दोनों को सुनकर अपना हुक्म दें, यह समझा गया है। मैं समझता हूं कि विधेयक की परिभाषा में कोई गड़बड़ी थी जिसकी वजह से ब्रजबासी लाल जी को गलतफहमी

हुई वरना ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि वे खुद नहीं समझ सके और उसी गलतफहमी का नतीजा ह, वरना उनके भाषण में और संशोधन म जो कंट्रेडिक्शन है वह नहीं होता। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री बृजवासीलाल—अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि माननीय मंत्री जी मेरे संशोधन को नहीं समझ सके वरना मने बहुत साफ उसमें लिख दिया है "अथवा विवाद-ग्रस्त मामलों में अगर दरमियान फरीकैन कोई समझौता होता है"। आप विधेयक के अन्दर देखेंगे कि उसमें यही है कि वह समझौता करवायेगा। अगर समझौता हो जाता है तो उस पर हुक्म देगा और साथ-साथ जो अनडिस्प्यूटेड हैं उन पर भी हुक्म देगा। जिन पर सुलह हो जावेगी उन पर हो जावगी लेकिन जिन पर नहीं होगी उनको वह धारा २ के अन्दर सी० ओ० के यहां भेज देगा।

मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि हमारे संशोधन में जो अल्फाज हैं वह बहुत साफ हैं कि फरीकैन में अगर सुलह हो जाय, अगर एक ही फरीक आता है तो फिर सुलह नहीं होती है। किसी मसले में सुलह हो ही नहीं सकती जब तक कि फरीकैन हाजिर न हों। मेरे संशोधन में यह सारी बातें साफ जाहिर हैं और मेरे भाषण में और संशोधन में कोई फर्क नहीं है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह है कि ए० सी० ओ० को यह अख्तियार न दिये जायं कि वह सुलह करावे।

माननीय मंत्री जी ने अमरीका की मिसाल पेश की है। वह बहुत तरक्कीयाफ्ता मुल्क है। वहां पर पढ़े लिखों की तादाद बहुत ज्यादा है। हमारे देश में ऐसी बात नहीं है। माननीय मंत्री जी देहातों में चलकर देखें कि वहां पर न जाने कितने सुलहनामे नाजायज दबाव के कारण हो जाया करते हैं। इसलिये अमेरिका में वह बात हो सकती है लेकिन यहां के लिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह पद्धति न अपनावें। हमारे देश के लोगों को पहले तरक्की करने दें और पढ़न-लिखने दें। जब लोग अपने हकों को समझने लगें तब यह पद्धति अपनाव तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे संशोधन को समझ कर के ए० सी० ओ० को अख्तियार न दें कि वह सुलह करावे। अगर फरीकन के दरमियान सुलह हो जाती है तो वह अनडिस्प्यूटेड हो जाता है लेकिन सुलहनाम के बाद न कि पहले।

श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक बृजवासीलाल जी क कहने का संबंध है उससे केवल एक शब्द के ऊपर असर पड़ता है। जहां तक विधेयक में है कि "अपने समक्ष उपस्थित होने वाले फरीकों में यथाशक्ति समझौता करा कर विवाद-ग्रस्त इन्दराजों और अशुद्धियों को ठीक करने का प्रयास करेगा।" इसमें "यथाशक्ति" शब्द आया है। और जो बृजवासीलाल जी रख रहे हैं उसमें थोड़ा सा यह है कि "विवाद-ग्रस्त मामलों में अगर दरमियान फरीकैन कोई समझौता होता है तो उस समझौते के आधार पर आज्ञा पारित करेगा"। अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो "यथाशक्ति" शब्द आया है उसमें बृजवासीलाल जी को विरोध ह। यह 'यथाशक्ति' के स्थान पर यदि 'यथासंभव' रख दिया जाय तो ठीक होगा, यदि संभव हो सके। इस प्रकार के शब्द रखने से कुछ यह नरम हो जाता है। मैं समझता हूं इसमें बृजवासीलाल जी को कोई आपत्ति नहीं होगी। यथाशक्ति कहने से थोड़ा ताकत का शब्द आ जाता है। जो मैंने निवेदन किया यदि इस प्रकार के शब्द रख दिये जायं तो इससे इसमें कोई अन्तर नहीं आयेगा।

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, जहां तक "यथाशक्ति" से श्री रामहेतसिंह जी को आपत्ति है कि शक्ति का मतलब फोर्स से होगा, तो फोर्स भी हो सकता है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि "यथासंभव" कर दिया जाय। मतलब यह था कि "जहां तक हो सके" लेकिन अगर "यथाशक्ति" से कोई इस में भ्रांति या आशंका किसी तरह से हो सकती है तो इसको ठीक कर दिया जाय। यह मुझे मंजूर है और मुझे आशा है आप भी इसको पेश करने की इजाजत दे देंगे या आपको भी अख्तियार है कि इस तरह से ठीक कर दें।

[श्री चरणसिंह]

बृजवासीलाल जी के मुताल्लिक मुझे यह कहना है कि जहां तक समझौता कराने की बात है, जिसको वह खुद रख रहे हैं उस पर उन्होंने खुद ही आपत्ति की थी कि समझौता करा कर भी, उसमें बहुत-सी बेईमानी होगी। समझौते की बात अदालत को कैसे दे दी जाय? जिस बात के खिलाफ आप खुद थे उसको अब रखने के लिये कह रहे हैं। अनडिस्प्यूटेड केसेज में यह अख्तियार दिया जा रहा है, यह उसमें नहीं था। डिस्प्यूटेड केसेज के लिये जो अख्तियार मिला है वह समझौते के लिये मिला हुआ है। वह वास्तव में अख्तियार नहीं है। वह तो कोशिश करते हैं कि दोनों पार्टीज में समझौता हो जाय और दोनों मिल जायं। उनमें अगर कम्प्रोमाइज हो जायगा तो समझौता हो जायगा वरना नहीं। वह अधिकार की बात नहीं है। अनडिस्प्यूटेड केसेज के लिये दोनों फरीकैन में से यदि दोनों नहीं आये या एक नहीं आया तो उसमें अधिकार हो गया। अगर वही तहकीकात करने वाला है और वही फैसला करने वाला है तब भी यह अधिकार की बात हो जाती है।

दूसरी बात यह है कि अब हम दोनों प्रोसीडिंग को एक कर रहे हैं। तो यह बराबर का अधिकार उसके लिये हो जायगा और फिर सी० ओ० को कौन रोकता है। वह जैसे समझेगा वैसे करेगा। इस से यह भी होगा कि हमारे अफसरों का काम बढ़ जायगा, क्योंकि हर चीज तब सी० ओ० करेगा। आप कल्पना कीजिये कि यह नये लड़के कम उमर के हैं। इनको तजुर्बा भी नहीं है। अगर किसी मामले में झगड़ा भी हो और उसको लिख दें कि अनडिस्टेप्यूड हैं और फैसला दे दें तब दूसरा केवल अपील ही कर सकता है। उसको यह पता नहीं कि अपील करे या नहीं। यहां कागजात दुरुस्ती की बात है। पहले ११,१२ में दूसरे को मौका था और उस में अधिकार दिया हुआ था, किन्तु अब हम दोनों प्रोसीडिंग को एक कर रहे हैं। अब उसको हम अधिकार नहीं दे रहे हैं। आप उसके अधिकार को बढ़ा रहे हैं और हम उसके अधिकार को घटाना चाहते हैं।

श्री बृजवासीलाल—मैं अर्ज करता हूं कि माननीय मंत्री जी हमारी बात को समझ नहीं रहे हैं। मैं उसके अख्तियार नहीं बढ़ा रहा हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—आपको अब बोलने का मौका नहीं है। आप इसको पेश ही रखना चाहते हैं या वापस लेते हैं।

श्री बृजवासीलाल—मैं इसको कायम रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित नई धारा ९(२) को निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय:—

"९–(२) सहायक चकबंदी अधिकारी जब कोई आपत्ति प्रस्तुत न की गई हो तो ऐसी जांच करने के बाद जो आवश्यक हो उन अशुद्धियों या लुप्तियों को शुद्ध करने का आदेश देगा, अथवा विवाद-ग्रस्त मामलों (disputed cases) में अगर दर्मियान फरीकैन कोई समझौता होता है तो उस समझौते के आधार पर आज्ञा पारित करेगा। इस प्रकार कार्य करता हुआ सहायक चकबंदी अधिकारी तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी विपरीत बात के होते हुये भी समर्थ न्यायालय माना जावेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—एक प्रश्न रह गया कि रामहेत सिंह जी ने यथाशक्ति की जगह यथा-सम्भव करने का संशोधन प्रस्तुत किया था। तो क्या उसे माननीय वित्त मंत्री स्वीकार करते हैं?

श्री चरणसिंह—जी हां, मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—तो इसके लिये मैं राय ले लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा ९ के उपखंड (२) की पंक्ति ४ में शब्द "यथा-शक्ति" के स्थान पर शब्द "यथासंभव" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बृजवासीलाल—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ में नई प्रस्तावित धारा १०(१) (ख) में शब्द "जहां साक्ष्य.... लिखेगा", हटा दिये जायं और उस के बजाय शब्द "जो कागजी व जबानी सबूत फरीकेन पेश करे उसको लेकर और दीगर सबूत जो वह जरूरी समझे अज खुद लेकर या तहकीकात अथवा मुआइना मौका अगर जरूरी हो तो करके", रख दिये जायं ।

अध्यक्ष महोदय, (ख) में प्राविजन यह है कि वह सम्बद्ध फरीकों की सुनवाई करेगा और जहां साक्ष्य दिया जाय वहां उसे लिखेगा तथा आपत्तियों का निर्णय करेगा, मानों कि वह समर्थ न्यायालय हो । मैं जहां तक समझा हूं इसका अर्थ यह है कि जो जबानी बयान वगैरह दिये जायेंगे उनको वह लिखेगा । इसमें डाकमेंटरी एवीडेंस आदि लेने का जिक्र कहीं नहीं आता है । ऐसा भी प्राविजन नहीं है कि अगर सी० ओ० किन्हीं कागजात को जरूरी समझें तो उनकी मांग कर सके । इसलिये मैंने यह रखा है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको मान लेंगे ।

श्री रामलखन मिश्र—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा विश्वास है कि माननीय बृजवासी लाल जी को कुछ भ्रम हो गया है । साक्ष्य लिखेगा या साक्ष्य लेगा इसमें कोई अन्तर नहीं है । प्रस्तुत किया जाय तो भी वह लेगा अथवा लिखेगा में आ जाता है । लिखने शब्द के अन्दर वह जबानी साक्ष्य लेने से वंचित नहीं रहता । यह तो बाल की खाल खींचना है और उसे व्यापक अर्थ में न लेना है । शब्द का काम तो केवल संकेत करना होता है और शब्द का अर्थ तो, जैसा कहा गया है कि शब्द कामधेनु गाय है, वह है । उस से जैसा अर्थ खींचना चाहें वह वैसा ही समर्थ होता है । इसके स्थान पर जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है वह बहुत ही निकृष्ट है और असंबद्ध है और इस में अज खुद जैसे तमाम कचहरी के वह शब्द हैं कि जो इसमें जुटते नहीं । मुझे आप क्षमा करेंगे कि मैंने कुछ कठोर शब्दों में अपनी बात प्रस्तुत की, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इससे आपका तात्पर्य पूरा नहीं होता । वह तो सुक्षम रूप में अधिक भाव देने वाले शब्द हैं और उनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिये । वह लिखेगा रहने से वंचित नहीं रह जाता । और कोई शब्द जो प्रस्तुत किया जायगा तो वह फर्द अहकाम या जो कुछ भी कहा जाय उसके ऊपर लिखने की परिभाषा में नहीं आयगा । मैं आशा करता हूं कि बृजवासी लाल जी मुझे क्षमा करेंगे कि मैं उनका विरोध करता हूं लेकिन उनकी इस रचना से कुरूपता आवेगी ।

श्री चरणसिंह—जब हमने उसे कोर्ट आफ कम्पीटेंट जुरिसडिक्शन कह दिया तो उसे अपने आप ही अधिकार हो गया कि वह स्वयं भी सबूत मंगा सकते हैं और तहकीकात भी कर सकते है । इसलिये इन शब्दों का रखना गैर-जरूरी है । उनको आपत्ति इस पर है कि सम्बद्ध फरीकों की सुनवाई करेगा और जहां साक्ष्य दिया जाय वहां उसे लिखेगा । हो सकता है कि उसमें डाक्यूमेंटरी एविडेंस भी रेकार्ड करे । लेकिन हिन्दी में 'लिखेगा' से कुछ भ्रम हो सकता है, इसलिये "लिखेगा" के बजाय "लेगा" कर दिया जाय । और बातें जरूरी नहीं है क्योंकि हमने उसे कोर्ट बना दिया है और एविडेंस ऐक्ट के मातहत वह सभी कुछ कर सकता है ।

श्री बृजवासीलाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे रामलखन जी के विचार पर अफसोस हुआ । मैं उनकी तरह संस्कृत और हिन्दी का इतना बड़ा ज्ञाता नहीं हूं कि ऐसे भारी शब्द तलाश करके लाता । कचहरी में जो शब्द आमतौर से इस्तेमाल होते हैं उनको मैंने पेश किया है । वह संस्कृत के शब्द ज्यादा बोलने और इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं । चाहे किसी की समझ में कुछ आवे या न आवे, इसकी उनको परवाह नहीं है । उनको मेरी बातों पर एतराज नहीं होना चाहिये ।

[श्री बृजवासी लाल]

मंत्री जी ने जो कुछ कहा है उससे मेरा मतलब हल हो जाता है। "लिखेगा" की जगह "लेगा" कर दिया जाय। लेकिन जहां मंत्री जी ने कहा है कि कम्पीटेंट जुरिस्डिक्शन में उसका खुद सबूत लेना भी आता है, सिविल प्रोसीज्योर कोड में भी यही शब्द हैं लेकिन वहां अलहदा प्राविजन है कि जहां अदालत अज खुद कोई सबूत लेना चाहे तो ले सकती है। वहां यह डेफिनेट प्राविजन है। अगर मंत्री जी समझते हैं कि ठीक ह तो रख द वरना कोई बात नहीं है।

*श्री चरणसिंह--एक तो "लिखेगा" की जगह "लेगा" रख दिया जाय और वहां "अनन-नेसेसरी' शब्द निकाल दिया जाय। बृजवासीलाल जी कहते हैं कि लिखने से ही उसे अधिकार मिलेगा, उसमें मेरा मतभेद है। उनके कहने के मुताबिक तो हर कानून में लिखना पड़ेगा, लेकिन एविडेंस ऐक्ट में सेक्शन १६८ गालिबन है जहां कोड को एक्सट्रा आर्डिनरी पावर्स हैं कि बहस होने के बाद भी वह शहादत जरूरी समझे तो ले सकती है। इसके अलावा सेक्शन १५१ सिविल प्रोसीज्योर कोड का है। इन शब्दों को हर जगह रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामलखन मिश्र--माननीय बृजवासी लाल जी ने मेरा नाम लेकर, न समझने के कारण, जो कहा और उससे उनके हृदय को जो चोट पहुंची है, उसके सम्बन्ध में मैं अपनी स्थिति साफ कर देना चाहता हूं। मेरे दिल में उनके भावों तथा अनुभवों का बहुत सम्मान है परन्तु जिस अर्थ में उन्होंने मुझे लिया है उस अर्थ में मैंने अपने भाषण में कोई बात नहीं कही।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)--माननीय अध्यक्ष जी, इस संशोधन में अगर २,३ शब्द हटा दिये जावें तो शायद सबका मतलब पूरा हो जाता है। इसमें पहली पंक्ति में शब्द "जहां" और दूसरी पंक्ति में "दिया जाय" वहां उसे निकाल दिये जावें.....

श्री अध्यक्ष--अब हम उठते हैं और सवा दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री कुंवरकृष्ण वर्मा--अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तावित धारा १० की उपधारा (१) के भाग (ख) में यह संशोधन प्रस्तुत कर रहा था कि उसकी पहली पंक्ति में से शब्द "जहां" और दूसरी पंक्ति में से शब्द 'दिया जाय वहां उसे' निकाल दिये जायं। अभी इस बात पर विवाद हो रहा था कि "साक्ष्य लिया जाय, वहां उसे लिखेगा।" तो "लिखेगा" के बजाय "लेगा" शब्द को रखे जाने के लिये माननीय मंत्री जी तैयार हो गये हैं। अब माननीय बृजवासीलाल का जो संशोधन था उसमें यह था कि वह कागजी सबूत, जबानी सबूत लेगा और मुआयना मौका' करेगा। लेकिन मेरी समझ में यह मेरा जो संशोधन है उसके द्वारा सभी बातें हो जाती हैं और बृजवासी लाल जी का जो संशोधन है उसका भी मतलब इसके द्वारा हल हो जाता है।

श्री अधिष्ठाता--माननीय वर्मा जी, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि, क्या कोई आपका संशोधन है? आपका कोई अमेंडमेंट मेरे पास नहीं है।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा--माननीय अध्यक्ष जी जब यहां थे तब मैंने उसको प्रस्तुत कर दिया था।

*श्री चरणसिंह--अधिष्ठाता महोदय, आपकी मंशा यह है कि कुछ भाषा संशोधित हो जाय और मैंने यह कहा था कि मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। आप पेज ८ पर जरा देखें। उसमें (क) पहले है और (ख) बाद में है "संबद्ध फरीक की सुनवाई करेगा और जहां साक्ष्य दिया जाय वहां उसे लिखेगा" उसमें साक्ष्य दिया जाय' के बजाय "साक्ष्य लेगा" किया जा रहा है। इसलिये आपका यह सुझाव बहुत माकूल है। बृजवासीलाल जी ने अपने संशोधन को वापस ले लिया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा—मुझे इतना ही निवेदन करना था कि इसके द्वारा केवल भाषा में थोड़ी सी तब्दीली की जा रही है। क्योंकि माननीय मंत्री जी ने इसको स्वीकार कर लिया है अतः यह संशोधन स्वीकार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—क्या सदन की अनुमति है कि माननीय बृजवासीलाल जी का संशोधन वापस लिया जाय?

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अधिष्ठाता—अब मैं कुंवरकृष्ण वर्मा जी के संशोधन को रखता हूं—

प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा १० (१) के भाग (ख) की पंक्ति १ में शब्द "जहां" और पंक्ति २ में शब्द "दिया जाय वहां उसे" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रघुनाथ सहाय यादव—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय माल मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन विधेयक में निम्न संशोधन उपस्थित करता हूं:

(१) प्रस्तावित धारा ११ में अंक "(३०)" के स्थान पर जहां कहीं वह आया हो अंक "२१" रख दिया जाय।

(२) प्रस्तावित धारा ११ की उपधारा (२) में शब्द "विरुद्ध" तथा शब्द "जिला" के बीच में शब्द "तथ्य के प्रश्न पर अथवा विधि के प्रश्न पर या दोनों प्रश्नों पर" रख दिये जायं।

श्री चरणसिंह—मुझे मंजूर है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि (१) प्रस्तावित धारा ११ में अंक "(३०)" के स्थान पर जहां कहीं वह आया हो अंक "२१" रख दिया जाय।

(२) प्रस्तावित धारा ११ की उपधारा (२) में शब्द "विरुद्ध" तथा शब्द "जिला" के बीच में शब्द "तथ्य के प्रश्न पर अथवा विधि के प्रश्न पर या दोनों प्रश्नों पर" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बृजवासीलाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (१) की पंक्ति ९ में शब्द "हो" तथा शब्द "तो" के बीच में शब्द "या गैर-कानूनी संक्रमणों का जिनकी जानकारी भूमि-प्रबंधक समिति को न हुआ हो जब जानकारी (knowledge) हो" रख दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, मैं तजुर्बे की बात बता रहा हूं। आज जहां चकबंदी हो रही है वहां यह हो रहा है कि बहुत से लोग पैसे लेकर के उज्रदारी कर देते हैं कि यह फलां खेत हम जोते हुए हैं और जिनके नाम खेत है वह कह देते हैं कि हां, साहब यह जोते हुए हैं, इनका नाम दर्ज कर दिया जाय। दरअसल वह रुपया लेकर के होता है। लेकिन भूमि-प्रबंधक समिति उसमें कोई पार्टी नहीं होती है। इसलिये ऐसे मामलों के लिये जहां पर ऐसे ट्रांसफर हुए हों उनके लिये यह संशोधन बहुत जरूरी है। माननीय मंत्री जी मान लेंगे तो बहुत अच्छा होगा।

श्री चरणसिंह—मुझको यह स्वीकार नहीं है।

श्री बृजवासीलाल—तो मैं वापस ले लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रघुनाथ सहाय यादव—आपकी आज्ञा से मैं निम्न संशोधन पेश करता हूं:

प्रस्तावित धारा १२-ग में अंक "३०" के स्थान पर अंक "२१" रख दिया जाय।

श्री चरणसिंह—मंजूर है ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि प्रस्तावित धारा १२-ग में अंक "३०" के स्थान पर अंक "२१" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७ इस विधेयक का अंग बने ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ८

उ० प्र० अधि नियम ५, १९५४ की धारा १३ का संशोधन ।

८—मूल अधिनियम की धारा १३ के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (ख-१) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(ख-१) धारा १३-ग में अभिदिष्ट गाटों के मूल्यांकन का विवरण ।"

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग बने ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ९

नई धारा १३-क, १३-ख, १३-ग तथा १३-घ का बढ़ाया जाना ।

९—धारा १३ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा १३-क, १३-ख, १३-ग तथा १३-घ के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"जोतों की चकबंदी का आधार ।

१३ क—(१) जोतों की चकबंदी गाटों के मूल्यांकन के आधार पर की जायगी ।

(२) चकबंदी समिति के परामर्श से तथा उत्पादन शक्ति, सिंचाई सुविधाओं की उपलभ्यता यदि कोई हो तो, और स्थिति पर विचार करने के पश्चात् तथा ऐसे अन्य सिद्धांतों के अनुसार और ऐसी रीति से जो इस सम्बन्ध में नियत की जाय प्रत्येक गाटे का मूल्यांकन अवधारित किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी खातेदार को प्रदिष्ट किये जाने वाली जोत या जोतों का क्षेत्रफल किसी भी दशा में, चकबंदी संचालक की अनुज्ञा के बिना, उसकी मल जोत अथवा जोतों के, जैसी भी दशा हो, क्षेत्रफल से २५ प्रतिशत से अधिक अन्तर वाला नहीं होगा ।"

"किसी कटक के क्षेत्रफल का विभाजन तथा वृक्षों आदि के निमित्त प्रतिकर का अवधारण ।

१३-ख—चकबंदी के प्रयोजनों के लिये, चकबंदी-समिति के परामर्श से, सहायक चकबंदी अधिकारी—

(क) उगने वाली फसलों की किस्म और संख्या तथा यथानियत अन्य तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् प्रत्येक कटक के क्षेत्र को तीन से अधिक समांग हारों में (homogenous blocks) विभक्त करेगा; तथा

(ख) खातेदार की जोत के वृक्षों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों का प्रतिकर नियत रीति से अवधारित करेगा ।"

"गाटों के मूल्यांकन का विवरण ।

१३-ग---(१) चकबंदी क्रियाओं के अन्तर्गत कटक के प्रत्येक गाटे के सम्बन्ध में सहायक चकबंदी अधिकारी नियत आकार में एक विवरण (जिसे एतत्पश्चात गाटों के मूल्यांकन का विवरण कहा जायगा), तैयार करावेगा जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी :

(क) प्रत्येक गाटे का मूल्यांकन ;

(ख) वृक्षों, कुओं और अन्य समुन्नतियों का मूल्यांकन ;

(ग) हारों का विवरण; और

(घ) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं ।

(२) उपधारा (१) के अधीन तैयार किया गया गाटों के मूल्यांकन का विवरण कटक में प्रकाशित किया जायगा और उनका संबद्ध उद्धरण प्रत्येक खातेदार के पास उद्धरण के इन्दराजों के विरुद्ध आपत्तियां आमंत्रित करने वाले नोटिस के सहित भेजा जायगा ।

(३) प्रत्येक खातेदार जिसे उपधारा (२) के अधीन उद्धरण भेजा गया हो तथा उससे सम्भवतया प्रभावित होने वाला अन्य कोई व्यक्ति गाटों के मूल्यांकन के विवरण के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष, उसके विरुद्ध आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है ।

(४) सहायक चकबंदी अधिकारी इन आपत्तियों पर अपनी रिपोर्ट चकबंदी अधिकारी को भेजेगा, जो कि चकबंदी समिति के परामर्श से, और जहां आवश्यक हो वहां गाटों का स्थानीय निरीक्षण करने के पश्चात्, आपत्तियां निर्णीत करेगा ।

(५) उपधारा (४) के अधीन चकबंदी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस आज्ञा के दिनांक से तीस दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी-चकबंदी, के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है और उसका इस सम्बन्ध में निर्णय, इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन की गई अन्यथा व्यवस्था को छोड़कर, अंतिम होगा ।"

"जोतों का विवरण

१३-घ---सहायक चकबंदी अधिकारी प्रत्येक खातेदार की समस्त जोतों का एक विवरण तैयार करवायेगा जिसमें एक ही स्थान पर

निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे :–

(१) चकबंदी से वर्जित क्षेत्र ;

(२) प्रत्येक हार में चकबंदी के अधीन क्षेत्र, धारा १३–क के अनुसार अवधारित मूल्यांकन सहित ;

(३) प्रत्येक का लगान या मालगुजारी ;

(४) उसके खाते या खातों का कुल क्षेत्रफल और कुल मूल्यांकन ; और

(५) ऐसे अन्य ब्योरे जो नियत किये जायं ।"

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)––माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी जाजत से प्रस्तावित विधेयक में संशोधन पेश करता हूं कि खंड ९ की धारा १३–ख (क) के उपरान्त निम्न रख दिया जाय :

"प्रत्येक ऐसे हार में लाभहीन जोतों के कृषकों के लिये उस हार में एक निश्चित तरफ तथा क्षेत्रफल समान रूप से निश्चित करेगा ।

इस धारा के प्रयोजनों के लिये ६ १/४ एकड़ भूमि तक जोतने वाले कृषक लाभहीन जोतों के कृषक माने जायेंगे ।"

श्रीमन्, जैसा कल आदरणीय माल मंत्री जी ने फरमाया चकबंदी योजना जो जोत-चकबंदी अधिनियम की तहत में लागू है उसके जरिये इस प्रदेश के बिखरे हुए खेतों की स्कैटर्डनेस, बिखरेपन को दूर कर रहे हैं । इस संशोधन का आशय यह है कि जहां बिखरे हुए खेतों का बिखरापन दूर करें वहां छोटे-छोटे खेतों में जो लाभहीन जोतों की शक्ल में.....

श्री अधिष्ठाता––यह जो आप लाभहीन कह रहे हैं वह शायद अनएकानामिक के लिये कह रहे हैं, उस के लिये तो अलाभकर कहा जाता है ।

श्री चरणसिंह––जी हां । अलाभकर होना चाहिये ।

श्री शिवराजसिंह यादव––जो चकबंदी योजना इस कानून के तहत में चालू है, जैसा कि मंत्री जी ने कल फरमाया था कि इसके द्वारा जो बिखरे हुए खेत हैं उन के बिखरेपन को दूर करना है । इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि सूबे में जो छोटी-छोटी जोतों को लेकर अलाभकर जोतों की शक्ल में व्यक्तिगत रूप से जो किसान खेती करते हैं उनकी खेती के व्यवसाय में अधिक सुविधा और क्षमता बढ़ाई जाय, उनकी खेती के व्यवसाय में जो आज प्रति एकड़ पैदावार है वह बढ़ायी जाय, उनकी खेती के व्यवसाय में प्रति एकड़ जो खर्चा हो रहा है वह घटाया जाय । ऐसे नियोजन के लिये एकमात्र उपाय जैसा कि नेशनल फाइव ईयर प्लान में बताया गया है वह यह है कि ऐसी भूमि व्यवस्था कायम की जाय ताकि छोटी-छोटी जोतों में अलाभकर रूप में व्यक्तिगत खेती करने वाले किसान को खेती के व्यवसाय में अधिक से अधिक कोआपरेशन मिल सके । मैं यह निवेदन करूंगा कि इस संशोधन द्वारा क्योंकर ऐसी भमि-व्यवस्था कायम हो सकती है जिस से कि अलाभकर जोतों के किसानों में ज्यादा कोआपरेशन स्थापित हो सकेगा और यदि यह स्वीकार नहीं हुआ तो क्योंकर इस सूबे में जो अलाभकर जोतों के किसान

हैं उनके बीच में ऐसी कठिनाइयां पैदा हो जायंगी जिन के फलस्वरूप उनके लिये कोआपरेटिव फार्मिग करना मुश्किल हो जायगा। वह दिक्कतें चकबंदी समाप्त होने के बाद ऐसी होंगी कि उन को हम दूर नहीं कर सकेंगे। लेकिन मैं पहले यह निवेदन कर दूं कि कोआपरेटिव फार्मिग विशेष रूप से उन छोटी जोतों के किसानों के बीच में न केवल हमारे लिये मान्य है बल्कि एक तरह से अनिवार्य है। आज छोटे-छोटे अलाभकर जोतों के किसानों के बीच में कोआपरेटिव फार्मिग की मांग है और इसी में सूबे का हित है और उन छोटे-छोटे किसानों का हित है जो दिन ब दिन गरीब होते जाते हैं। हमारी नेशनल सेकिंड फाइव ईयर प्लान में जो भूमि व्यवस्था सुधार का चैप्टर है उस में भी कोआपरेटिव फार्मिग के विषय पर जोर दिया गया है। इसके पृष्ठ ५२ में जो लैन्ड रिफार्म्स के चैप्टर में पैरा २२ में दिया हुआ है उस से मैं कुछ आप की इजाजत से पढ़ना चाहूंगा।

"The main task during the Second Five Year Plan is to take such essential steps as will provide sound foun dations for the development of co-operative farming. So that over a period of 10 years or so a substantial proportion of agricultural lands are cultivated on co-operative lines."

इस का हिन्दी अनुवाद यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इस तरह के काम किये जायेंगे जिससे कि ऐसी बुनियाद रखी जा सके जिस आधार पर अधिक से अधिक कोआपरेटिव फार्मिग हो सके और आने वाले दस वर्ष में काफी मात्रा में कोआपरेटिव फार्मिग पर खेती कर सकें। इसके अतिरिक्त पैरा ५६ में इसी नेशनल प्लान के इसी चैप्टर में दिया हुआ है कि—

"When operations for the consolidation of holdings take place, an effort should be made to educate the people in the advantages of co-operative farming so that, to the extent possible, those who wish to join together in co-operative farming societies may have their lands consolidated in one block or in a small number of compact blocks."

श्रीमन्, इसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है।

श्री अधिष्ठाता—आप इसका अनुवाद कर दें।

श्री शिवराजसिंह यादव—श्रीमन्, वह इस प्रकार से है कि जब चकबंदी योजना कहीं पर चालू की जाय तो इस बात का भी प्रयास किया जाय कि लोगों के अन्दर कोआपरेटिव फार्मिग के जो फायदे हैं उनके सम्बन्ध में यह पूरी-पूरी जानकारी करायी जाय और जो लोग कोआपरेटिव फार्मिग की खेती करना चाहें उनको एक ही ब्लाक में इकट्ठी जमीनें दी जानी चाहिये। इससे स्पष्ट हो जाता है कि नेशनल सेकेंड फाइव ईयर प्लान में जो प्रमुख लैन्ड रिफार्म्स हैं उसमें प्रमुख एक यह रिफार्म है कि ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे कि कोआपरेटिव फार्मिग करना सम्भव रहे। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि सेकेंड फाइव ईयर प्लान हमारे लिये वेद वाक्य नहीं है। कांस्टीट्यूशन में जो सेवेंथ शेड्यूल में सेकेंड स्टेट लिस्ट दी गयी है, Land उसके तहत में आता है। तो उस पर कानून बनाना पूर्णतया प्रदेशीय सरकार का काम है और उसे अनिवार्य रूप से सेकेंड फाइव ईयर प्लान को मानना जरूरी नहीं है। लेकिन मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि जब तक हमारे प्रदेश में ऐसी कोई अवस्थायें न हों, ऐसी दिक्कतें न हों जिनकी वजह से सेकेंड फाइव ईयर प्लान को न मान सकें उस समय तक जो भी डायरेक्टिव्स सेकेंड फाइव ईयर प्लान में दिये हुए हैं चाहे वह भले ही उन विषयों से संबंधित हों जो स्टेट लिस्ट में आते हों, उनको मानना हमारे लिये अनिवार्य है और ऐसा ही सेकेंड फाइव ईयर प्लान में कहा गया है। मैं आपकी इजाजत से उसे पढ़े देता हूं—

"The proposals for land reform and co-operative development set out in the Plan are therefore in the nature of a broad common approach

[श्री शिवराजसिंह यादव]

which has to be adapted and pursued in each State as part of the national plan with due regard to local conditions and in response to local needs."

श्रीमन्, आज की जो विचारधारायें हैं, जो हालात हैं, आज की जो अवस्थाएं हैं वह मैं इसके अनुकूल पाता हूं कि छोटी-छोटी जातियों के किसानों के बीच में आज कोआपरेटिव फार्मिग की व्यवस्था कायम करने के लिये सुविधायें प्रदान की जायं। कोआपरेटिव फार्मिग पैदा करके अवश्य ही हम छोटे-छोटे किसानों का हित करेंगे, अवश्य ही प्रदेश की पैदावार बढ़ायेंगे। आज जब खेती के द्वारा हमारे प्रदेश में पैदावार होती है तो उस व्यवसाय के लिये कुछ न्यूनतम जरूरतें होती हैं। मिसाल के लिये आज छोटा-सा किसान जो मिसाल को आठ बीघे खेती रखता है उसको भी दो बैल, एक गाड़ी, एक हल, एक फावड़ा, एक हंसिया, एक खुर्पा और दो बैलों को बांधने के लिये मकान, उनको खिलाने के लिये चारा इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम उसको और नई-नई सुविधाएं दें तो उसको एक डिब्लर, एक सीडर और तरह-तरह के औजारों की जरूरत पड़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्तिगत रूप से छोटी-छोटी जमीनों पर खेती करने के लिये लाजमी तौर से आज जो प्रथा हमारे देश में जारी है उसके अनुसार कुछ न्यूनतम खर्चे करने पड़ते हैं जिसकी वजह से आज जो किसान खर्चा नहीं कर पाते हैं उनको खेती में तरह-तरह की असुविधाएं पैदा होती हैं, उनके खेतों की पैदावार घटती है, उनकी खेती की क्षमता घटती है और उनकी प्रति एकड़ पैदावार घटने से आज प्रदेश की हानि होती है। मैं समझता हूं, यदि हम ऐसी भूमि व्यवस्था कायम कर सकें जिससे कि यह अलाभकर जोतों के लोग मिलकर लाभकर जोतों के यूनिट्स में शामिल हो करके खेती कर सकें तो मेरा विश्वास है कि प्रति एकड़ खेती की पैदावार बढ़ने के साथ-साथ प्रति एकड़ खेती का खर्चा भी घटेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि कोआपरेटिव फार्मिग करना, छोटी-छोटी अलाभकर खेती को खत्म करना यह सेकिंड फाइव ईयर प्लान में भूमि व्यवस्था सुधार का मुख्य अंग है, साथ ही प्रदेश का जो अन्नाभाव है, कुल प्रदेश की कृषि भूमि की ४० प्रतिशत जमीन अलाभकर जोतों के नीचे जो आज कम पैदावार दे रही है उस पैदावार को बढाने में यह एक आवश्यकीय सरकारी कदम है।

अब श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि क्योंकर इस संशोधन के फलस्वरूप हम एक ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे जिससे भविष्य में इन अलाभकर जोतों को जोतने वालों को कोआपरेटिव फार्मिग करने का बढ़ावा मिलेगा? इस सेकेंड फाइव ईयर प्लान में यह कहा गया है कि सहकारिता केवल उन लोगों के बीच में अच्छी पनपती है जिनके बीच में भारी असमानता नहीं हुआ करती। इसलिये यह आवश्यक है कि अलाभकर जोतों के जो मालिक हैं, जब चकबन्दी योजना के तहत उनको चक दिये जायं तो एक तरफ इकट्ठे दिये जायं ताकि लोगों को हमारे प्रचार के स्वरूप जब समझ आ सके तो इकट्ठा हो कर खेती करना संभव हो सके।

श्रीमन्, आज जो चक दिये जाते हैं उनमें यह ध्यान नहीं रखा जाता कि एक ब्लाक के अन्दर छोटे-छोटे किसान एक तरफ रहें और बाकी बड़े काश्तकार दूर हट जायं। लेकिन जब छोटे-छोटे किसान बड़े-बड़े किसानों के चारों तरफ चिपटे हुए हों तो यह संभव नहीं है कि वे कोआपरेशन सीक कर सकें। कल ही माननीय राजस्व मन्त्री जी ने यह डिक्लेयर किया था कि जहां चकबन्दी चालू है वहां आबपाशी के लिये, कुओं के वास्ते तकावी, देने जा रहे हैं और साथ ही यह भी रूल बना दिया है कि आठ एकड़ तक की जोत वाले जब किसान इकट्ठा हो जायंगे तभी वे एक कुएं के लिये तकावी पा सकेंगे। श्रीमन्, मैं नहीं समझ सका कि जब छोटे-छोटे किसान दूर-दूर हटे रहेंगे तब सामूहिक कुआ बनाने के लिये वे क्योंकर इकट्ठा होना पसन्द करेंगे। अगर इस दृष्टि से हम देखें तो जो स्कीमें हम आगे चालू करने जा रहे हैं उसमें यह बहुत बाधक रहेगा। हम ऐसी भूमि-व्यवस्था कायम करें और इस प्रकार का नियोजन करें कि छोटे-छोटे किसान एक

तरफ हो जायं और बड़े किसान दूसरी तरफ हो जायं ताकि खेती करने के किसी दूसरे नियोजन में यह बाधायें न पड़ें।

श्रीमन्, कहा जा सकता है कि इससे बहुत डिसलोकेशन होगा। काश्तकारों के खेतों की अदला-बदली होगी। जो विधेयक इस वक्त विचाराधीन है उसमें यह व्यवस्था की गयी है कि हर खेत की मालियत नियत की जायगी। एक ही ब्लाक में मुख्तलिफ खेतों की मुख्तलिफ कीमतें हो जायंगी। तो यह डर है कि यदि हम छोटे-छोटे काश्तकारों को एक तरफ रख देंगे तो संभावना इस बात की होगी कि उनको ज्यादा खराब या ज्यादा अच्छे खेत मिल जायंगे, निराधार है। क्योंकि जब हमको वैल्युएशन पूरा करना है तो इस प्रकार यह भय दूर हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह सदन इस संशोधन को स्वीकार करेगा।

श्री रामहेतसिंह---माननीय अधिष्ठता महोदय, खंड ९ की धारा १३-ख में जो संशोधन रखा गया है मैं उसका विरोध करता हूं और विरोध करने का काराण यह है कि जब हम एक नीति निश्चित कर चुके हैं कि जहां जिसके खेत ज्यादा होंगे और पहले से चक बना होगा वहीं उसको चक दिये जायेंगे। यदि इस संशोधन को मान लिया जाता है जैसा कि इसमें लिखा हुआ है "प्रत्येक हार में लाभहीन जोतों के कृषकों के लिये उस हार में एक निश्चित तरफ तथा क्षेत्रफल समांग रूप से निश्चित करेगा"। इस हार में एक निश्चित तरफ इशारा करता है तो उसके माने यह होते हैं कि उसका असर पूरे गांव की भूमि पर पड़ेगा। एक हार की तरफ निश्चित करने से दूसरे हार में से कम वालों को निकाल कर सवा छै एकड़ जमीन लायी जायगी और एक तरफ इकट्ठा की जायगी तो जिनके चक बने हुए हैं उनको निश्चित रूप से उठकर दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। एक तरफ तो हम यह सिद्धान्त मानते हैं कि जिस जगह पर जिनके खेत हों उसी जगह उनके चक हों और दूसरी तरफ हम यह संशोधन करें कि सवा छै एकड़ से कम वालों की जमीन एकत्रित कर दी जाय, तो यह आपस में विरोधाभास आता है।

दूसरा कारण यह भी है कि जब सवा छै एकड़ से नीचे की जमीन को अलाभकर जोत मान लेते हैं और उनको एक जगह एकत्रित करते हैं तो सवा छै एकड़ से कम वाले जो कृषक हैं वह ज्यादा तादाद में होते हैं, उनका बहुमत होता है। तो एक तरफ सवा छै एकड़ वालों को मिलाकर एकत्रित करने के बजाय जो सवा छै एकड़ से ऊपर के हैं वह एक तरफ जा पड़ते हैं, क्योंकि उनका ज्यादा एरिया होगा; और सवा छै एकड़ वाले एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं तो अगर यह विरोधामास का सिद्धान्त रख दिया जायगा तो आपस में मेल नहीं खायगा और न चकबन्दी का सिद्धान्त ही कायम रह सकेगा। जहां तक कोआपरेटिव बेसिस पर खेती करने का सवाल है तो वह चीज अलग से आती है। वह तो जो सोसाइटी बना लेंगे वह खेती कर सकते हैं। इसलिये निश्चित रूप से एक जगह करने का सवाल नहीं उठता है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री लालबहादुरसिंह---अधिष्ठाता महोदय, माननीय शिवराज सिंह जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। यह तो मन्त्री जी मानेंगे कि इस प्रदेश में अलाभकर जोत हैं। वह चाहे सवा छै एकड़ मानें या तीन एकड़ मानें। अगर तीन एकड़ मानते हैं तो उसे अगर आप रख देंगे तो शिवराजसिंह जी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अलाभकर जोत बराबर अलाभकर बनी रहें, यह प्रदेश के लिये दर्द की बात होगी। उनको कोआपरेटिव बेसिस पर लाभकर बनाया जा सकता है। यह कैसे होगा इसके लिये शिवराज जी ने सुझाव दिये हैं। मन्त्री जी या तो मानें या दूसरा रास्ता निकालें या इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---अधिष्ठाता महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। मुझे तारीख याद नहीं है लेकिन एक दिन अलाभकर जोत का मतलब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रमेश चन्द्र शर्मा]

कुछ निकाला गया और आज अलाभकर जोत आप आठ एकड़, छै एकड़ या तीन एकड़ भी बना दें तो जिसके पास सात एकड़ बंजर जमीन है वह लाभकर मान ली जायगी और सवा छै एकड़ वाली अलाभकर मानी जायगी । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

*श्री चरणसिंह---अधिष्ठाता महोदय, अलाभकर जोतों की परिभाषा करना बड़ा मुश्किल है । कितना रकबा जोत का हो, और फिर जमीन किस किस्म की होगी, सिंचाई के प्रबंध हैं या नहीं, और फिर कुछ मंडी या बाजार उनके निकट हैं या नहीं, बहुत सी बातें देखी जाती हैं इसलिये अलाभकर की परिभाषा प्रायः असम्भव है । एक जोत, अगर एक साल गल्ले का भाव बढ़ जाय, गन्ने का भाव बढ़ जाय तो लाभकर और दूसरे साल वही अलाभकर हो जाती है अगर भाव गिर जायं । इसलिये अलाभकर कहने से काम नहीं चलेगा, अलाभकर की कहीं परिभाषा हो । एक तो यही डिफेक्ट है जिस की वजह से यह रिजेक्ट हो जाना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि मान लिया जाय एक क्षेत्रफल विशेष मुकर्रर कर दें । मान लो हम सवा छः एकड़ तक मानते रहे हैं लाभकर जोत । तो सवा छः एकड़ से कम की जोतें हमारे सूबे में ७५ फीसदी ह । और तीन एकड़ से कम भी पूर्वी जिलों में ७५ फीसदी हैं मस्लन बस्ती जिले में, डुमरियागंज में ७५ फीसदी तीन एकड़ से कम की जोतें हैं । माननीय लालबहादुर सिंह के जिले में भी यही हालत होगी, अगर बदतर नहीं हैं । जहां ७५,-८० फीसदी किसानों की जमीन लाभकर है तो उसको इकट्ठा करने के मानी क्या हैं ? वह तो अपने आप ही इकट्ठा हैं । इकट्ठा करने के मानी यह हैं कि दस फीसदी लोग हैं, वह बिखरे हुए हैं उनको इकट्ठा करें । जब अलाभकर हैं ७५, ८० फीसदी तो उसके मानी क्या हैं ? इसके अलावा यह नाकाबिले अमल है । जब चकबन्दी करने जायं तब मालूम होता है । दस या पांच फीसदी किसान ऐसे हैं, पूर्वी जिले में खास तौर से जिनकी जोत लाभकर कही जा सकती है, वहां यह कहना कि उनको इकट्ठा कर दिया जाय, बेमानी है । वह इकट्ठा हैं ही । मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता मैं समझता हूं कि पांच बजे तक बिल पास हो जाय। माननीय मित्र ने कल भी सवाल उठाया था और मुझसे उनकी प्राइवेट बात भी हुई थी । बहरहाल, वह प्लानिंग कमीशन की बात सुनाना चाहते थे । वह मुझे मालूम है । लेकिन वह इम्प्रैक्टिकेबिल है । इसलिये मुझे मंजूर नहीं है ।

श्री शिवराजसिंह यादव---श्रीमन्, यह सही है कि अधिकांश काश्तकार इस प्रदेश के अलाभकर जोतों पर काश्त करते हैं । लेकिन यह सही नहीं है कि अधिकांश भूमि पर वह काश्त करते हैं । जोत चकबन्दी योजना में हम काश्तकारों को इकट्ठा नहीं करते बल्कि भूमि को इकट्ठा करते हैं । चुनांचे जब जंगलों में चक इकट्ठे होते हैं तो ज्यादातर भूमि इन बड़े-बड़े काश्तकारों की होती हैं । जो भूमि अलाभकर जोतों के जोतने वाले किसानों की होती है वह मात्रा में कम होती है । तो हम चकबन्दी में कोई नियोजन इस प्रकार का करें कि छोटी-छोटी भूमि जोतने वाले किसानों की भूमि किसी नियोजित ढंग पर इस प्रकार से व्यवस्थित हो सके ताकि वह छोटी-छोटी जोतों के किसानों की काश्तकारी के व्यवसाय में जो आज असुविधाएं हैं वह घटें और सुविधायें बढ़ें । आज छोटे-छोटे किसानों की क्षमता कम है, प्रति एकड़ पैदावार कम है, वह बढ़े । जो इन छोटे-छोटे जोतों में किसान की प्रति एकड़ में खर्च की ज्यादती है वह घटे । इसलिये मैं जरूरी तो यह समझता हूं कि चकबन्दी के साथ-साथ एक इस प्रकार का नियोजन भी चालू कर सकते जिससे कि भविष्य में इन छोटे-छोटे काश्तकारों के अन्दर हम ऐसी छोटी-छोटी units कोआपरेटिव फार्मिंग की खोलने की व्यवस्था कर सकते जिससे उन छोटी काश्तों पर मिलजुल कर खेती करना आसान हो जाता । लेकिन जैसा कि मन्त्री जी ने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बताया कि इसको अमल में लाने में बहुत सी व्यावहारिक दिक्कतें हैं, मैं उन दिक्कतों को स्वीकार करता हूं और उनको ध्यान में रखते हुए इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामलखन मिश्र—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे संशोधन का स्वरूप इस प्रकार है कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा १३-ख के खंड (क) में शब्द 'समांग' तथा शब्द "homogenous" निकाल दिये जायं।

मेरा ऐसा विश्वास है कि जिस समय इसका पांडुलिपि ड्राफ्ट होता रहा होगा तब यह रखा गया होगा। जब चकबन्दी करने में यह संभव नहीं है तो इसको रखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मेरा संशोधन है कि इसको निकाल दिया जाय।

स्वायत शासन मन्त्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—श्रीमन्, यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा १३-ख के खंड (क) में शब्द "समांग" तथा शब्द "homogeneous" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रघुनाथ सहाय यादव—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्तावित संशोधन विधेयक के खंड ९ में यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ९ में अंक '३०' के स्थान पर, जहां कहीं वह उत्तर प्रदेश जोत-चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की प्रस्तावित धारा १३-ग में आया हो अंक '२१' रख दिया जाय।

श्री रामस्वरूप यादव—स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ९ में अंक "३०" के स्थान पर जहां कहीं वह उत्तर प्रदेश जोत-चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की प्रस्तावित धारा १३-ग में आया हो अंक "२१" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०—१३

१०—मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय: — उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ का धारा १४ का संशोधन।

"१४—(१) चकबन्दी-क्रियाओं के अधीन प्रत्येक कटक के सम्बन्ध में सहायक चकबन्दी अधिकारी चकबन्दी समिति के परामर्श से एक विवरण तैयार करेगा (जिसे यहां आगे 'सिद्धांतों का विवरण' कहा गया है।) जिसमें वे सिद्धांत लिखित होंगे जिनका अनुसरण कटक में चकबन्दी क्रियाओं के करने में किया जायगा।

सिद्धांतों का विवरण।

२--सिद्धांतों के विवरण में निम्नलिखित भी होंगे--

(क) क्षेत्रों के ब्योरे, जहां तक वे इस स्तर पर निश्चित किये जा सकें, जो आबादी के प्रसार के लिये, जिसके अन्तर्गत कटक के हरिजनों और भूमिहीन व्यक्तियों के लिये आबादी के स्थल भी हैं, तथा अन्य ऐसे सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये, जो नियत किये जायं, विनिर्दिष्ट हो,

(ख) आधार जिन पर खातेदार आबादी के विस्तार और सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त भूमि देंगे, और

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१।

(ग) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ११७ या ११७-क के अधीन यथास्थिति गांव समाज या स्थानिक आधिकारिकी में निहित भूमि में से सार्वजनिक प्रयोजन के निमित्त विनिर्दिष्ट की जाने वाली भूमि।"

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा १५ का निकाला जाना।

११--मूल अधिनियम की धारा १५ निकाल दी जाय।

उ० प्र० अधिनियम ५,१९५४ की धारा १६ का संशोधन।

१२--मूल अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (१) में शब्द "विवरण" तथा "में प्रकाशित" के बीच में आने वाले शब्द "गांव" के स्थान पर शब्द "कटक" रख दिया जाय तथा शब्द "और इसकी एक प्रति चकबन्दी अधिकारी के पास भेज दी जायगी" निकाल दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा १६-क तथा १६-ख का निकाला जाना।

१३--मूल अधिनियम की धारायें १६-क तथा १६-ख निकाल दी जायं।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १०,११,१२ और १३ इस विधेयक के अंग बनें?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १४

उ० प्र० अधिनियम, ५, १९५४ की धारा १७ का संशोधन।

१४--मूल अधिनियम की धारा १७ की उपधारा (३) में शब्द "कर सकते हैं" के स्थान पर शब्द "करेंगे" रख दिया जाय।

श्री रामलखन मिश्र—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, खंड १४ में मेरा संशोधन इस प्रकार साकार होता है :—

खंड १४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय।

"१४ —मूल अधिनियम की धारा १७ में :

'(१) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (१—क) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

'(१-क) जब धारा १६ में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत न की गई हो तो चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी समिति को अपने इस अभिप्राय की उचित सूचना देने के पश्चात्, तथा धारा १४ के अधीन तैयार किये गये सिद्धातों के विवरण की शुद्धता की परीक्षा करने की दृष्टि से, कटक का स्थानीय निरीक्षण करेगा। चकबन्दी अधिकारी तत्पश्चात् सिद्धान्तों के विवरण में ऐसे परिष्कार तथा परिवर्तन कर सकता है जो वह इष्टकर अथवा आवश्यक समझे।'

(२) उपधारा (२) में शब्द तथा अंक '(१) के अधीन' के स्थान पर शब्द तथा अंक '(१), या (१-क) के, जैसी भी दशा हो, अधीन' रख दिये जायं तथा अंक '१५' के स्थान पर अंक '२१' रख दिये जायं, तथा

(३) उपधारा (३) में शब्द 'गांव' के स्थान पर शब्द 'कटक' तथा शब्द 'कर सकते हैं' के स्थान पर 'करेंगे' रख दिये जायं।"

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, इस के ऊपर कोई विशेष स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। एक क्रमबद्धता लाने के लिये यह संशोधन उपस्थित किया गया है। जिस शैली के ऊपर यह सारा विधेयक रखा गया है उसमें यह अंकों से संबंधित है और उसी प्रकार से अंक रखे गये हैं। इसमें एक उद्देश्य पूरक भाव है और चकबन्दी के कार्य में भी इससे सहूलियत हो जायगी और अन्य सुविधा होगी। इन शब्दों के साथ मैं इसको उपस्थित करता हूं और मुझे आशा है कि हमारे राजस्व मंत्री जी इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री रामस्वरूप यादव—यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"१४—मूल अधिनियम की धारा १७ में :

'(१) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (१-क) के रूप में बढ़ा दिया जाय,

'(१-क) जब धारा १६ में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत न की गई हो तो चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी समिति को अपने इस अभिप्राय की उचित सूचना देने के पश्चात्, तथा धारा १४ के अधीन तैयार किये गये सिद्धांतों के विवरण की शुद्धता की परीक्षा करने की दृष्टि से, कटक का स्थानीय निरीक्षण करेगा। चकबन्दी अधिकारी तत्पश्चात् सिद्धांतों के विवरण में ऐसे परिष्कार तथा परिवर्तन कर सकता है जो वह इष्टकर अथवा आवश्यक समझे"

[श्री अधिष्ठाता]

(२) उपधारा (२) में शब्द तथा अंक '(१) के अधीन' के स्थान पर शब्द तथा अंक '(१), या (१-क) के, जैसी भी दशा हो, अधीन' रख दिये जायं तथा अंक '१५' के स्थान पर अंक '२१' रख दिये जायं, तथा

(३) उपधारा (३) में शब्द 'गांव' के स्थान पर शब्द 'कटक' तथा शब्द 'कर सकते हैं' के स्थान पर 'करेंगे' रख दिये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १५

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा १८ का संशोधन।

१५--मूल अधिनियम की धारा १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"१८--बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी :

(१) जब सिद्धान्तों के विवरण पर धारा १६ के अधीन निर्दिष्ट समय के भीतर कोई आपत्ति न प्रस्तुत की जाय तो सबंद्ध कटक का स्थानीय निरीक्षण करने के पश्चात् और ऐसे परिष्कार अथवा परिवर्तन करने के पश्चात् जो निरीक्षण के परिणाम स्वरूप आवश्यक समझे जायं ;

(२) जब आपत्तियां प्रस्तुत की गई हों तब धारा १७ के अधीन पारित अंतिम आज्ञाओं के आधार पर सिद्धान्तों के विवरण को पुष्ट करेगा जो तत्पश्चात् कटक में प्रकाशित किया जायगा।"

श्री रामलखन मिश्र--मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड १५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

१५--मूल अधिनियम की धारा १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

१८--(१) तत्पश्चात् बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी धारा १७ के अधीन प्राप्त अंतिम आज्ञाओं के आधार पर सिद्धांतों के विवरण की पुष्टि करेगा।

(२) इस प्रकार पुष्ट सिद्धांतों का विवरण कटक में प्रकाशित किया जायगा।"

अधिष्ठाता महोदय, इस संशोधन के शब्दों से ही इसका भाव स्पष्ट है। इसलिये मुझे विशेष स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामस्वरूप यादव--यह संशोधन मुझे स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड १५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

१५--मूल अधिनियम की धारा १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"१८--(१) तत्पश्चात् बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी धारा १७ के अधीन प्राप्त अंतिम आज्ञाओं के आधार पर सिद्धांतों के विवरण की पुष्टि करेगा।

(२) इस प्रकार पुष्ट सिद्धांतों का विवरण कटक में प्रकाशित किया जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १६

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा १९ का संशोधन।

१६—मूल अधिनियम की धारा १९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"१९—(१) धारा १८ के अधीन सिद्धान्तों के विवरण के पुष्टीकरण के पश्चात् यथाशीघ्र सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी समिति के परामर्श से तथा धारा १३-घ के अधीन निर्मित विवरण के तथा सिद्धान्तों के विवरण के आधार पर तथा उपधारा (२) में उल्लिखित सिद्धान्तों का ध्यान रखते हुये एतत्पश्चात् व्यवस्थित रीति से प्रस्तावों का विवरण तैयार करेगा।

प्रस्तावों का विवरण।

(२) प्रस्तावों का विवरण तैयार करने में सहायक चकबन्दी अधिकारी निम्नलिखित सिद्धान्तों का ध्यान रक्खेगा:

(क) संचालक, चकबन्दी को मंजूरी के बिना किसी खातेदार को प्रदिष्ट किये जाने वाले चकों की संख्या गांव के हारों की संख्या से अधिक न होगी;

स्पष्टीकरण—कोई भी चकबन्दी चाहे वह उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९५६ के प्रारम्भ के पूर्व की गयी हो या पश्चात् केवल इसलिये अवैध न मानी जायगी कि किसी खातेदार को प्रदिष्ट चकों की संख्या गांव के हारों की संख्या से अधिक है;

(ख) छोटे खातेदार को यथासम्भव कम चक दिये जायंगे;

(ग) प्रत्येक खातेदार को प्रत्येक हार में उस स्थान पर जहां उसकी जोत का सब से बड़ा भाग हो यथासंभव संहत क्षेत्र प्रदिष्ट किया जायगा तथा उसका मूल्यांकन लगभग उतना ही होगा जितना कि उसके द्वारा अधिकृत उस हार के गाटे का था;

(घ) एक ही परिवार के खातेदारों को यथासंभव पास-पास चक दिये जायंगे;

(ङ) प्रत्येक खातेदार को यथासम्भव वह गाटा दिया जायगा जिसमें उसका निजी सिंचाई का साधन अथवा अन्य कोई समुन्नति विद्यमान हो और साथ में उसके पास के अन्य ऐसे गाटे भी रहेंगे जो उसके अधिकार में हों।

(३) सहायक चकबन्दी अधिकारी नियत आकार में प्रस्तावों का विवरण तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे—

(क) कटक में खातेदार के अधिकार के पहिले के गाटों तथा उसको प्रदिष्ट करने के लिये प्रस्तावित गाटों के ब्योरे;

(ख) वृक्षों, कुओं तथा अन्य सुधारों के लिये नियत रीति से अवधारित प्रतिकर;

(ग) सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट क्षेत्र; और

(घ) ऐसे अन्य ब्योरे जो नियत किये जायं।

(४) प्रस्तावों के विवरण के साथ-साथ कटक का एक नक्शा भी होगा जिसमें गाटों को प्रस्तावित प्रदेशना भी प्रदर्शित रहेगी।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१।

(५) इस अधिनियम, १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी सहायक चकबन्दी अधिकारी के लिये, जहां उसे ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो, यह विधिपूर्ण होगा कि वह मूल्यांकन अवधारित करने के पश्चात् कृषि योग्य बंजर भूमि या कोई अन्य भूमि जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ११७ तथा ११७-क के अधीन विज्ञप्ति के फलस्वरूप गांव समाज या किसी स्थानिक आधिकारिकी (Local Authority) में निहित हो, अथवा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त कोई भूमि किसी खातेदार को उसकी जोत का भाग बनाने के लिये प्रदिष्ट करे।

(६) जब किसी गांव समाज अथवा स्थानिक आधिकारिकी में निहित भूमि उपधारा (४) के अधीन किसी खातेदार को प्रदिष्ट की जाय तो यह समझा जायगा कि :

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१।

(१) राज्य सरकार ने वह भूमि १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की, यथास्थिति, धारा ११७ या ११७—क के उपबन्धों के अधीन वापस ले ली है, और राज्य सरकार द्वारा, यथास्थिति, गांव समाज या स्थानिक आधिकारिकी को उसके द्वारा की गई समुन्नति के, यदि कोई हो तो, जो उस भूमि में या उस पर उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की गयी हो, के उपलक्ष में प्रतिकर दिया जायगा;

(२) उस भूमि का उन खातेदारों के साथ बन्दोबस्त किया गया समझा जायगा जिनको वह उस भूमि में या पर की गयी समुन्नति के लिये प्रतिकर, जिसका अवधारण नियत रीति से किया जायगा, देने पर सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा प्रदिष्ट की गयी हों।

(७) जब कभी प्रस्तावों का विवरण तैयार करने में सहायक चकबन्दी अधिकारी को यह आवश्यक प्रतीत हो कि किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये प्रयुक्त भूमि को जोत में सम्मिलित करना आवश्यक है तो वह इस आशय का प्रख्यापन करेगा जिसमें यह भी कहा जायगा कि जनता तथा अन्य समस्त व्यक्तियों के उस भूमि में अधिकारों को विवरण में सार्वजनिक प्रयोजन के लिये विनिर्दिष्ट भूमि में संक्रामित करने का प्रस्ताव है तथा जब कभी इस प्रकार से अधिकार संक्रामित किये जायं तब वे उस भूमि में समाप्त हो जायंगे जिससे वे संक्रामित किये जायं तथा उस भूमि में उत्पन्न हो जायंगे जिसको वे इस प्रकार संक्रामित किये जायं।"

श्री रामलखन मिश्र—आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ में प्रस्तावित धारा १९ में :

(१) उपधारा (१) में आने वाले शब्द "में उल्लिखित सिद्धान्तों का" के स्थान पर शब्द "के उपबन्धों का" रख दिये जायं ;

(२) उपधारा (२) में आने वाले शब्द "सिद्धान्तों" के स्थान पर शब्द "बातों" रख दिया जाय ।

मैं समझता हूं कि इनमें भावों की क्रमबद्धता लाने के लिये यह संशोधन रखा गया है। मुझे आशा है इसको स्वीकार किया जायगा ।

श्री रामस्वरूप यादव—यह संशोधन मुझे स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १६ में प्रस्तावित धारा १९ में :

(१) उपधारा (१) में आने वाले शब्द "में उल्लिखित सिद्धान्तों का" के स्थान पर शब्द "के उपबन्धों का" रख दिये जायं;

(२) उपधारा (२) में आने वाले शब्द "सिद्धान्तों" के स्थान पर शब्द "बातों" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामहेत सिंह—मेरा संशोधन एजेन्डे के नम्बर १९ और २० पर है, यदि आज्ञा हो तो दोनों को एक साथ प्रस्तुत कर दूं ।

श्री अधिष्ठाता—पहले १९ पर का तो पेश कीजिये ।

श्री रामहेत सिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ में प्रस्तावित धारा १९ की उपधारा (२) के भाग (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(क) किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी खातेदार को प्रदिष्ट किये जाने वाले चकों की संख्या गांव के हारों की संख्या से जितने हारों में उक्त खातेदार की जमीन का सम्बन्ध रहा हो अधिक न होगी ।"

श्री अधिष्ठाता—दूसरा भी रख दीजिये, कोई हर्ज नहीं है ।

श्री रामहेत सिंह—खंड १६ में प्रस्तावित धारा १९ की उपधारा (२) के भाग (क) का स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पहला संशोधन मैंने जिसमें रखा है वह इस प्रकार है कि संचालक, चकबन्दी की मंजूरी के बिना किसी खातेदार को प्रदिष्ट किये जाने वाले चकों की संख्या गांव के हारों की संख्या से अधिक न होगी । लेकिन अधिष्ठाता महोदय, अगर आगे का स्पष्टीकरण पास हो जाता है और अगला स्पष्टीकरण भी पास हो जाता है तो पिछला जो यह है वह कोई माने नहीं रखता । क्योंकि स्पष्टीकरण में साफ कर दिया गया है कि कोई भी चकबन्दी जो चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत १९५६ के पूर्व की गई है अथवा पश्चात्, केवल इसलिये अवैध न मानी जायगी कि किसी खातेदार को प्रदिष्ट चकों की संख्या गांव के हारों की संख्या से अधिक है । तो एक तरफ तो हम यह लिमिट बांधते हैं कि जितने हार हों उतने ही चक दिये जायं, उससे अधिक न होंगे और स्पष्टीकरण में यह छूट दे देते हैं कि चक बांटते समय यदि हारों की संख्या से अधिक भी हो जायं तो वह अवैध न माने जायंगे । इस तरह की छूट से एक बात हमारे सामने आती है कि जो अधिकारी वर्ग

[श्री रामहेत सिंह]

चकबन्दी करता है वह अगर किसी कारण से चक ज्यादा भी बना देता है, जैसा कि आपने सुना होगा, आज कल यह भावना है कि एक काश्तकार को ३, ४ या ५ चक दिये जायं, और वह उसको दिये जाते हैं तो यह चकबन्दी का सिद्धान्त कोई माने नहीं रखता है। हमने इसमें माना है कि एकजाई चक करके भूमि व्यवस्था को ठीक किया जाय ताकि पैदावार बढ़े और इसको देखते हुए आवश्यकता इस बात की है कि चक इकट्ठे हों। हमारे अधिनियम में भी लिखा हुआ है कि आबादी के लिये नियत और सार्वजनिक क्षेत्रों को छोड़ कर प्रत्येक खातेदार को प्रदिष्ट किये जाने वाले चकों की संख्या गांव के हारों की संख्या से अधिक न होगी। हमारे अधिनियम में यह रखने के बाद सन् १९५४ में जब संशोधन हुआ तो उसमें भी यही था, लेकिन उसके बाद स्पष्टीकरण करके यह निकाल दिया गया कि हारों से चकों की संख्या ज्यादा भी हो जाय तो अवैध न होगा। ऐसा मान कर ज्यादा चक बनाने की छूट दे दी गयी है। सिद्धान्ततः यदि किसी गांव में तीन या चार हार बनाये जाते हैं तो मेरा मतलब यह है कि यदि किसी किसान का एक हार में ही खेत पड़ता है और उसमें उसके तीन या चार चक जो पहले से हैं तो उस हार में उसको सारे चक एक ही जगह मिलने चाहिये। इस स्पष्टीकरण के हो जाने से यदि ३ या ४ भी हो जाते हैं तो भी वह अवैध नहीं माना जायगा।

दूसरी बात यह है कि जब भी इस ऐक्ट में संशोधन हुए हैं तब-तब कमी का प्रतिशत हमने २० ही रखा है, लेकिन अब हम २५ प्रतिशत करने जा रहे हैं। एक तरफ तो उसके प्रतिशत को हम बढ़ाने जा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ चकों को हम उतना ही रखते हैं। तो यह चीज माननीय अधिष्ठाता महोदय, समझ में नहीं आती है। अधिष्ठाता महोदय, इसमें और पिछले प्रतिशत में थोड़ा अन्तर आता है। जब हम पंजाब की चकबन्दी से हर बात में मुकाबला करते हैं, और हर तरह से करते हैं लेकिन साथ ही यह भी कहते हैं कि वहां की भूमि व्यवस्था में और हमारे यहां की भूमि व्यवस्था में अन्तर है, इस वजह से हमें ज्यादा बांटना पड़ता है। लेकिन जहां तक चकों का सवाल है दो रायें नहीं हो सकतीं। पंजाब में खाकी और चाही का सवाल अलग-अलग कर दिया गया है लेकिन वह यहां नहीं किया गया है। पंजाब में २० और २५ फीसदी का भी कोई सवाल नहीं रखा गया है। एक तरफ तो हमने २० प्रतिशत से बढ़ा कर २५ प्रतिशत कर दिया है लेकिन दूसरी तरफ उसकी संख्या को कम नहीं कर रहे हैं। इसीलिये मैंने उसमें यह प्रतिबन्ध जोड़ दिया कि हारों से अधिक चक न बनने पावें। अतः मैं समझता हूं कि यह एक सीधा सादा संशोधन है और उसी पन्ने पर है जिस पर माननीय मंत्री जी और संशोधनों को स्वीकार कर रहे हैं तथा इसमें ऐसी भी कोई बात नहीं है जो मानने के काबिल न हो। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

*श्री चरणसिंह—अधिष्ठाता महोदय, दरअसल कानून परिस्थितियों को देख कर चलता है, वाकयात और परिस्थितियों के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया जाता। अधिष्ठाता महोदय, इसका एक बड़ा भारी सबूत हमारे सामने मौजूद है। माननीय बृजवासी लाल जी ने भी इसमें एक संशोधन दिया है, वह इस प्रकार है—

"खंड ९ में प्रस्तावित धारा १३-ख की उपधारा (क) की पंक्ति ३ में शब्द 'अनधिक' तथा शब्द 'समान' के बीच में शब्द 'या अगर जरूरी समझा जाय तो चकबन्दी बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश से उससे ज्यादा' रख दिये जायं।"

उनका यह कहना है कि ब्लाक्स ज्यादा बनाये जायं, तीन से भी ज्यादा ब्लाक्स बनाये जायं, बिना डायरेक्टर आफ कान्सालिडेशन की रजामन्दी के। क्योंकि, उनका कहना है, कभी-कभी उसकी बड़ी भारी आवश्यकता पड़ जाती है इसलिये उसका अधिकार सेटिलमेंट आफीसर को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दे दिया जाय। इस प्रकार से वे तीन ब्लाक्स को भी नाकाफी समझते हैं। वे समझते हैं कि अगर चार-पांच ब्लाक्स हो जायं तो बुरा न होगा। जब एक ही प्रदेश में मथुरा और फैजाबाद की स्थिति में इतना अन्तर है कि, फैजाबाद के माननीय सदस्य कहते हैं जितने ज्यादा हो जायं उतना ही अच्छा है लेकिन माननीय रामहेत सिंह जी कहते हैं कि तीन से भी कम हों। जब एक ही प्रदेश में इस प्रकार की दो रायें हो सकती हैं तो फिर उत्तर प्रदेश और पंजाब की परिस्थितियां एक समान कैसे हो सकती हैं। पंजाब में जमीन समतल है, हमारे यहां की जमीन इतनी समतल नहीं है। इसके अलावा वहां के किसानों के पास बड़े-बड़े रकबे हैं, २-४ बीघा अगर इधर-उधर हो जाय तो कोई बात उनके लिये नहीं है, लेकिन जहां केवल १४ बीघा ही जमीन हो, हमारे पूर्व के जो २५ जिले हैं उनमें औसत हर किसान तीन एकड़ का पड़ता है, जिसका मतलब है १४, १५ बीघे, तो वहां पर अगर एक दो बीघे खराब जमीन चक में कर दी जायगी तो उनको नुकसान होगा। इसलिये मैं यह कह रहा था कि छोटे-छोटे जोतों में बहुत ज्यादा कठिनाई है, बहुत तफसील में जाना पड़ता है और बहुत से किसानों की हर बात का लिहाज रखना पड़ता है कि उनका किसी तरह से नुकसान न हो जाय। अगर बड़ी जोत वालों को जिनका रकबा बड़ा होता है, कुछ खराब जमीन उनके चक में शामिल हो जाय, तो चूंकि उनकी कैपिसिटी है बर्दाश्त करने की, वे उसे बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिये पंजाब से मुकाबला नहीं करना चाहिये। पंजाब के और हमारे यहां की कंडीशन में बहुत फर्क है। वहां के किसान अधिकारी की बात मानते हैं, वे अपील एतराज नहीं करते और हमारे यहां तो सब बस्ता दबाये फिरते हैं, हमारे यहां के लोग ज्यादा मुकदमेबाजी करते हैं। फिर उनके यहां का कानून कोई बेहतर हो, ऐसी बात नहीं है। यहां की कंडीशन्स को देख कर, हमारे आफिसरों के इतने दिनों के तजुर्बे के बाद हम इस चीज को ला रहे हैं।

तो मेरा कहना यह है कि जितने हार हों, उससे ज्यादा चक न दिये जायं लेकिन सरकमस्टेंसेज ऐसे हो सकते हैं जहां कि देने पड़ें। अब देने पड़ेंगे तो इसका अधिकार हम सेटिलमेंट आफिसर को नहीं दे रहे हैं बल्कि इसका अधिकार हम डाइरेक्टर कन्सालिडेशन को दे रहे हैं। लेकिन वह एक्सप्लेनेशन में यों रखा है कि मान लीजिये किसी वजह से किसी गलती से प्रीवियस सैंक्शन न लें बल्कि हार लगने के बाद उसके सैंक्शन के लिये लिखें, तो मेंडेटरी मैंने यह कर दिया है कि उसकी इजाजत पहले ले ली जाय नहीं तो कोई हाई कोर्ट में चला जायगा तो सारी चकबन्दी इनवैलिडेटेड हो जायगी, कैंसिल हो जायगी। इसलिये हम दोनों चीजें कर रहे हैं और डिप्टी डाइरेक्टर को यह अधिकार नहीं दे रहे हैं बल्कि जो सबसे बड़ा अधिकारी लखनऊ में है उसे अधिकार दे रहे हैं कि जहां वह आवश्यक समझे तो वह हार से एक दो ज्यादा चक भी दे दे। इसका मतलब यह है कि इसके लिये खुली छुट्टी नहीं है कि वह जो चाहे करे, बल्कि यह अधिकार देते हुए भी बड़ी कड़ी लगान लगायी जा रही है सेटिलमेंट आफिसर के ऊपर।

चकबन्दी इतनी मुश्किल चीज है कि इसकी हर चीज के लिये पहले से विचार करके कानून की दफायें नहीं बनायी जा सकतीं, इसलिये कदम-कदम पर यह कर रहे हैं। अगर कहीं अपवाद करना हो तो वह डाइरेक्टर के बिना कंसल्टेशन के न हो। वह सरकमस्टेंसेज को देख कर अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन उन सरकमस्टेंसेज को भी डिफाइन नहीं किया जा सकता है क्योंकि न मालूम किस तरह की परिस्थिति पैदा हो जाय और हो सकता है कि किसान भी चाहें कि हार से ज्यादा चक कर दिया जाय।

अधिष्ठाता महोदय, मुजफ्फरनगर जिले की बात मैं कहूं, वहां लम्बे-लम्बे चक हो गये। वहां पर श्री द्वारिका प्रसाद सिंह डाइरेक्टर आफ कन्सालिडेशन थे जो पहले मुजफ्फरनगर में कलेक्टर रह चुके थे। उन्होंने वहां पर सब से ज्यादा भूमिधर बनाये थे, इस वजह से न मालूम वे कितने किसानों को जानते थे और किसान भी उनको जानते थे। वे डंडा लेकर गांव-गांव में निकल जाते थे। मैंने उनसे पूछा कि आपने यह क्या कर दिया, तो उन्होंने कहा कि क्या बताऊं, यहां के किसान ही ऐसा चाहते थे। मैंने उनसे कहा कि कोशिश यह करो कि जहां तक हो सके छोटे-छोटे चक न हों चाहे किसान चाहें भी, चक कम्पैक्ट और चौकोर होने चाहिये। मैं

[श्री चरणसिंह]

समझता हूं कि मुश्किल से हजार में एक अपवाद स्वरूप हो सकते हैं जहां इस चीज के इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े। इस एक्सप्लेनेशन को न रखने से कठिनाई होगी लेकिन इसको रख देने से आसानी होगी, इस तरह से यह एक्सप्लेनेशन जो रखा गया है वह तो वेलिडेशन क्लाज है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं समझता हूं कि जिस आशय और भावना से प्रियवर रामहेत सिंह जी ने यह संशोधन पेश किया है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं लेकिन उसमें कभी कठिनाई आ जाय तो उसके लिये डाइरेक्टर को अधिकार दे रहे हैं.....

श्री परमेश्वरदीन वर्मा (जिला उन्नाव)---श्रीमन्, कोरम पूरा नहीं है।

(गणपूर्ति के लिये घंटी बजाई गई तथा गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री बृजवासीलाल---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय रामहेत सिंह जी के प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूं उसूलन। माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि मैं चाहता हूं कि तीन से ज्यादा हार हों। मैं वाकई चाहता हूं और मैं वजह बता सकता हूं। जहां चकबन्दी हो रही है उन गांवों में आप देखेंगे या सारे प्रान्त के अन्दर गांवों में कई किस्म की जमीनें होती हैं और जमीनों की किस्मों के ही ऊपर हार बनाये जा रहे हैं। जमीनों की किस्म कहीं-कहीं तो दस-दस, बारह-बारह, तेरह-तेरह हैं। आप सोच लीजिये कि किसी गांव में अगर कछियाना का रकबा काफी है और गोइंड का रकबा भी काफी है तो दोनों को एक साथ नहीं कर सकते। इसी तरह अगर कहीं गोंइड भी काफी है और दुरस अव्वल भी है तो दोनों का हार अलग-अलग बनाना पड़ेगा। इसी तरह गांवों में मटियार, दुरस अव्वल, दोयम, सोयम, कई तरह की जमीनें होती हैं। तो अगर सिर्फ तीन ही रख देंगे आप तो बहुत से गांवों में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा खासकर शहर के नजदीक जहां कछियाना, दुरस अव्वल, दोयम, सोयम ऐसी कितनी ही किस्में जमीन की होती हैं। तो उसमें बड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए मैंने यह अर्ज किया था और मैं यह तरमीम चाहता था कि तीन हार तो बनाये जायं, लेकिन अगर सेटिलमेंट आफिसर जो वहां के जिले की सारी हालत से वाकिफ होता है, वह अगर जरूरत समझे तो उससे ज्यादा भी हार बना सकता है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने उसको नहीं माना। इसलिये मैंने उसको पेश नहीं किया। बहर-हाल, यह माननीय रामहेतसिंह जी का जो संशोधन है उसमें तो वह दो ही हार में खत्म कर देना चाहते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह संशोधन न माना जाय। कम से कम तीन ही हार रखे जायं, हालांकि हम चाहते थे कि चार हों।

श्री रामहेतसिंह---अधिष्ठाता महोदय, इस संशोधन से मेरा मतलब केवल यही था कि जब हम चकबन्दी करने जा रहे हैं तो एक दफा जो भी कठिनाई नजर आये उसको भुगत लें और कम से कम चक करके उसको इकट्ठा कर लें। माननीय बृजवासीलाल जी ने जो कहा है उससे तो चकबन्दी का मकसद ही समाप्त हो जाता है। मान लीजिये १२, १३, १४ किस्म की जमीनें हैं और आपने १२, १३ चक बना दिये तो उतने तो अब भी हैं। फिर चकबन्दी का मतलब क्या हुआ? अगर आप २०, २५ प्रतिशत का औसत रखते हैं जमीन के घटने बढ़ने के साथ तो उसको भी रखिये। हमारा मतलब यह था कि अच्छे किस्म की जमीन है, अगर कोई विशेष फर्क नहीं है तो औसत जो कीमत निकलती है फी बीघे के हिसाब से उसके हिसाब से चक बना दीजिये। अगर ऐसा न करें तो चकबन्दी का मकसद पूरा होता ही नहीं। फिर तो जैसे तब थे वैसे अब हैं। लेकिन, खैर, जो बातें माननीय मंत्री जी ने कहीं कि हम इसको देख रहे हैं और सारी बातें सोच-समझकर वह इसको रख रहे हैं, तो मैं अपने संशोधन को वापस ले रहा हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामलखन मिश्र---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ में प्रस्तावित धारा १९ की उपधारा (२) के खंड (ख) तथा (घ) निकाल दिये जायं और वर्तमान खंड (ग) तथा (ङ) खंड (ख) तथा (ग) के रूप में पुनः परिगणित कर दिये जायं।

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे इस संशोधन से २ जगह प्रभाव पड़ता है। एक तो 'छोटे खातेदार को यथासम्भव कम चक दिये जायेंगे' और दूसरा जो अंश निकलता है वह है 'एक ही परिवार के खातेदारों को यथासम्भव पास-पास चक दिये जायेंगे।' न दो भागों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो यह जो पहली वस्तु निकाली जा रही है, इस में छोटा काश्तकार कौन है, यह एक क्रमबद्ध चीज है, कौन छोटा है किससे, इस के लिये कर्मचारियों की सूची बनानी होगी, कौन छोटा होगा, क्या क्रम होगा; तो चीज बड़ी धुंधली हो जाती है, कोई स्पष्ट चीज नहीं होती और यह चीज कोई उद्देश्यपूरक भी नहीं होती। यह कार्यरूप में परिणत होने वाली भी नहीं है और सम्भव है कि इस के रहने से लोगों को वंचना करने का अवकाश मिल सके। अतः यह निकालने योग्य है।

दूसरे यह कि 'एक ही परिवार के खातेदारों को यथासम्भव पास-पास चक दिये जायंगे'। तो अब यह परिवार की परिभाषा भी संकुचित हो गई है, अब वह परिवार तो रहा नहीं, अब तो परिवार खंडन और मंडन की परिस्थिति में हो जाता है, वही उस पर भी लागू है। इस कारण से यह भी न रखें तो ठीक है, मैं अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता। अब मैं इन शब्दों के साथ, विस्तार न कर के, बैठ जाता हूं।

श्री रामस्वरूप यादव—यह स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १६ में प्रस्तावित धारा १९ की उपधारा (२) के खंड (ख) तथा (घ) निकाल दिये जायं और वर्तमान खंड (ग) तथा (ङ), खंड (ख) तथा (ग) के रूप में पुनः परिगणित कर दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रघुनाथसहाय यादव—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ में प्रस्तावित धारा १९ की उपधारा (२) (ग) में प्रयुक्त शब्द 'गाटे' के स्थान पर शब्द 'गाटों' रख दिया जाय।

श्री रामस्वरूप यादव—स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १६ में प्रस्तावित धारा १९ की उपधारा (२) (ग) में प्रयुक्त शब्द 'गाटे' के स्थान पर शब्द 'गाटों' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री माताप्रसाद—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ के उपखंड (२) के भाग (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित भाग (च) के रूप में रख दिया जाय :

"(च) छोटे खातेदारों को यथासम्भव उस भूमि को जिसमें वह आबाद है या जो उन की आबादी के आस-पास है, दिया जायगा।"

मान्यवर, पिछली बार भी चकबन्दी ऐक्ट में ऐसी ही व्यवस्था थी कि छोटे काश्तकार को यथासम्भव आबादी के आसपास ही चक दिये जायेंगे, लेकिन उस में कुछ कठिनाई पड़ी। मेरे संशोधन में और उसमें कुछ अन्तर है।

उस में गांव के आसपास भूमि नहीं है। और मेरे संशोधन का मतलब यह है कि बहुत छोटे-छोटे काश्तकार जो होते हैं ४–६–१० बिस्वे के, उनके जहां पर घर बने होते हैं, मैं चाहता हूं कि अगर उसी खेत में उनका घर बना हुआ हो या उनके घर के आगे पीछे मिली हुई जमीन हो तो उनको वहीं चक दिया जाय। मान्यवर, उसका कारण यह है कि छोटे-छोटे काश्तकारों के दरवाजे पर या आगे पीछे उनके घरों के, दूसरों के चक जब मिल जाते हैं तो उनके यदि पशु घर से निकलते हैं या छूट जाते हैं, उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसमें झगड़ा बना रहता है और दूसरी तरह के झगड़े भी पैदा हो जाते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि उनके घर के पास बिलकुल चक दिये जायें।

*श्री मुहम्मद हुसैन (जिला बरेली)--मैं संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं । चकबन्दी के कानून में यह है कि जो बड़े काश्तकार हैं उनके लिये तो ये सुविधायें हैं कि वे अपने चकों में जानवर भी बांध सकते हैं, अपने मकान भी बना सकते हैं और दूसरी चीजें भी रख सकते हैं, जिससे चक की अच्छी देख-भाल हो सके, लेकिन छोटे काश्तकारों को ये सुविधायें नहीं हैं । इसलिये उनके लिये आवश्यक हो जाता है कि उनके छोटे-छोटे जो चक हों वे ऐसी जगह पर हों जो उनके मकान के करीब में हों ताकि वे देख-रेख अच्छी तरह से कर सकें और उनको हानि न हो और रास्ते से बिलकुल करीब न हों, इसलिये कि अगर रास्ता पास से गया होगा तो वह उजाड़ रहेगा । इसलिये अगर उनके मकान पास हों तो देखभाल अच्छी तरह से हो सकेगी । इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

*श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन को गैरजरूरी समझता हूं । विरोध नहीं करता, वैसे समर्थन करता हूं । हिन्दी के विधेयक के पृष्ठ १४ पर खंड १६, उपखंड (२) और भाग (ङ) पढ़ लिया जाय । उसमें लिखा है, "प्रत्येक खातेदार को यथासम्भव वह गाटा दिया जायगा जिसमें उसका निजी सिंचाई का साधन अथवा अन्य कोई समुन्नति विद्यमान हो और साथ में उसके पास के अन्य ऐसे गाटे भी रहेंगे जो उसके अधिकार में हों ।" समुन्नति यानी "इम्प्रूवमेंट" उसमें हाउस भी आ जाता है । कुंआ बना हो या कोई और इम्प्रूवमेंट हों तो उसमें कोशिश की जायगी कि उसके चक में रहे । मैंने पहले भी, जब माननीय नागेश्वर जी ने एक संशोधन पेश किया था, यह बात कही थी कि मकान के लिये भी कोशिश करते हैं कि उसके पास मिले उसको इसमें साफ तौर से दे रखा है । इसके अलावा, अधिष्ठाता जी, छोटे और बड़े किसान का इम्तियाज होना नहीं चाहिये । अगर बड़े किसान का कुंआ खेत में बना हुआ है तो उसके लिये भी कोशिश करेंगे । इसलिये यह गैर-जरूरी है ।

श्री माताप्रसाद---मान्यवर, छोटे काश्तकारों से मेरा मतलब यह था कि जो एक एकड़ से कम के काश्तकार हैं । यदि माननीय मंत्री जी जैसा कहते हैं ऐसी व्यवस्था इसमें की गई है तो मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १६ इस विधेयक का अंग बने ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १७

उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा २० का संशोधन ।

१७---मूल अधिनियम की धारा २० में---

(१) उपधारा (१) में शब्द "गांव" के स्थान पर शब्द "कटक" रख दिया जाय :

(२) उपधारा (२) में शब्द "सहायक चकबन्दी अधिकारी" तथा "के समक्ष" के बीच में शब्द "अथवा चकबन्दी अधिकारी" रख दिये जांय ; तथा

(३) उपधारा (३) में शब्द तथा अंक "उपधारा (१) के खंड (ङ) और उपधारा (३) " के स्थान पर शब्द तथा अंक "उपधारा (६) और उपधारा (७)" रख दिये जायें ।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड १७ इस विधेयक का अंग बने ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खंड १८

१८—मूल अधिनियम की धारा २१ में—

उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा २१ का संशोधन।

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा प्राप्त समस्त आपत्तियां तदर्थ नियत कालावधि की समाप्ति के पश्चात् उसके द्वारा चकबन्दी अधिकारी के पास भेज दी जायगी, जो कि एतत्पश्चात् व्यवस्थित रीति से संबद्ध फरीकों तथा चकबन्दी समिति को नोटिस देने के पश्चात् उन्हें और साथ ही साथ अपने को प्राप्त आपत्तियों को भी निस्तारित करेगा ;"

(२) उपधारा (२) में अंक "१५" के स्थान पर अंक "३०" रख दिया जाय।

(३) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(३) आपत्तियां निर्णीत करने से पहले चकबन्दी अधिकारी सम्बद्ध फरीकों तथा चकबन्दी समिति को नोटिस देने के पश्चात् विवादग्रस्त गाटों का स्थानीय निरीक्षण करेगा तथा अपीलें निर्णीत करने से पहले बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी भी, जहां वह आवश्यक समझे, ऐसा कर सकता है।"

(४) उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (४), (५) तथा (६) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(४) यदि उपधारा (१) के अधीन आपत्तियां अथवा उपधारा (२) के अधीन अपील की सुनवाई या निस्तारण के दौरान में यथास्थिति चकबन्दी अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी की यह राय हो कि सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा बनाये गये या तत्पश्चात् चकबन्दी अधिकारी द्वारा परिष्कृत किये गये, जैसी भी स्थिति हो, प्रस्तावों के कार्यान्वय से बहुत से खातेदारों के साथ सारवान अन्याय होने की संभावना है और कटक के खातेदारों में भूमि की ठीक और उचित प्रदेशना, बिना उन्हें पुनरीक्षित किये या नये प्रस्तावों का विवरण तैयार किये सम्भव नहीं है, तो उन कारणों से जिन्हें अभिलिखित किया जायगा, यह वैध होगा कि—

(१) चकबंदी अधिकारी अपने समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावों के विवरण को खातेदारों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् पुनरीक्षित करे या उन्हें सहायक चकबन्दी अधिकारी के पास ऐसे निर्देशों के सहित जिन्हें वह आवश्यक समझे वापस कर दें,

(२) बन्दोबस्त अधिकारी-चकबन्दी अपने समक्ष अपील के रूप में विचाराधीन प्रस्तावों के विवरण को सम्बद्ध खातेदारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्

पुनरीक्षित करें अथवा उन्हें ऐसे निर्देशों के साथ जिन्हें वह आवश्यक समझे—

(क) चकबन्दी अधिकारी के पास आपत्तियों की फिर से सुनवाई करने के पश्चात् निर्णयार्थ वापस करें, अथवा

(ख) सहायक चकबन्दी अधिकारी के पास धारा १९ के उपबन्धों के अनुसार नये प्रस्तावों का विवरण तैयार करने के लिये वापस करें ।"

"(५) उपधारा (२) के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी-चकबन्दी की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस आज्ञा के दिनांक से तीस दिन के भीतर जिला उप-संचालक चकबन्दी के पास तथ्य के प्रश्न पर अथवा विधि के प्रश्न पर, अथवा दोनों प्रश्नों पर अपील प्रस्तुत कर सकता है, और जिला उपसंचालक-चकबन्दी या कोई दूसरा उप-संचालक चकबन्दी जिसे चकबन्दी संचालक ने इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किया हो, सम्बद्ध फरीकों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस पर अपना निर्णय देगा, जो इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन की गयी अन्यथा व्यवस्था को छोड़कर, अंतिम होगा और जिस पर किसी विधि-न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी ।"

"(६) जब उप-संचालक-चकबन्दी की उपधारा (५) के अधीन अपील की सुनवाई के दौरान में अथवा अन्य प्रकार से, किन्तु धारा ५२ के अधीन विज्ञप्ति जारी हो जाने के पश्चात् नहीं, यह राय हो कि धारा २३ के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी-चकबन्दी द्वारा पुष्ट प्रस्तावों के विवरण के कार्यान्वय से किसी खातेदार के साथ सारवान अन्याय होने की सम्भावना है तो वह अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से इस मामले में ऐसी कार्यवाही प्रारम्भ कर सकेगा मानो कि वह उपधारा (५) के अधीन प्रस्तुत अपील हो और वह उसे तदनुसार निर्णित करेगा ।"

श्री माताप्रसाद—मैं खंड १८ में निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं—

(१) खंड १८ के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(२) उपधारा (२) में अंक "१५" के स्थान पर अंक "२१" रख दिया जाय,"

(२) उत्तर प्रदेश जोत-चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा २१ की प्रस्तावित उपधारा (५) में शब्द "तीस" के स्थान पर अंक "२१" रख दिया जाय, और

(३) उत्तर प्रदेश जोत-चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा २१ की प्रस्तावित उपधारा (६) में आये हुये शब्द तथा अंक 'धारा २३ के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा पुष्ट' निकाल दिये जायं और शब्द 'प्रस्तावों के विवरण के' तथा शब्द 'कार्यान्वय' के बीच में

शब्द 'जैसे कि वे बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा उपधारा (४) के अधीन परिष्कृत अथवा तत्पश्चात् धारा २३ के अधीन पुष्ट किये गये हैं जैसी भी दशा हो", रख दिये जांय ।

मान्यवर, यह शाब्दिक संशोधन है । आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री चरणसिंह---अधिष्ठाता महोदय, मुझे यह संशोधन स्वीकार है, लेकिन एक शब्द मैं बदलवाना चाहता हूं । जहां इसमें नीचे से तीसरी लाइन में शब्द "परिष्कृत" आया ह उसके स्थान पर शब्द "पुनरीक्षित" रख दिया जाय क्योंकि उपधारा (४) में बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी जो आया है वह परिष्कृत नहीं करता, बल्कि पुनरीक्षित करता है ।

श्री अधिष्ठाता---आप लिख कर भेज दीजियेगा ।

श्री चरणसिंह---बहुत अच्छा, लिख कर भेज दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि :

(१) खंड १८ के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(२) उपधारा (२) में अंक "१५" के स्थान पर अंक "२१" रख दिया जाय",

(२) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा २१ की प्रस्तावित उपधारा (५) में शब्द "तीस" के स्थान पर अंक "२१" रख दिया जाय , और

(३) उत्तर प्रदेश जोत-चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा २१ की प्रस्तावित उपधारा (६) में आये हुये शब्द तथा अंक "धारा २३ के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा पुष्ट" निकाल दिये जायं और शब्द "प्रस्तावों के विवरण के" तथा शब्द "कार्यान्वय" के बीच में शब्द "जैसे कि वे बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा उपधारा (४) के अधीन पुनरीक्षित अथवा तत्पश्चात् धारा २३ के अधीन पुष्ट किये गये हैं जैसी भी दशा हो ", रख दिये जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १९

१९---मूल अधिनियम की धारा २२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय : उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा २२ का संशोधन ।

"२२---(१) इस अधिनियम के अधीन तदर्थ नियत कालावधि बीत जाने के पश्चात् भी चकबन्दी अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा, जैसी भी दशा हो, धारा २० के अधीन कोई आपत्ति अथवा धारा २१ की उपधारा (२) तथा (४) के अधीन कोई अपील, इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में विपरीत बात के होते हुये भी, ग्रहीत हो सकती है यदि आपत्तिकर्त्ता या अपीलकर्त्ता सम्बद्ध अधिकारी को संतुष्ट कर दे कि यदि आपत्ति या अपील ग्रहीत न होगी तो उसके साथ सारवान अन्याय होने की संभावना है ।

(२) उपधारा (१) के अधीन ग्रहीत होने पर आपत्ति या अपील की सुनवाई धारा २१ में व्यवस्थित रीति से की जायगी ।

(३) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी उपधारा (१) के अधीन कोई भी आपत्ति या अपील--

(i) निम्नलिखित अवस्थाओं में चकबन्दी अधिकारी द्वारा नहीं ग्रहण की जायगी--

(क) जब आपत्तियां प्रस्तुत की गई हों तो उनके धारा २१ के अधीन निर्णय के उपरान्त ;

(ख) जब कोई आपत्ति प्रस्तुत न की गई हो तो, धारा ३० के अधीन प्रस्तावों के विवरण के प्रकाशन के तीस दिन बाद ;

(ii) बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा धारा २३ के अधीन प्रस्तावों के विवरण के पुष्टीकरण के पश्चात् न ग्रहीत की जायगी । "

श्री रामलखन मिश्र--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १९ में प्रस्तावित धारा २२ की उपधारा (३) में खंड (१) के उपखंड (ख) के अन्त में आने वाले सेमीकोलन के उपरान्त शब्द "और" बढ़ा दिया जाय ।

शब्द "और" विभाजित करता है चकबन्दी अधिकारी और चकबन्दी बन्दोबस्त अधिकारी दोनों को और अगर शब्द "और" न रहे तो केवल चकबन्दी अधिकारी से ही मतलब समझा जायगा या उसमें भ्रम उत्पन्न होगा । यह कानून के पृष्ठ में बहुत दोषपूर्ण त्रुटि मानी जायगी । इस कारण से "और" शब्द रखा जाना आवश्यक है ।

श्री रामस्वरूप यादव --श्रीमन्, यह संशोधन स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १९ में प्रस्तावित धारा २२ की उपधारा (३) में खंड (१) के उपखंड (ख) के अन्त में आने वाले सेमीकोलन के उपरान्त शब्द "और" बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १९ इस विधेयक का अंग बने ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २०-२९

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा २३ का संशोधन

२०--मूल अधिनियम की धारा २३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

प्रस्तावों के विवरण की पुष्टि ।

"२३--(१) बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी प्रस्तावों के विवरण को पुष्ट कर देगा--

(क) यदि धारा २० के अधीन निर्दिष्ट समय के भीतर कोई आपत्ति न प्रस्तुत की जाय, या जब उसके द्वारा धारा २२ के अधीन कोई कार्यवाही न की गयी हो, या

(ख) जब ऐसी आपत्तियां प्रस्तुत की जायं या जब उसके द्वारा धारा २२ के अधीन कार्यवाही की गई हो तो धारा २१ की उपधारा (१) से (५) तक तथा धारा २२ के अधीन पारित आज्ञाओं को देखते हुये आवश्यक परिष्कारों या परिवर्तनों के पश्चात् ।

(२) इस प्रकार पुष्ट प्रस्तावों का विवरण कटक में प्रकाशित किया जायगा तथा इस अधिनियम में अथवा इसके अधीन की गई अन्यथा व्यवस्था को छोड़कर अन्तिम होगी ।

(३) तत्पश्चात् सहायक चकबन्दी अधिकारी, बन्दोबस्त अधिकारी-चकबन्दी द्वारा यथापुष्ट प्रस्तावों के विवरण के आधार पर नियत आकार में प्रदेशना की आज्ञायें जारी करेगा ।"

२१—(१) मूल अधिनियम की धारा २४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय : उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा २४ का संशोधन ।

"कब्जा और पेड़ों आदि के लिये प्रतिकर का दायित्व ।

२४—(१) बन्दोबस्त अधिकारी-चकबन्दी वह दिनांक निश्चित करेगा, जो कटक में विज्ञापित होगा, तथा जिस दिनांक से चकबन्दी योजना प्रचलित होगी । उक्त दिनांक को अथवा उसके पश्चात् खातेदारों को प्रदिष्ट गाटों पर कब्जा करने का अधिकार होगा ।

(२) चकबन्दी की योजना के कार्यान्वय के अनुसरण में उसको प्रदिष्ट गाटों में स्थित पेड़, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों को पाने वाला प्रत्येक खातेदार कब्जा पाने के दिनांक से उसके भूतपूर्व खातेदार को पेड़ों, कुओं, तथा अन्य समुन्नतियों के लिये जो उसे प्रदिष्ट की गई हों, यहां पूर्व व्यवस्थित रीति से अवधारित प्रतिकर का देनदार होगा ।"

२२—मूल अधिनियम की धारायें २५, २६ और २६-क निकाल दी जायं । उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारायें २५, २६ और २६-क का निकाली जाना ।

२३—मूल अधिनियम की धारा २७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय : उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा २७ का संशोधन ।

"नये माल अभिलेख (New revenue records) ।

२७—(१) चकबन्दी योजना के प्रवर्तन के पश्चात् यथासंभव शीघ्र जिला उपसंचालक-चकबन्दी धारा ११-ख के अधीन प्रकाशित नक्शा, खसरा और वार्षिक रजिस्टर के इन्दराजों और इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अंतिम रूप से दी तथा जारी की गई प्रदेशन-आज्ञाओं के आधार पर प्रत्येक गांव के लिये चकबन्दी क्षेत्र का नया नक्शा, खसरा तथा अधिकार अभिलेख तैयार करायेगा, उक्त नक्शों और अभिलेखों को तैयार करने में यू० पी० लैंड रेवेन्यू, ऐक्ट १९०१, के उपबन्धों का ऐसे परिष्कारों तथा परिवर्तनों के अधीन, जो नियत किये जायं, अनुसरण किया जायगा । यू० पी० ऐक्ट, ३, १९०१ ।

(२) उपधारा (१) के अधीन तैयार किये गये नक्शा, खसरा और अधिकार-अभिलेख की सभी प्रविष्ठियां अंतिम एवं निश्चायक होंगी ।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९०१ ।

(३) लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ३३ के अधीन पहले रखे जाने वाले अभिलेखों के स्थान पर कलेक्टर, उपधारा (१) के अधीन तैयार किया गया अभिलेख रखेगा ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा २९-क का संशोधन ।

२४---मूल अधिनियम की धारा २९-क की उपधारा (२) में शब्द "उस दिनांक से" के स्थान पर शब्द, "धारा २४ अथवा धारा २८ के अधीन, जैसी भी स्थिति हो, कब्जा पाने के दिनांक से" रख दिये जायं, और शब्द "जिस पर वह खातेदार, जिससे प्रतिकर की वसूली होनी हो, धारा २६ के अधीन कब्जा पाने का अधिकारी हो" निकाल दिये जायं ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा २९-ख का संशोधन ।

२५---मूल अधिनियम की धारा २९-ख में:

(१) उपधारा (१) में शब्द "नियत रीति से तथा नकदी" निकाल दिये जायं और खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित एक नये खंड (ग) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(ग) पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों की दशा में, धारा १९ के उपबन्धों के अनुसार अवधारित धनराशि ,"

(२) उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित एक नई उपधारा (१-क) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(१-क) किसी खातेदार को देय प्रतिकर का भुगतान , यदि कोई चकबन्दी व्यय हो तो उसके समायोजन के पश्चात्, उसे नकदी में किया जायेगा ।"

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ में नई धारा २९-ग का बढ़ाया जाना ।

२६---मूल अधिनियम की धारा २९-ख के पश्चात् निम्नलिखित एक नई धारा २९-ग के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त दी गई भूमि का निहित होना ।

२९-ग---(१) सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त दी गई भूमि धारा २४ के अधीन विज्ञापित दिनांक से गांव-समाज में निहित होगी और ऐसे प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होगी जिनके लिये वह चकबन्दी योजना में रक्खी गई थी, अथवा उक्त प्रयोजन के न रहने की दशा में ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये जो नियत किये जायं प्रयुक्त होगी ।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, गांव समाज अपने में इस प्रकार निहित भूमि के संबंध में ऐसे सभी अधिकारों का प्रयोग और ऐसे सभी कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम अथवा तदन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन उसमें निहित भूमि के संबंध में उसे दिये गये हों और उस पर आरोपित हों ।

१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १ ।

२७—मूल अधिनियम की धारा ३० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ३० का संशोधन ।

"चकबन्दी के पश्चात् अधिकार ।

३०—उस दिनांक में जब कोई खातेदार उन गांटों पर जो उसे प्रदिष्ट किये गये हों, धारा २४ अथवा २८ के उपबन्धों के अनुसरण में कब्जा करें, पूर्ववर्ती खातेदार के उक्त गाटों में अधिकार, आगम, स्वत्व और दायित्व तथा उसके (नये खातदार के) मूल गाटों में उसके अधिकार आगम, स्वत्व तथा दायित्व समाप्त हो जायंगे और ऐसे परिष्कारों के, यदि कोई हों तो, अधीन रहते हुए, जो चकबन्दी योजना में निर्दिष्ट किये गये हों, उन गाटों में जो उसे प्रदिष्ट किये गये हों उसके वही अधिकार, आगम, स्वत्व और दायित्व होंगे जो अपने मूल गाटों में उसके थे और उसे ऐसे वैयक्तिक स्रोत से, जब तक कि वह स्रोत विद्यमान रहे, उन गाटों में सिंचाई की ऐसी अन्य सुविधा भी प्राप्त होगी जिसका उक्त गाटों का पूर्ववर्ती खातेदार कब्जा बदलने के दिनांक के पहले उपभोग करता रहा था ।"

२८—मूल अधिनियम की धारा ३५ की उपधारा (१) में आये हुये शब्द तथा कामा "ऐसी रीति को छोड़कर जिसके विषय में धारा ३६ में कोई व्यवस्था की गई हो" निकाल दिये जायं ।

२९—मूल अधिनियम की धारा ३६, ३६-क तथा ३७ निकाल दी जायं ।

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा ३६, ३६-क तथा ३७ का निकाला जाना ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २० से लेकर २९ तक इस विधेयक के अंग

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३०

३०—मूल अधिनियम की धारा ३८ में:

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा ३८ का संशोधन

(१) उपधारा (१) में शब्द "के संबंध में" और "बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी)" के बीच में आये हुए शब्द "किसी भी" के स्थान पर शब्द और कामा "चकबन्दी संचालक, जिला उपसंचालक-चकबन्दी " रख दिये जायं, और

(२) उपधारा (२) निकाल दी जाय ।

श्री नागेश्वर प्रसाद—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३० के उपखंड (१) में प्रयुक्त शब्द "जिला " निकाल दिया जाय ।.

मान्यवर, इस खंड में लिखा है कि चकबन्दी संचालक, जिला उपसंचालक-चकबन्दी, इसमें जिला उपसंचालक से मतलब था कलेक्टर, उसको उपसंचालक पहले ही से माना गया था अतः यहां पर "जिला" शब्द रखना निष्प्रयोजन मालूम होता है ।

श्री रामस्वरूप यादव—स्वीकार है, श्रीमन् ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३० के उप-खंड (१) में प्रयुक्त शब्द "जिला" निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३० इस विधेयक का अंग बने ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३१ व ३२

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ३९ का संशोधन ।

३१—मूल अधिनियम की धारा ३९ की उपधारा (१) में अर्धविराम और शब्द "बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी)" के बीच में शब्द तथा कामा "चकबन्दी संचालक, उपसंचालक-चकबन्दी, " बढ़ा दिये जायं ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ४० का संशोधन ।

३२—मूल अधिनियम की धारा ४० में शब्द "किसी" और शब्द "बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी)" के बीच में शब्द तथा कामा "चकबन्दी संचालक, उपसंचालक-चकबन्दी" बढ़ा दिये जायं ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३१ व ३२ इस विधेयक के अंग बनें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३३

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ४२ का संशोधन ।

३३—(१) मूल अधिनियम की धारा ४२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"अधिकारी और प्राधिकारी ।

४२—चकबन्दी क्षेत्र में चकबन्दी के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार ऐसी संख्या में अधिकारियों और प्राधिकारियों को नियुक्त कर सकती है जो अपेक्षित हो ।"

(२) जिसा उपसंचालक-चकबन्दी, ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुये जो समय-समय पर चकबन्दी संचालक द्वारा जारी किये जायं, चकबन्दी लेखपालों, चकबन्दी-कर्त्ताओं तथा उपधारा (१) के अधीन जिले के लिये नियुक्त अन्य प्राधिकारियों के हल्कों का परिच्छेद कर सकता है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद—मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

(१) खंड ३३ के प्रारम्भ में प्रयुक्त अंक (१) निकाल दिया जाय ।

(२) प्रस्तावित धारा ४२ में अंक "४२" के स्थान पर "४२ (१)" रख दिया जाय ।

यह बहुत स्पष्ट है । इसमें छपाई की गलती मालूम होती है, अतः उपर्युक्त स्थान के लिये यह संशोधन रखा गया है ।

श्री चरणसिंह—स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि (१) खंड ३३ के प्रारम्भ में प्रयुक्त अंक (१) निकाल दिया जाय ।

(२) प्रस्तावित धारा ४२ में अंक "४२" के स्थान पर अंक "४२ (१)" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३३ इस विधेयक का अंग बने ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३४

३४—मूल अधिनियम की धारा ४२ के पश्चात् निम्नलिखित एक नई धारा ४२-क के रूप में बढ़ा दिया जाय :

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ में नई धारा ४२-क का बढ़ाया जाना ।

"४२—क—तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, यदि चकबन्दी अधिकारी अथवा बन्दोबस्त अधिकारी-चकबन्दी को संतोष हो जाय कि इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन तैयार किये गये किसी लेख्य में कोई लिपिक या गणना संबंधी भूल प्रत्यक्ष है तो वह या तो स्वतः या स्वत्व रखने वाले किसी व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर, उसको शुद्ध कर देगा ।"

श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तावित धारा ४२-क के हाशिये में निम्नलिखित शीर्षक दे दिया जाय :

"लिपिक तथा गणना संबंधी भूलों की शुद्धि ।"

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि दोनों का सुधार हो जाय और मंत्रीजी मान लें तो मेरे खयाल से अच्छा होगा ।

श्री रामस्वरूप यादव—स्वीकार है, श्रीमन् ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि प्रस्तावित धारा ४२-क के हाशिये में निम्नलिखित शीर्षक दे दिया जाय :—

"लिपिक तथा गणना संबंधी भूलों की शुद्धि ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३४ इस विधेयक का अंग बने ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३५

३५—मूल अधिनियम की धारा ४३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ४३ का संशोधन ।

"४३—जब किसी भी समय राज्य सरकार इस विषय में संतुष्ट हो जाय कि चकबन्दी समिति बिना किसी उचित कारण अथवा निमित्त के इस अधिनियम के अधीन अथवा उसके द्वारा आरोपित अथवा अभ्यर्पित कर्त्तव्यों अथवा कृत्यों के संपादन में असफल रही है, अथवा उसने उन्हें करनें से इन्कार कर दिया है अथवा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे समिति उक्त कर्त्तव्यों अथवा कृत्यों के संपादन में असमर्थ

हो गयी है, अथवा अन्य किसी हेतु से ऐसा करना इष्टकर या आवश्यक है, तो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, या तो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार एक नई चकबन्दी समिति का संघटन कर सकती है, या किसी अन्य प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन चकबन्दी समिति के कृत्यों अथवा कर्त्तव्यों का संपादन करने के लिये नियुक्त कर सकती है और तब इस अधिनियम के अधीन चकबन्दी समिति के प्रति सभी अभिदेश इस प्रकार पुनःसंघटित चकबन्दी समिति अथवा नियुक्त प्राधिकारी के प्रति, जैसी भी दशा हो, समझे जायेंगे।"

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३५ इस विधेयक का अंग बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

ड ३६–३९

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ४४ का संशोधन।

३६—मूल अधिनियम की धारा ४४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"४४—राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा और विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जाने वाले निरोधों और प्रतिबन्धों के अधीन—

(१) इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त कोई अधिकार किसी अधिकारी या प्राधिकारी को सौंप सकती है;

(२) इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन चकबन्दी संचालक, उपसंचालक चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी और चकबन्दी अधिकारी के अधिकारों को किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को प्रदान कर सकती है।"

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ में नई धारा ४४-क की वृद्धि।

३७—मूल अधिनियम की धारा ४४ के पश्चात निम्नलिखित एक नई धारा ४४-क के रूप में बढ़ा दिया जाय:

उच्चतर प्राधिकारी द्वारा निम्नतर प्राधिकारी के अधिकारों का प्रयोग।

"४४-क—जब इस अधिनियम के अधीन अथवा तदन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन किसी प्राधिकारी को अधिकारों का प्रयोग या कर्त्तव्यों का पालन करना हो तो ऐसे अधिकारों का प्रयोग अथवा कर्त्तव्यों का पालन उससे उच्चतर प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है।"

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा ४५ का संशोधन।

३८—मूल अधिनियम की धारा ४५ में शब्द तथा संख्या "धारा ४२ की उपधारा (१)" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम" रख दिये जायं।

३९—मूल अधिनियम की धारा ४५ के पश्चात निम्नलिखित एक नई धारा ४५-क के रूप में बढ़ा दिया जाय :

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ में नई धारा ४५-क की वृद्धि।

"धारा ५ का उल्लंघन करने का दंड।

४५-क—(१) जो व्यक्ति धारा ५ (ग) (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह किसी समर्थ न्यायालय द्वारा सिद्ध-दोष पाये जाने पर, ऐसे जुर्माने का भागी होगा जो १,००० रु० से अधिक न हो।

(२) तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई प्रतिकूल बात होते हुये भी, धारा ५ (ग) (२) के उपबन्धों के प्रतिकूल संक्रमण वैध अथवा मान्य न होगा।"

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३६ से लेकर ३९ तक इस विधेयक के अंग बनें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४०

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा ४८ का संशोधन।

४०—मूल अधिनियम की धारा ४८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"४८—चकबंदी संचालक किसी निर्णीत मामले या की गई कार्यवाही का अभिलेख मंगवा सकता है—

(क) स्वयमेव, जब उसकी राय हो कि उप-संचालक-चकबन्दी ने—

(१) ऐसे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है जो उसमें विधितः निहित नहीं था, अथवा

(२) अपने में निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है, अथवा

(३) अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अवैध रूप से या सारवान अनियमिततापूर्वक कार्य किया है, तथा जिसके परिणामस्वरूप खातेदार के साथ सारवान अन्याय हुआ प्रतीत होता हो, अथवा

(ख) खातेदार द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, जब जिला उप-संचालक-चकबन्दी प्रमाणित कर दे कि उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने मामले के निर्णय में अथवा कार्यवाही करने में खंड (क) के उपखंड (१) से (३) तक में उल्लिखित प्रकार की त्रुटि की है और जिसके परिणामस्वरूप खातेदार के साथ सारवान अन्याय हुआ प्रतीत होता है, और वह सम्बद्ध तरीकों की सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात उस मामले या कार्यवाही में ऐसी आज्ञायें दे सकता है जो वह उचित समझे।"

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत संशोधन विधेयक में निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

खंड ४० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

४०--मूल अधिनियम की धारा ४८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :-

"४८--चकबन्दी संचालक किसी वाद का जिसका निर्णय हो गया हो अथवा कार्यवाही का जो की गयी हो, अभिलेख मंगा सकता है, यदि उसकी यह राय हो कि चकबन्दी उप-संचालक ने--

(१) ऐसे अधिकार के क्षेत्र का प्रयोग किया है जो उसमें विधितः निहित नहीं था, अथवा

(२) अपने में निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है, अथवा

(३) अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अवैध रूप से या सारवान् अनियमितापूर्वक कार्य किया है, तथा जिसके परिणमस्वरूप खातेदार के साथ सारवान् अन्याय हुआ प्रतीत होता है, और वह सम्बद्ध फरीकों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् उस वाद या कार्यवाही में ऐसी आज्ञाएं दे सकता है जो वह उचित समझे।"

इस पर काफी वाद-विवाद हो चुका था। अगर यह संशोधन न पेश होता तो काफी सफाई नहीं होती थी। इस अधिकार को दे कर मैं समझता हूं कि काश्तकार के हक में व्यवस्था की गयी है। आशा है मंत्री जी स्वीकार कर लेंगे।

श्री रामलखन मिश्र--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे इस देश में आचार्य मनु का एक आदेश है . . .

श्री अधिष्ठाता--लेकिन आचार्य मनु के समय में चकबन्दी तो शायद नहीं थी।

श्री रामलखन मिश्र--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे यह मान्य है। पर आचार्य मनु को मानने वाली बहु-संख्यक जाति इस देश में रहती है जो अपने पुत्रों का नाम यहां की नदियों, पर्वतों को लेकर गंगा प्रसाद, कैलास इत्यादि रखती है। इस कारण से मैंने हवाला दे दिया है। उसमें यह लिखा है कि जब किसी सभा में जाय तो हृदय में जो बात हो स्पष्ट कहनी चाहिए वरना दोष का भागी होता है। इस भाव से प्रेरित हो कर जो संशोधन आया है इसमें कुछ कमी है उधर मैं राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा।

एक तो यह शक्ति जो दी गयी है चकबन्दी संचालक को अब तक वह एक तरह से एग्जिक्यूटिव आफिसर थे। विशेष कोई जुडीशल आफिसर नहीं थे। मेरा अभिप्राय यह है कि माल विभाग में बोर्ड आफ रेवेन्यू स्थापित किया गया है या दूसरे, न्याय विभाग में हाईकोर्ट है। वहां कानून का अध्ययन दूसरे प्रकार का होता है। बड़े-बड़े विशेषज्ञ रहते हैं। लेकिन यहां पर सारी शक्ति सब निर्णय हो जाने के बाद संचालक को दी गयी है। चकबन्दी संचालक को एग्जिक्यूटिव अधिकार तो हैं ही। न्याय का दूसरा भाग भी दिया गया है। लेकिन फिर भी क्षभ्य है। ऐसी मेरी मान्यता है, मैं वर्तमान संचालक की बात नहीं करता, लेकिन अगर चकबन्दी संचालक की गद्दी पर कोई जूनियर आफिसर आये तो जिलाधीश उसका स्वागत नहीं करते हैं। उनका स्वरूप जो है उनमें कटुता आती है और फिर वे अपने रुचिपूर्वक काम नहीं करते। वह समझते हैं कि उनके निर्णय को उसके जूनियर आफिसर्स देखेंगे। यह अधिकार राज्य सरकार को लेना चाहिये। राज्य सरकार अपनी शक्ति को फिर चाहे जिस आफिसर को डेलीगेट कर देती तो उसमें उनकी मर्यादा थी। मेरे हृदय में ऐसी एक बात आती है जिसको मैं प्रकट करना अपना कर्तव्य समझता हूं।

दूसरी त्रुटि इसके अन्दर यह है कि कोई समय नहीं बताया गया है। चकबंदी हो जाने के पश्चात् और उपसंचालक तक सारी कार्यवाही हो जाने के बाद और कब्जा मिलने के बाद "कंक्लूसिव" यानी कानून में जो बड़ा प्रभावशाली शब्द है जिसको अन्तिम कहा जाय यानी सारी बात हो जायगी वरना मेड़बन्दी जो सैकड़ों रुपया लगाकर उसको हम करा दें लेकिन जब सब हो जाय तो उसके बाद चकबन्दी संचालक शब्दों के वाग्जाल में, कानून के कटीले शब्दों के अन्तर्गत कुछ आदेश दें और फिर आगे हमको पुनः 'क' 'ख' पढ़ना पड़े और फिर उसके कारण इतने क्षतिग्रस्त होंगे। ऐसी कितनी ही बातें होंगी जिनको हम हरी, हेस्ट और कन्फ्यूजन में जिसमें हमको विचार करना पड़ रहा है हमारे मस्तिष्क में वे किरणे प्रस्फुटित नहीं होती हैं जिससे हम पूर्णरूप से विचार कर सकें। तो मैं यह दोष देखता हूं। मैं नहीं जानता कि हमारे राजस्व मंत्री जी हमारी बातों को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे किन्तु मेरा विश्वास है कि राजस्व मंत्री जी एक बार जो निर्णय कर लेते हैं, कामा और फुलस्टाप हटाने में उनको बड़ी कठिनाई पड़ती है। मैं समय को भी देखता हूं और अपने माननीय सदस्यों की रुचि भी देखता हूं इस कारण अब अधिक कहना उचित नहीं है लेकिन मेरी बात अपनी जगह पर है और रहेगी।

*श्री चरणसिंह--अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने मित्र माननीय रामलखन जी मिश्र की उस भावना की बड़ी इज्जत करता हूं जिसको उन्होंने आचार्य मनु के हवाले से व्यक्त की है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि आदमी सभा में आये और अपने मन की बात को कहे, अगर्चे इसमें कभी-कभी अपवाद भी हो सकते हैं। उन्होंने अपने मन की बात कही यह बड़ा अच्छा किया। मुझे इससे यह लाभ होगा कि जिन अन्य माननीय सदस्यों का खयाल माननीय रामलखन जी मिश्र से मिलता हो उनको जो मेडल की दूसरी साइड है दिखला दूं, वह दूसरा दृष्टिकोण भी उनके सामने आ जायगा।

पहली बात तो अधिष्ठाता महोदय यह है कि उन्होंने थोड़ा-सा संकेत किया है कि मौजूदा डाइरेक्टर आफ कंसालिडेशन कुछ जुनियर आफिसर हैं। ऐसी बात नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश में एकाध जिलाधीश ही उनसे सीनियर होंगे, दो तीन होंगे बमुश्किल तमाम। वे उम्र के चाहे थोड़े हों लेकिन जहां तक सीनियरिटी और जूनियरिटी के रूल्स हैं उनमें उनकी पोजीशन बहुत ऊंची है। लिहाजा इसकी वजह से कोई गलतफहमी जिलाधीशों में आये कि उनके आदेशों की अवहेलना करें यह नहीं हो सकता।

दूसरी बात यह है कि जो कानून बनाये जाते हैं वे किसी आफिसर विशेष को दृष्टि में रखकर तो नहीं बनाये जाते और न उसको दृष्टि में रखकर उसका विरोध करना मुनासिब है। आज किसी जगह अगर कोई अथारिटी है तो कल वह नहीं रहती। देखना यह है कि मुनासिब बात क्या है। माननीय रामलखन जी मिश्र ने यह बात कही कि इस तरह का अधिकार किसी अथारिटी में होना चाहिये या नहीं। अभी तक हमारे यहां एक अपील और एक निगरानी थी। अब २ अपील और एक निगरानी का अधिकार दे रहे हैं। निगरानी कलेक्टर सुनता था। अब यह कर रहे हैं कि कलेक्टर सेकिन्ड अपीलेट अथारिटी होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि २ अपील सुन ली गईं। तीसरी अपील का मौका उस किसान को होगा जिसकी बहुत बड़ी शिकायत होगी। उसके साथ बेइन्साफी हुई हो या जिसके केस में कलेक्टर या सेटिलमेंट अफसर ने अपने अख्तियारों का दुरुपयोग किया हो या जो अख्तियार उनमें निहित थे उनका उपयोग नहीं किया हो, जिसकी वजह से उसके साथ बेइन्साफी हुई हो तो उसको कोई और मौका अपनी शिकायत पेश करने का और अपनी बात कहने का होगा या नहीं।

अध्यक्ष महोदय, इसमें २ अपील और एक निगरानी रखी गई है। आगे के बहुत दिनों तक के लिये हम इसका नक्शा बनाने जा रहे हैं तो उसमें यह मौका होना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

चाहिये कि तीसरी निगरानी हो सके। अब यह सवाल है कि यह निगरानी गवर्नमेंट के पास रहे या किसी विशेष अधिकारी के पास रहे। जहां तक गवर्नमेंट को अधिकार देने की बात है कि मिनिस्टर कन्सर्न्ड के यहां वह निगरानी हो तो चाहे वह अच्छी बात हो या बुरी लेकिन मैं गवर्नमेंट के पास इस तरह के अधिकार देने के पक्ष में नहीं हूं। कोई भी इस तरह का अधिकार जिसमें पावर के तकसीम की बात हो, सरकार को नहीं देना चाहिये।

(इस समय ४ बजकर ४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासन हुए।)

यदि इस प्रकार का अधिकार मिनिस्टर के पास रहता है तो वह तो एक चुना हुआ आदमी है। उसको फिर लोगों के पास अगली बार राय लेने के लिये जाना होता है। अगर इस तरह का अधिकार मिनिस्टर के पास रहेगा तो उससे एक फरीक नाराज़ होगा और एक खुश होगा। तो उसके लिये राजनैतिक दृष्टि से यह एक खतरे की बात होगी। अनुभव भी यह बतलाता है कि जब किसी गवर्नमेंट या मिनिस्टर ने इस प्रकार के अधिकारों को अपने हाथ में लिया है तो वह जनप्रियता के मार्ग में बाधक होता है और लोकप्रियता के बढ़ाने में सहायक नहीं होता। पहले एक और मौके पर इस बात की चर्चा हुई थी और मैंने कहा था कि मैं इस अधिकारी को अपने पास नहीं रखना चाहता। लिहाज़ा गवर्नमेन्ट के पास क्यों यह अधिकार नहीं रहना चाहिये इसकी मैंने दलील दी। अब सवाल यह होता है कि किसके पास रहे। यह बिल्कुल सीधी-सादी बात है कि जो विभाग का सब से बड़ा अफसर है उसके पास यह अधिकार रहना चाहिये। यह डाइरेक्टर आफ कंसोलिडेशन है। माननीय रामलखन जी ने यह दलील दी कि वह तो एक्जिक्यूटिव आर्डर देता है। अब उसके नीचे के जितने लोग है, जो वह काम करते हैं वही काम उसके ऊपर क अधिकारी क्यों नहीं कर सकते हैं? जब उनकी निगरानी करेंगे तो जो चकों को खराब करेंगे उनको निकालेंगे, उनका इन्सपेक्शन करेंगे। तो अन्तिम अधिकार उसी अफसर को दिया जा सकता है किसी और को नहीं। यह बात गलत हो जायगी अगर किसी और को यह अधिकार दिया जाय। चाहे वह बोर्ड आफ रेवेन्यू का कोई मेम्बर हो या जिला जज हो। जो आदमी शुरू से उस सिस्टम के रूल और कायदे से वाकिफ है, किसानों की दिक्कत और उनकी जहनियत और चकबन्दी की दिक्कतों से वाकिफ है उसको ही यह अधिकार दिया जा सकता है। जो किसानों की जहनियत से वाकिफ न हो, चाहे वह लखनऊ में बैठा हो या इलाहाबाद में बैठा ही वह चकबन्दी जैसी चीज में इन्साफ नहीं कर सकता है। अगर निगरानी की पावर या रिवीजन की पावर डाइरेक्टर आफ कंसोलिडेशन को न देकर किसी और को दें तो यह उचित नहीं होगा। इसलिये अध्यक्ष महोदय, जो मेरे मित्र माननीय पांडेय जी ने संशोधन पेश किया है उसके लिये मैं अपने मित्र माननीय रामलखन जी का एक फ्रेज चुराये लेता हूं कि बहुत उद्देश्यपूर्ण है और मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री केशव पांडेय---मुझे अब कुछ नहीं कहना है। इसका जवाब काफी हो चुका और पंडित रामलखन जी ने जो शब्द प्रयुक्त किये हैं उनका उत्तर मैं नहीं दे सकता। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो मैंने पेश किया है उसे उसी रूप में पास किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

४०---मूल अधिनियम की धारा ४८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:-

"४८---चकबन्दी संचालक किसी वाद का जिसका निर्णय हो गया हो अथवा कार्यवाही का जो की गई हो, अभिलेख मंगा सकता है, यदि उसकी यह राय हो कि चकबन्दी उप-संचालक ने :-

(१) ऐसे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है जो उसमें विधितः निहित नहीं था, अथवा

(२) अपने में निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है, अथवा

(३) अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अवैध रूप से या सारवान् अनियमितता-पूर्वक कार्य किया है, तथा जिसके परिणामस्वरूप खातेदार के साथ सारवान् अन्याय हुआ प्रतीत होता हो, और वह सम्बद्ध फरीकों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् उस वाद या कार्यवाही में ऐसी आज्ञायें दे सकता है जो वह उचित समझे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४० इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४१

४१--मूल अधिनियम की धारा ४८-क के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा ४८-ख के रूप में बढ़ा दिया जाय :

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ में नई धारा ४८-ख का बढ़ाया जाना।

"४८-ख--जब खातेदारों के बीच में, जिनके अन्तर्गत मंडल की भूमि-प्रबंधक समिति भी है, धारा २१ की उपधारा (६) के अधीन पारित आज्ञाओं के परिणामस्वरूप करने का परिवर्तन आवश्यक हो जाय तो ऐसी आज्ञाओं के अनुसार उनके द्वारा आपस में कब्जे का विनिमय विधि-पूर्ण होगा ।

(२) जब पारस्परिक समझौते द्वारा कब्जे का परिवर्तन न हो सके तब सहायक चकबंदी अधिकारी ऐसे खातेदारों तथा भूमि-प्रबंधक समिति को धारा २८ के उपबन्धों के अनुसार कर्जा दिलायेगा ।"

श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)--अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि--

(१) प्रस्तावित धारा ४८-ख के आरम्भ में अंक "४८-ख" के स्थान पर अंक "४८-ख (१)" रख दिये जायं ।

(२) प्रस्तावित धारा ४८-ख (१) में शब्द तथा अंक "धारा २१ की उपधारा (६)" के बाद शब्द तथा अंक "अथवा धारा ४८" बढ़ा दिये जायं ।

(३) प्रस्तावित धारा ४८-ख (२) में शब्द "अनुसार" तथा शब्द "दिलायेगा" के बीच में प्रयुक्त शब्द "कर्जा" के स्थान पर शब्द "कब्जा" रख दिया जाय ।

मान्यवर, यह शाब्दिक संशोधन है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, यह मुझे स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष --प्रश्न यह है कि--

(१) प्रस्तावित धारा ४८-ख के आरंभ में अंक "४८-ख" के स्थान पर अंक "४८-ख (१)" रख दिये जायं ।

(२) प्रस्तावित धारा ४८-ख (१) में शब्द तथा अंक "धारा २१ की उपधारा (६)" के बाद शब्द तथा अंक "अथवा धारा--४८" बढ़ा दिये जायं ।

(३) प्रस्तावित धारा ४८-ख (२) में शब्द "अनुसार" तथा शब्द "दिलायेगा" के बीच में प्रयुक्त शब्द "कर्जा" के स्थान पर शब्द "कब्जा" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४१ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४२

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४, की धारा ४९ का संशोधन। "दीवानी न्यायालय के अधिक्षेत्र पर रोक।

४२--मूल अधिनियम की धारा ४९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

४९--तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में, जो उस क्षेत्र में पड़ती हो जिसके लिये धारा ४ के अधीन प्रख्यापन जारी कर दिया गया हो, खातेदारों के अधिकारों का प्रख्यापन तथा निर्णय, अथवा ऐसे किसी अन्य अधिकार का निर्णय, जो चकबन्दी कार्यवाहियों से उत्पन्न हो और जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की जा सकती थी अथवा की जानी चाहिये थी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा और कोई दीवानी या माल न्यायालय, उक्त भूमि में अधिकारों के सम्बन्ध में अथवा किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की जा सकती थी अथवा की जानी चाहिये थी, किसी वाद अथवा कार्यवाही को ग्रहण नहीं करेगा ।"

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४२ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४३

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ में नई धारा, ४९-क का बढ़ाना ।

४३---मूल अधिनियम की धारा ४९ के पश्चात् निम्नलिखित एक नई धारा ४९-क के रूप में बढ़ा दिया जाय---

"इस अधिनियम और तदधीन बनी नियमावली के अन्तर्गत की गई कार्यवाही के लिये सुरक्षा ।

४९-क---कोई भी वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये प्रस्तुत न की जा सकेगी जो उक्त अधिनियम में या तदन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन उसने सद्भावना से किया हो, या उसको करना अभिप्रेत हो ।"

श्री रामजीलाल सहायक---माध्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४३ में प्रस्तावित धारा ४९-क में शब्द "अधिनियम" तथा शब्द "या तदन्तर्गत" के बीच में प्रयुक्त शब्द 'म' निकाल दिया जाय । यह यहां व्यर्थ है और मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे ।

श्री रामस्वरूप यादव---यह संशोधन स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि प्रस्तावित धारा ४९-क में शब्द "अधिनियम" तथा शब्द "या तदन्तर्गत" के बीच में प्रयुक्त शब्द "में" निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४४ व ४५

४४–मूल अधिनियम की धारा ५० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ५० का संशोधन ।

५०–इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में दिये गये किसी प्रार्थना-पत्र पर या वकालतनामे के अतिरिक्त किसी लेख्य पर जो दाखिल किया जाय कोई न्याय-शुल्क देय न होगा ।"

"न्याय शुल्क से मुक्ति ।

४५–मूल अधिनियम की धारा ५२ में आये हुये शब्द, "गांव में चकबन्दी क्रियायें समाप्त कर दी गई हैं, और तदुपरान्त उक्त गांव," के स्थान पर शब्द "कटक में चकबन्दी क्रियायें समाप्त कर दी गई हैं और तदुपरान्त उक्त कटक का/के गांव चकबन्दी क्रियाओं के अधीन नहीं रहेगा/रहेंगे" रख दिये जायं ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ५२ का संशोधन ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४४ और ४५ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४६

४६–मूल अधिनियम की धारा ५२ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा ५३, ५३–क और ५३–ख के रूप में बढ़ा दिया जाय :

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ में नई धारा ५३, ५३–क और ५३–ख का बढ़ाया जाना ।

"५३---बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी के लिये यह वैध होगा कि वह चकबन्दी क्रियाओं के किसी स्तर पर, किन्तु धारा २७ के अधीन अन्तिम अभिलेख तैयार हो जाने के पूर्व, खातेदारों के मध्य चकों या उनके किसी भाग के पारस्परिक विनिमय की अनुमति दे, यदि वह इस बात से सन्तुष्ट हो कि उक्त विनिमय से चकों के आकार में सुधार हो जायगा अथवा उनकी संख्या में कमी हो जायगी और उन लोगों में सामान्यतया अपेक्षाकृत अधिक सन्तोष उत्पन्न होगा ।"

खातेदारों के मध्य चकों का पारस्परिक विनिमय ।

"५३–क---(१) उपसंचालक–चकबन्दी, किसी गांव के सम्बन्ध में चाहे वह चकबन्दी–क्षेत्र में भीतर हो या बाहर गांव के खातेदारों द्वारा स्वेच्छा से तैयार की गई किसी चकबन्दी-योजना को मान्यता दे सकता है, यदि वह इस बात से सन्तुष्ट हो कि उक्त योजना सन्तोषजनक है और वह इस अधिनियम के अधीन चकबन्दी के सामान्य सिद्धान्तों के अनुकूल है तथा उसे संबद्ध सभी खातेदारों का समर्थन प्राप्त है ।

खातेदारों द्वारा तैयार की गई चकबन्दी योजना की मान्यता ।

(२) उपधारा (१) के अधीन मान्यता-प्राप्त चकबन्दी योजना, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तैयार तथा पुष्ट की गई समझी जायेगी, और उसके अधीन लागू की जायेगी ।"

श्री रामलखन मिश्र--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४६ में प्रस्तावित धारा ५३-क की उपधारा (१) में आने वाले शब्द "सन्तोषजनक है और वह इस अधिनियम के अधीन चकबन्दी के सामान्य सिद्धान्तों के अनुकूल है तथा उसे सम्बन्द्ध सभी खातेदारों का समर्थन प्राप्त है" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के अधीन चकबन्दी सामान्य सिद्धान्तों के अनुकूल है तथा उसे सम्बद्ध सभी खातेदारों का समर्थन प्राप्त है और वह सब सम्बन्धित व्यक्तियों के प्रति अन्यथा न्याययुर्ण है" रख दिये जायं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी प्रभावकारी धारा है और यह संशोधन कुछ दूर तक मूल संशोधन को परिमार्जित करता है। पहली तो बहुत ही रिएक्शनरी धारा है। कारण यह है कि चकबन्दी के अनुसार चाहे १ लाख बुराई ए० सी० ओ० या सी० ओ० में हों लेकिन जब पड़ताल होगी तो गांव का बसने वाला जिसका नाम काग़ज़ में नहीं है, वह वहीं का रहने वाला है, वह जाकर अपना कब्जा बताता है और अधिकारी उसकी जांच करता है और उसके पश्चात् ३ वर्ष से ऊपर का कब्जा पाया जाता है तो धारा २१०, जमींदारी विनाश कानून के अनुसार वह काश्तकार हो जाता है। ऐसे हमारे जिले में सैकड़ों और हजारों किसानों को जमीन मिली और यह चकबन्दी की बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण धारा है। राजस्व मंत्री को मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि उनके माल विभाग में १ करोड़ रुपये की मालगुजारी अभी यह बिलकुल छिपी हुई है। बोर्ड आफ रेवेन्यू ने एक पायलट प्रोजेक्ट करके इस प्रदेश में जहां चकबन्दी नहीं हो रही है कुछ अफसरों को वहां नियुक्त किया है। सन् ५९ के खसरे खतौनी से सन् ६१ की खतौनी में बहुत सी भूलें हो गई हैं। बहुतों पर लगान नहीं बांधा गया है और उसके द्वारा १० गुने के सम्बन्ध में बहुत से खातों का अमल दरामद नहीं हुआ है। चकबन्दी में सारी गल्तियां शुद्ध हो जाती हैं। जिस किसान का नाम नहीं लिखा था उसका नाम वहां दर्ज होता है। यह संशोधन जो सरकार की तरफ से लाया गया था उसमें, भ्रम से या अज्ञानता से या ऊपर के स्तर पर निवास करने के कारण से, वह ऐसी बात हो गई है कि वहां पर जितने भी खातेदार हैं, उनका नाम दर्ज रहता है, तो कटक वाले सभी खातेदार संयुक्त होकर संचालक के पास जावें और कह दें कि हम लोगों ने आपस में चकबन्दी कर ली है और उसे सन्तोष न हो तो एक एफीडेविट दाखिल कर दे, तो ऊपर बैठे हुये को क्या जानकारी है, गांव में रहने वाला खेत जोतता है लेकिन से नहीं मालूम है, मगर चकबन्दी कानून की सारी मान्यतायें उस पर लागू होंगी, न वह अदालत दीवानी में जा सकता है, न अदालत माल में जा सकता है, उसके लिये सारे दरवाजे बन्द हो जाते हैं।

यदि मेरी स्मरणशक्ति ठीक है तो चकबन्दी कानून बनने के पहले जब एक कमेटी बैठी थी तो वहां पर जो लोग यह चाहते थे कि भूमिहीनों को जमीन न मिले वे एक ऐसा प्रस्ताव लाये थे पर उस समय हमारे राजस्व मंत्री ने उसका विरोध किया था। वह उस समय जागरूक थे, मालूम नहीं कि इस समय उनका ध्यान उधर कैसे नहीं गया। उसमें परिमार्जन है। यह है कि उपसंचालक उसकी पूरी जांच करेगा और यदि कोई विरोध करेगा तो वह मान्यता उसे प्राप्त नहीं होगी। लेकिन इसका सम्बन्ध अब विशेष नियमों से रहता है। यदि नियमों में ऐसा हो तो उपसंचालक के सामने जिस समय ऐसे प्रार्थना-पत्र खातेदारों से पेश किये जावेंगे तो नियम में ऐसी बात आनी चाहिये कि कोई अफसर गांव में जाकर इसकी जांच करे कि आया इन खेतों पर इन्हीं खातेदारों का कब्जा है या जिनका नाम नहीं लिखा है उनका भी कब्जा है। मैं चाहता हूं कि एतराज होने पर उसे स्वीकार नहीं करना चाहिये। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है।

***श्री चरणसिंह**--अध्यक्ष महोदय, न तो कोई मूल स्वरूप लुप्त हुआ है और न इस तरह का कभी पहले कोई संशोधन या प्रस्ताव ही आया था जिसका मैंने पहले विरोध किया हो। लिहाजा क्योंकि विरोध किया तो जागरूक रहा और अब सो गया हूं, ऐसी बात भी नहीं है। मेरी छत वही है जो माननीय मित्रों की है। २७ जगहों पर जहां चकबन्दी चल रही है जो सज्जन वहां से आते हैं उनसे बनी हुई एक कमेटी स्टेट एडवाइजरी कन्सालीडेशन कमेटी है और उनके मश्विरे से आम तौर पर काम किया जाता है। अगर उसके सदस्य ही छत पर बैठे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं तो मैं भी छत पर बैठा हूं। अगर वे सहन में नीचे बैठे हैं तो मैं भी सहन म बैठा हूं। तो यह उनका जरा-सा अन्याय है लेकिन खैर, वह मुहब्बत में कह रहे थे और मुहब्बत म बहुत सी बातें हो जाती हैं।

श्री अध्यक्ष—तो आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं ?

श्री चरणसिंह—मैं स्वीकार कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४६ में प्रस्तावित धारा ५३—क की उपधारा (१) में आने वाले शब्द "सन्तोषजनक है और वह इस अधियिम के अधीन चकबन्दी के सामान्य सिद्धान्तों के अनुकूल है तथा उसे सम्बद्ध सभी खातेदारों का समर्थन प्राप्त है" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के अधीन चकबन्दी सामान्य सिद्धान्तों के अनुकूल है तथा उसे सम्बद्ध सभी खातेदारों का समर्थन प्राप्त है और वह सब सम्बन्धित व्यक्तियों के प्रति अन्यथा न्यायपूर्ण है।" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामजीलाल सहायक—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४६ में प्रस्तावित धारा ५३—क के पश्चात् निम्नलिखित धारा ५३—ख के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"५३—(ख) इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ की धारा ५ के उपबन्ध इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत बनी नियमावली क अधीन प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों, अपीलों, पुनरीक्षणों तथा अन्य कार्यवाहियों पर लागू होंगे।"

मान्यवर, अंग्रेजी की जो प्रति है उसमें यह प्रावीजन है लेकिन हिन्दी वाले में यह छूट गया है। यह प्रावीजन रहना बहुत आवश्यक है। इंडियन लिमिटेशन्स ऐक्ट, १९०८ में यह बताया गया है कि कोई भी अपील, पुनरीक्षण या प्रार्थना-पत्र यदि दिया जाय तो वह किसी नियत समय के अन्दर ही होना चाहिये। उसके बाद ऐसी कोई अपील सुनी नहीं जाती है। लेकिन अगर अदालत के सामने अपीलकर्ता कोई ऐसा प्रमाण या कारण पेश करे जिसमें वह यह बताये कि मैं किस वजह से उस मीयाद के अन्दर वह अपील या कार्यवाही नहीं कर सका तो वह मान्य होगी। इस विधेयक में भी उसके रहने की आवश्यकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री रामस्वरूप यादव—मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावित धारा ५३-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा ५३-ख के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"५३—(ख) इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ की धारा ५ के उपबन्ध इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों, अपीलों, पुनरीक्षणों तथा अन्य कार्यवाहियों पर लागू होंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४७

४७—मूल अधिनियम की धारा ५४ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुये, ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं :—

(क) धारा ४ के अधीन प्रख्यापन का आकार;

उ० प्र० अधिनियम ५ १९५४ की धारा ५४ का संशोधन।

(ख) धारा ३ के खंड (२-क) के अधीन चकबन्दी समिति का संघटन, चकबन्दी समिति के सदस्यों के कार्यकाल का अवधारण तथा उसमें रिक्ति होने पर की जाने वाले कार्यवाही ;

(ग) धारा ५ के अधीन स्थगित वादों और कार्यवाहियों के निस्तारण की प्रक्रिया;

(घ) नक्शों और अभिलेखों के पुनरीक्षण से, जिसके अन्तर्गत धारा ७ से ११ और १२ के अधीन अधिकारों का प्रख्यापन भी है, संबद्ध प्रक्रिया तथा धारा १२-ख और १२-घ के अधीन खातों का विभाजन और संयोजन;

(ङ) नये खातों पर मालगुजारी का अवधारण तथा धारा १२-क के अधीन उसका पुरानी जोतों के भागों पर वितरण;

(च) धारा १३-क और १३-ख के अधीन गाटों के मूल्यांकन के अवधारण, हारों के निर्माण तथा वृक्षों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों के निमित्त प्रतिकर के अवधारण की रीति और प्रक्रिया;

(छ) धारा १८ और २३ के अधीन सिद्धान्तों के विवरण तथा प्रस्तावों के विवरण के निर्माण तथा उनके पुष्टीकरण की प्रक्रिया और रीति;

(ज) प्रदेशन आज्ञा का आकार तथा धारा २३ के अधीन इसके जारी होने की प्रक्रिया और रीति;

(झ) एतदर्थ निर्दिष्ट प्रयोजनों पर चकबन्दी समिति के विचार प्राप्त करने की प्रक्रिया और रीति;

(ञ) उस सार्वजनिक प्रयोजन का अवधारण जिसके निमित्त क्षेत्र विनिर्दिष्ट किये जायं, और रीति जिसमें यह किया जाय;

(ट) सार्वजनिक भूमि से उस भूमि में जो सार्वजनिक प्रयोजन के निमित्त विनिर्दिष्ट की गई हो, अधिकारों के संक्रामण से सम्बद्ध विषय;

(ठ) धारा २४ और २८ के अधीन कब्जा लेने की प्रक्रिया;

(ड) इस अधिनियम के अधीन किसी व्यति को दिये जाने वाले या उससे वसूल किये जाने वाले प्रतिकर के अवधारण की प्रक्रिया और रीति;

(ढ) चकबन्दी यय के जिसके अन्तर्गत वह अनुपात भी है जिसके अनुसार उसका वितरण किया जा सकता है, वितरण करने के सम्बन्ध में विचार की जाने वाली परिस्थितियां और विषय;

(ण) इस अधिनियम के अधीन किसी नोटिस या किसी लेख्य के तामील की जाने की रीति से संबद्ध विषय;

(त) इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियों में, जिनके अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र और अपीलें भी हैं, अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(थ) इस अधिनियम के अधीन क्षेत्राधिकार रखने वाले प्रत्येक अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्तव्य और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(द) उन मामलों में जिनमें यहां पर तत्सम्बन्धी विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है, इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्रों और अपीलों के प्रस्तुत किये जाने की कालावधि;

(ध) किसी प्राधिकारी को निश्चित काल सीमाओं के बढ़ाने का अधिकार देते हुये अथवा न देते हुये काल सम्बन्धी सीमाओं का निश्चय जिनके भीतर नियमों के प्रयोजनों के निमित्त कार्य अवश्य किये जाने चाहिये;

(न) किसी प्राधिकारी या अधिकारी के पास से दूसरे को कार्य-वाहियों का संक्रमण; और

(प) अन्य कोई विषय जो नियत हो या नियत किया जाय।"

श्री रामजीलाल सहायक—मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

(१) मद (ट) में प्रयुक्त शब्द "संक्रामण" के स्थान पर शब्द "संक्रमण" रख दिया जाय।

(२) मद (ढ) में प्रयुक्त शब्द "यय" के स्थान पर शब्द "व्यय" रख दिया जाय।

मान्यवर, यह एक शाब्दिक संशोधन है, इसलिये आशा है माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

(१) मद (ट) में प्रयुक्त शब्द "संक्रामण" के स्थान पर शब्द "संक्रमण" रख दिया जाय।

(२) मद (ढ) में प्रयुक्त शब्द "यय" के स्थान पर शब्द "व्यय" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४८

४८—मूल अधिनियम में जहां कहीं भी शब्द "बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी)" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "बन्दोबस्त अधिकारी-चकबन्दी" रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४९ व नया खंड ५०

४९—(१) इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम का संशोधन हो जाने पर भी, ऐसी सभी कार्यवाहियां, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर आरब्ध तथा विचाराधीन हों, और संक्रमणीय उपबन्ध।

(१) जिनका सम्बन्ध मूल अधिनियम की धारा ७ तथा ८ के अधीन अभिलेखों के शोधन से अथवा मूल अधिनियम की धारा

१२, २० तथा ३४ के अधीन अधिकारों, आगम, स्वत्व, दायित्व तथा आभार के प्रख्यापन से हो, या

(२) जिनका सम्बन्ध मूल अधिनियम की धारा ११ और १२ तथा अध्याय ३ के अधीन चकबन्दी-योजना की तैयारी से हो,

उनकी सुनवाई और उनका निर्णय मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार होता रहेगा, मानो यह अधिनियम प्रचलित ही न हुआ हो।

(२) अन्य सभी कार्यवाहियों का संचालन तथा परिसमापन इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार होगा।

श्री शिवराजसिंह यादव--अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि मेरे द्वारा जो संशोधन पेश किया जा रहा है उसमें नये खंड ५० का जिक्र है, जो बाबूराम जी द्वारा इसके आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिये यह उचित होगा कि पहले सदन उस संशोधन पर विचार कर ले।

श्री अध्यक्ष--माननीय बाबूराम जी अपना संशोधन उपस्थित करें।

श्री बाबूराम (जिला बरेली)--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं इस चकबन्दी संशोधन विधेयक, १९५८ में निम्न संशोधन पेश करना चाहता हूं--

विधेयक के खंड ४९ के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड ५० के रूप में बढ़ा दिया जाय :--

"५०--(१) राज्य सरकार मूल अधिनियम के, जैसा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित होने के पूर्व था, उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण के सम्बन्ध में कठिनाइयों के निवारणार्थ सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके--

(क) निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम ऐसी अवधि में जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हो, जो भी वह उपयुक्त समझे, प्रभावी होगा, अथवा

(ख) उपर्युक्त किसी कठिनाई को दूर करने के लिये ऐसे अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है जिन्हें वह उपयुक्त आवश्यक या वांछनीय समझे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से २४ महीने के पश्चात् ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी जायगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गई समस्त आज्ञायें दिये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के सामने कम से कम १४ दिन तक रखी जायेंगी और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहते हुए जो विधान मंडल उन में करे, प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होंगी।" मेरी प्रार्थना है कि माननीय माल मंत्री जी मेरे इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)--अध्यक्ष महोदय, इस क्लाज के बारे में मेरे दो प्वाइंट आफ आर्डर्स हैं। एक तो यह कि जब तक कि क्लाज ४९ पर डिस्कशन न हो जाय तब तक यह नहीं लिया जा सकता है। इसकी पुष्टि में मैं मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का हवाला देना चाहता हूं। इसके पेज ५६२ पर यह लिखा हुआ है--

"New clauses are normally considered after the clauses of the Bill have been disposed off."

इसके आगे पांचवीं लाइन में लिखा हुआ है--

"New clauses are considered in the order in which they stand on the notice paper, that is, the order in which they have been handed in, except that clauses offered by the Member in charge of the Bill are placed first and may be arranged in any order he wishes."

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक सेक्शन ४९ पर कंसीडरेशन नहीं हो जाता तब तक सेक्शन ५० पर कंसीडरेशन नहीं हो सकता। एक तो मेरा एतराज यह है।

दूसरी मेरी आपत्ति यह है कि यह एक नया क्लाज है और नया क्लाज ऐसा होना चाहिये जो कि बिल के एम्स ऐंड आबजेक्ट्स के भीतर हो। इस बिल का एम्स ऐंड आबजेक्ट्स यह है--"यह इष्टकर है कि एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३, को जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है, संशोधित किया जाय।" तो ओरिजिनल बिल जो सदन के सामने पेश हुआ है उसमें इसका कहीं जिक्र नहीं है जिसमें सरकार को नया कानून या नया अधिकार देने की बात हो, या ट्रांजिशनल पीरियड के लिये अधिकार देने की बात हो। तो यह एक बिल्कुल नया क्लाज है जो उन प्रिंसिपुल्स से जुदा है जो इस सदन के सामने पेश हुए। तो इस सिलसिले में मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में डिफाइन किया गया है। उसका हवाला पेज ५३९ में है, जिसको मैं पेश करना चाहता हूं :--

"The objects of a Bill are stated in its long title, which should cover everything contained in the Bill, as introduced, and an amendment which is inside the title of the Bill, is in order."

आगे सेक्शन (३) में लिखा है--

"An amendment which is outside the 'scope' of the Bill is out of order and cannot be entertained, unless a special instruction has been given by the House to the Committee."

यह कमेटी आफ दी हाउस से मतलब है और कमेटी आफ दी होल हाउस की प्रथा यहां नहीं है। इसलिये वह उस पर लागू नहीं होता।

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो नया क्लाज ऐड किया जा रहा है यह ओरिजिनल बिल के प्रिंसिपुल्स से अलग है और उसके स्कोप के बाहर है.....

श्री अध्यक्ष--किस प्रकार स्कोप के बाहर है यह भी बता दीजिए।

श्री वीरसेन--क्योंकि इसमें मैंने अर्ज किया कि ओरिजिनल जो प्रिंसिपुल्स है वह तो यह है कि जो ओरिजिनल चकबन्दी ऐक्ट है उसमें कुछ खामियां निकल आयी हैं उनको पूरा करने और दूर करने के लिए यह बिल है। इसके एम्स ऐंड आबजेक्ट्स को भी आप देखें तो उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि सरकार ने इन पावर्स को मांगा हो। ओरिजिनल ऐक्ट में जो कमियां नजर आईं सरकार को उसे कार्यान्वित करने में, उनको दूर करने का बिल है, नई पावर्स देने का नहीं है। जो नई पावर्स सरकार मांग रही है कि इस बिल में जो क्लाजेज हैं उनको तरमीम करने का हक हो, उनमें परिष्कार करने का हक हो या नोटिस के जरिये से चेंज करने का हक हो, यह चीजें पहले से नहीं थीं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो प्रिंसिपुल्स सेकेंड रीडिंग में हाउस ने मंजूर किये उन सबसे यह बिलकुल जुदा है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह नया क्लाज पेश नहीं हो सकता।

श्री चरणसिंह--अध्यक्ष महोदय, दो बातें माननीय मित्र ने उठायीं। एक तो यह कि जो आर्डर लिस्ट पर दर्ज है इन संशोधनों के सिलसिले में उसी के मुताबिक आप काम कर सकते हैं या यह सदन काम कर सकता है और अगर जरूरत समझें तो एक संशोधन को छोड़कर, एक प्रस्ताव को छोड़कर दूसरे पर नहीं विचार कर सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि

[श्री चरण सिंह]

उसके लिए कुछ कहना बिलकुल गैरजरूरी है। ऐसा आज पहली बार नहीं हो रहा है। स्पीकर को पूरा अधिकार है कि जो बिजनेस का आर्डर है वह स्वयं बिना सदन की अनुमति लिए उसमें चेंज कर सकते हैं और मेरे पास इस वक्त रूल्स की कापी नहीं है, उसमें भी एक स्पेसिफिक रूल इस सिलसिले में है। न भी हो स्पीकर को ऐसा अधिकार, तो सदन को ऐसा अधिकार है। सदन अपने प्रोसीजर का मास्टर है कि किस बिजनेस को किस वक्त ले। यह ऐसा नहीं है कि वह अपने हाथ हमेशा के लिए बांध दे। वह जब चाहे उस प्रोसीजर को चेंज कर सकता है। तो पहली बात के सिलसिले में तो मुझे यह कहना है कि उसमें तो कोई सार है ही नहीं।

दूसरी बात यह कि स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजंस में जितने संशोधन इस विधेयकफ के जरिये लाये जा रहे हैं उनका जिक्र नहीं हुआ। तो ऐसा तो किसी भी बिल के स्टेटमेंट आता आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स में नहीं रहता। इम्पार्टेंट जो रहते हैं हमेशा उन्हीं का संकेत रहजी है। वरना स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स एक बड़ी लम्बी कहानी हो जायगी। अब इाय जैल में जो दूसरा एतराज है, उनका कहना यह है कि यहजो संशोधन है यह बिलकुल एक न संशोधन स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स से बिलकुल बाहर है। तो इस तरह की बात सो और संशोधन हमने इस बिल में मंजूर किये हैं उनकी बाबत भी कही जा सकती है। मसलन अभी श्री रामजी लाल सहायक ने यह कहा था कि लिमिटेशन ऐक्ट का सेक्शन (४) इसका जुज होग। इसका जिक्र नहीं था। तो अगर आपकी बात मान ली जाय तो जो विधेयक जैसा आता ह उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। अब आपका कहना यह है कि यह संशोधन-ठीक में उसको समझा नहीं शायद उनका मतलब यह था कि यह एक बड़े भारी सब्सटेंस का संशोधन है, उसका इस बिल से कोई वास्ता नहीं है। ऐसा उनका खयाल है। मैं यह अर्ज करूंगा कि यह जो संशोधन हो रहा है उसकी मंशा यह है कि ट्रान्जिशन में जो दिक्कतें आयें वह दूर हो जाय और इसी सम्बन्ध में यह संशोधन है। यह जो ऐक्ट है जिसमें यह संशोधन विधेयक आया है उसमें इस सेक्शन से संशोधन नहीं हो रहा है, उस में हम कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहां केवल गवर्नमेंट को यह अधिकार दे रहे हैं कि अगर ट्रान्जिशन पीरियड में कोई दिक्कत आये तो उस पीरियड में इस कानून की मन्शा की पूर्ति के लिये इस कानून के द्वारा जब यह बन जायगा काम कर सकें। यह चीज आज पहली बार नहीं हो रही है, जब जमींदारी अबालिशन ऐक्ट बना था तो उसमें भी इसी तरह का एक सेक्शन रखा गया था जिससे वह दिक्कतें जो बीच में आयें वह रिमूव हो जायं। इसलिये कि जमींदारी का एक पुराना सिस्टम था उसकी जगह एक नया सिस्टम कायम किया गया, पता नहीं उसमें क्या-क्या दिक्कतें आ जायं। तो नया ऐक्ट जो बनने जा रहा है उसके सिद्धान्तों के मुताबिक केवल ट्रांजिशन पीरियड के लिये इसमें ऐसे सेक्शन की आवश्यकता है कि सरकार को इस तरह का अधिकार दिया जाय जिस तरह से कि रूल मेकिंग पावर दी जाती है। इस तरह से यह केवल एक लिमिटेड पीरियड के लिये ही है। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बिल जो आ रहा है मुझे मालूम नहीं, जो शायद अभी पास हो चुका है उसमें भी ऐसा सेक्शन है.....

श्री अध्यक्ष—यह जो आप ट्रांजिशन पीरियड कह रहे हैं, बिल जब पारित हो जायगा उसके परिणामस्वरूप जो ट्रांजिशन पीरियड आयेगा उससे आपका मतलब है?

श्री चरणसिंह—जी हां। १३,००० गांवों में चकबन्दी होना है, ५०-५१ लाख एकड़ जमीन से इसका सम्बन्ध है, अभी बहुत से इसके स्टेजेज हैं, कोई नहीं कह सकता कि कब हमें कौन-सा प्रोसीजर बदलना पड़े, कहीं हम अधिकार दे रहे हैं, कहीं ले रहे हैं। मनुष्य की बुद्धि, राज्य कर्मचारियों की बुद्धि या अब यों कहिये कि यहां के विधायकों की बुद्धि के अनुसार यह बिल बन रहा है; लेकिन कोई नहीं कह सकता कि जब यह लागू होगा तो कभी किसी किसान के साथ अन्याय न होगा या इसमें कोई दिक्कत नहीं आयेगी। इसलिये इस खंड के द्वारा सरकार को यह अधिकार दिया जा रहा है कि ट्रांजिशन पीरियड या २४ मास

के लिये यह अधिकार इस्तेमाल किये जायंगे, एक अस्थायी चीज है और जो अधिकार इस्तेमाल होंगे उनका भी कोई हक...

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अब यह चीज साफ हो गई। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में नई क्लाजेज के सम्बन्ध में दिया है कि--

"New clauses are normally considered after the clauses of the Bill have been disposed of."

यानी जब साधारण धारायें समाप्त हो जायं तब असाधारण भी ली जा सकती हैं, इसमें यह नहीं है कि वह लाई ही नहीं जा सकतीं। असाधारण परिस्थिति पैदा हो सकती है कि जिसमें सदन को निश्चय करना हो कि कौन क्लाज ली जाय। उन्होंने जो वैधानिक प्रश्न छेड़ा तो उसके बारे में इसमें दिया हुआ है कि ऐसे मौके पर इसका निबटारा मेम्बर इन्चार्ज आफ दि बिल या पब्लिक बिल आफिस करेंगे, यहां पर कोई पब्लिक बिल आफिस तो है नहीं, लेकिन मैं यहां ऐसे मौके पर सदन की राय ले लेता हूं, सदन चाहता है कि ले लिया जाय तो हम ले लेते हैं और अगर चाहता है कि छोड़ दें तो नहीं लेते। और इसी प्रथा को जारी रखने में औचित्य है।

दूसरी बात जहां तक स्कोप के सम्बन्ध में कही गयी, मैं वित्त मंत्री जी से सहमत हूं कि इसमें कोई स्कोप के बाहर की चीज नहीं है। यह इंटरिम पीरियड के लिए, जो ट्रांजीशनल पीरियड है उसमें जो परिस्थिति उत्पन्न होगी इस विधेयक को पारित होने के बाद, उसी के परिणाम से जो बात उत्पन्न होती है उसका सामना करने के लिए यह धारा है। इसलिए स्कोप के बाहर भी नहीं है। इसलिए यह उपस्थित हो सकती है।

माननीय वित्त मंत्री जी, क्या आप इस संशोधन को स्वीकार करते हैं?

श्री चरणसिंह-- जी हां, यह संशोधन मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड ४९ के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड ५० के रूप में बढ़ा दिया जाय।

मैं एक बात जानना चाहता हूं कि क्या नया खंड ५० इस ४९ खंड के पहले स्वीकार होगा?

श्री चरणसिंह--जी हां, सिलसिला ऐसा ही है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड ४९ के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड ५० के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"५०--(१) राज्य सरकार मूल अधिनियम के, जैसा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित होने के पूर्व था उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण के सम्बन्ध में कठिनाइयों के निवारणार्थ सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके :

(क) निदेश दे सकती है कि उस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम ऐसी अवधि में जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हो, जो भी वह उपयुक्त समझे, प्रभावी होगा, अथवा

(ख) उपर्युक्त किसी कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसे अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है जिन्हें वह उपयुक्त, आवश्यक या वांछनीय समझे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से २४ महीने के पश्चात् ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी जायगी।

[श्री अध्यक्ष]

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गयी समस्त आज्ञाएं दिये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के सामने कम से कम १४ दिन तक रखी जायंगी और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहते हुए जो विधान मंडल उनमें करे, प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होंगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नया खंड ५० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शिवराजसिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से प्रस्तावित विधेयक में यह संशोधन पेश करता हूं—

खंड ४९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"४९—इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम का संशोधन हो जाने पर भी वे सब कार्यवाहियां जो इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक के पूर्व आरम्भ हो गयी हों और उक्त दिनांक पर चल रही हों, तथा

(१) जो मूल अधिनियम की धारा ७ के अधीन अभिलेखों के संशोधन से संबंधित हों, उक्त धारा के उपबन्धों के अनुसार पूरी की जायंगी और इस प्रकार पूर्ण हो जाने पर इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम की धारा ७ एवं ८ के अधीन की गयी कार्यवाहियां मानी जायंगी। और उसके आगे की समस्त कार्यवाहियां इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संचालित तथा समाप्त की जायंगी,

(२) जो मूल अधिनियम की धारा ८ के और उसके बाद की धाराओं के अधीन की गयी हों, इस अधिनियम की धारा ५० के उपबन्धों के अधीन रहते हुए मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संचालित तथा समाप्त की जायंगी मानो यह अधिनियम प्रचलित ही न हुआ हो।"

श्रीमन्, मूल अधिनियम के तहत में आज प्रदेश के मुख्तलिफ भागों में चकबन्दी योजना चालू है। जाहिर है कि जब यह अधिनियम प्रचलित होगा तो प्रदेश के मुख्तलिफ गांवों म जो चकबन्दी योजना चालू है वह मुख्तलिफ स्टेजेज में होगी। इस संशोधन के द्वारा यह साफ किया गया है कि मुख्तलिफ स्टेजेज में जो चकबन्दी योजना चालू होगी वह इस अधिनियम द्वारा उसकी अधूरी कार्यवाही को पूरा किया जायगा या मूल अधिनियम के द्वारा पूरा किया जायगा। श्रीमन् जो कार्यवाही धारा ७ से पहले की अधूरी होगी वह सारी की सारी इस अधिनियम के द्वारा पूरी की जायगी और जो कार्यवाही धारा ७ केतहत अधूरी होगी वह मूल अधिनियम की धारा ७ के तहत पूरी की जायगी और उसके बाद की कार्यवाही इस अधिनियम की धाराओं के तहत पूरी की जायगी और जो कार्यवाही मूल अधिनियम की धारा ८ व आगे की धाराओं के तहत जारी थीं वे मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जायंगी, लेकिन अब इस अधिनियम का ५०वां उपबन्ध उन पर लागू होगा। मैं आशा करता हूं कि यह आदरणीय सदन इस संशोधन को स्वीकार करेगा।

श्री रामस्वरूप यादव—मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"४९—इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम का संशोधन हो जाने पर भी वे सब कार्यवाहियां जो इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक के पूर्व आरम्भ हो गई हों और उक्त दिनांक पर चल रही हों, तथा

(१) जो मूल अधिनियम की धारा ७ के अधीन अभिलेखों के संशोधन से सम्बन्धित हों, उक्त धारा के उपबन्धों के अनुसार पूरी की जायंगी और इस प्रकार पूर्ण हो जाने पर इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम की धारा ७ एवं ८ के अधीन की गई कार्यवाहियां मानी जायंगी, और उसके आगे की समस्त कार्यवाहियां इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संचालित तथा समाप्त की जायंगी,

(२) जो मूल अधिनियम की धारा ८ के और उसके बाद की धाराओं के अधीन की गई हों, इस अधिनियम की धारा ५० के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संचालित तथा समाप्त की जायंगी, मानो यह अधिनियम प्रचलित ही न हुआ हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश जोत-चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५८

कुछ प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश जोत-चकबन्दी अधिनियम, १९५३, को संशोधित करने का

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४।

विधेयक

यह इष्टकर है कि एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३, को जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है, संशोधित किया जाय;

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४।

अतएव, भारतीय गणतन्त्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

संक्षिप्त शीर्षनाम।

१--यह अधिनियम "उत्तर प्रदेश जोत-चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९५८", कहलायेगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग मान जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरणसिंह--मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५८, जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, यहां जो बातें कही गयी हैं उनसे मुझे बड़ा लाभ हुआ और इसके लिये मैं अपने माननीय मित्रों को धन्यवाद देता हूं और जिन लोगों ने जो संशोधन पेश किये हैं उनके लिये भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५८, जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८

श्री अध्यक्ष--अब माननीय सचिव, विधान सभा सदन की मेज पर एक विधेयक रखेंगे।

सचिव विधान सभा--मैं सन् १९५८ के उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक को, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९८-१२३ पर)

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक अभी तक हम लोगों के सामने आया नहीं है।

श्री अध्यक्ष--पिजन होल्स में सब के लिये एक-एक रखवा दिया गया है और विधायक निवास में बंटवा देंगे।

परगना दन्कौर, तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर के ग्राम मकनपुर बेला आदि के सामने पंजाब सरकार द्वारा जमुना पर बांध बनवाने के सम्बन्ध में विवाद

श्री अध्यक्ष--परगना दन्कौर, तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर के ग्राम मकनपुर, बेला आदि के सामने पंजाब सरकार द्वारा जमुना नदी पर बांध के निर्माण से संबंधित श्री रामचन्द्र विकल के १५-९-५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४२ व ४३ पर माननीय सदस्य तथा श्री जयगोपाल द्वारा उठाये गये प्रश्न के विषय में नियम ४२ (१) के अन्तर्गत विवाद जारी होगा।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि जब १५ तारीख को यह प्रश्न ४२ और ४३ पूछे गये तो उनके उत्तर से मुझे संतोष नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह ५ बजे शुरू होने वाला था इसलिये आप सिंचाई मंत्री जी को सूचना दे दें।

वित्त मंत्री (श्री चरणसिंह)--जी हां, आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--तब तक आप बैठें।

श्री चरणसिंह--जी हां।

श्री रामचन्द्र विकल--श्रीमन्, जिस प्रकार से प्रांत की जनता पर प्रभाव पड़ने वाला है उसको जानते हुए यदि माननीय सिंचाई मंत्री जी ने इस बांध को, जो पंजाब सरकार द्वारा लगाया जा रहा है, रोकने का प्रयत्न किया तो निश्चित मुझे बड़ी खुशी होगी क्योंकि वहां हजारों मनुष्य और स्त्रियों के जीवन-मरण का प्रश्न हल हो सकेगा। प्रश्न ४२ का जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया उसमें वह स्वयं स्वीकार करते हैं कि पंजाब सरकार ८ मील लम्बा १६ फीट ऊंचा और १० फीट चौड़ा बांध बना रही है। लेकिन जो उत्तर दिया है वह इसके विरोध में मालूम पड़ता है। उसमें उन्होंने यह कहा है कि इस संबंध में एक पत्र मुख्य अभियन्ता, पटियाला, पंजाब को लिखा जा चुका है और उनसे प्रार्थना की गई है कि यदि उनका इस प्रकार का कोई प्रस्ताव हो तो वह इस कार्यालय को पहले से सूचित करें। इससे साबित होता है कि अभी तक सरकार को कोई निश्चित बात मालूम नहीं है कि पंजाब सरकार यह बांध बना रही है या नहीं और मैं यह भी कहता हूं कि मई के महीने में जब मैं वहां गया था तो वहां की जनता इस प्रश्न से बड़ी आशंकित थी और १३ गांवों के जो प्रभावित

होने के लिये कहा गया था, बांध लग जाने के बाद, इसके अलावा भी काफी ऐसा इलाका है जिस पर बाढ़ का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा बल्कि उन गांवों को वहां से उठाना पड़ेगा। इतने बड़े गांवों का उठना कोई आसान सवाल नहीं है।

श्रीमन्, मुझे इस प्रश्न से आशंका इसलिये भी बढ़ी कि अब से पूर्व अनेक प्रश्न सदन में उठाये गये लेकिन हमारी सरकार की जानकारी न होने के कारण या उदासीनता क कारण पंजाब सरकार देहरादून से लेकर बुलंदशहर तक अनेक बांध लगाती चली जा रही है। मुझे याद है कि शहादरा से लेकर ९ मील लम्बा बांध जिसमें गाजियाबाद तहसील तथा अन्य गांव आ जाते हैं, बनाया जा चुका ह। जब माननीय तेजा सिंह जी ने प्रश्न किया तो सरकार ने जवाब दिया कि कोई बांध नहीं बन रहा है। वह ९ मील लम्बा बांध दिल्ली सरकार ने बना दिया जिसका असर हमारे यहां के गांवों पर पड़ा।

इससे पहले भी सहारनपुर जिले के सामने लाल टोपी नाम का बांध सरकार की जानकारी से बनाया गया तो गलत बना और जानकारी न होने में बना तो भी गलत बना। माननीय सिंचाई मंत्री जी मानते हैं कि पंजाब का किनारा ऊंचा है और यू० पी० का किनारा नीचा है और बाढ़ का पानी बायें किनारे की तरफ आता है इससे भूमि कटती चली जाती है। ओखला के पास दिल्ली गवर्नमेंट ने बांध बनाया। इसके बारे में कई बार हमने प्रश्न किया लेकिन सरकार ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। यह जो ओखला के नीचे बांध बांधा जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट का उससे भी बुलन्दशहर के छलेरा, असगरपुर, शाहपुर, रायपुर, नगली बाजीतपुर, कितने ऐसे गांव हैं, जिनकी न केवल भूमि कट रही है बल्कि गांवों की आबादी भी कटती जा रही है। इतनी जन संख्या पर जो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव को रोकने में उत्तर प्रदेश की सरकार असमर्थ रही है, इसका मुझे हार्दिक दुख है। मुझे इस संबंध में यह भी कहना है कि अभी पश्चिमी जिलों के लिये बाढ़ योजना बनी। जब मैं उस इलाके में गया तो बाढ़ योजना शुरू ही हुई है, पहले नहीं थी। कुछ गांव जिनमें यह गांव भी हैं जिनका जबाब दिया गया है, उनके स्तर को ऊंचा करने का थोड़ा-सा प्रयत्न किया गया उससे जरूर संतोष हुआ। लेकिन जब कि हमने यह देखा कि पंजाब गवर्नमेंट इंजीनियरों के जरिये सर्वे करवा चुकी है और तमाम काम हो चुका है, मैं भी जानता हूं, वहां का रहने वाला हूं, जो कुछ थोड़ा-सा ऊंचा करने का काम किया गया, उसके बावजूद फिर गांवों को उठाना पड़ेगा। बाढ़ स्कीम को धनाभाव के कारण हमको रोकना पड़ा। गांवों के स्तर को ऊंचा करने, कुछ थोड़े से बांध बनाने और सड़कें बनाने की जो योजनाएं थीं वह योजनाएं बन्द कर दी गयीं, बल्कि बिलकुल समाप्त कर दी गयी हैं। दूसरी ओर पंजाब गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट जिनके यहां पानी भी नहीं जाता, वह बराबर ऐसी योजनाएं बनाती चली जा रही हैं। यू० पी० के तो तमाम इलाके बरबादइ होते चले जा रहे हैं। इसलिये यह प्रश्न उठाना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, वे गांव जिनका इसमें चर्चा है उनके संबंध में यह नहीं कहना है कि उन पर असर होगा। मैंने मौके को जाकर देखा जहां बांध बनने जा रहे हैं। वहां यमुना की तीन धाराएं हैं जिनमें से ८ मील लम्बे बांध से दो धारायें बिलकुल बन्द हो जायंगी। जो दो धारायें बन्द हो जायंगी तो उनका रुख यू० पी० की तरफ चलेगा। तो तहसील सिकन्दराबाद ही का सवाल नहीं है, अलीगढ़ और खुरजा तक उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर सिंचाई मंत्री जी मौके पर जायं तो उनको दो धारायें बन्द होने से और गांवों पर भी असर पड़ेगा, यह मालूम हो जायगा। उक्त कारणों से मैंने माननीय मंत्री जी को कष्ट दिया और यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको मौके पर जा कर देखें। मुझे यह भी दुःख है कि जहां मैं बराबर सरकार से पत्र-व्यवहार कर रहा हूं और पंजाब गवर्नमेंट को भी मैंने लिखा है, मई से लेकर अब तक, जो जवाब दिया गया यह बिलकुल ऐसा मालूम होता है जिससे यह भी नहीं मालूम पड़ता कि हमारी सरकार ने पंजाब सरकार को बांध बनाने से रोकने के लिए कुछ किया और यमुना समिति में भी यह प्रश्न रखा गया या नहीं रखा गया, यह भी नहीं मालूम होता।

श्री अध्यक्ष—जरा संक्षेप में कहिए। १० मिनट हो गये हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—केन्द्रीय सरकार की तरफ से यमुना समिति नियुक्त है जिसमें हमारे चीफ इंजीनियर, सिंचाई विभाग, नुमाइंदगी करते हैं। उस में प्रश्न आया या नहीं यह भी स्पष्ट नहीं है। मैं चाहूंगा कि यमुना समिति में यह प्रश्न आया या नहीं, इसको मंत्री जी स्पष्ट करने की कृपा करें। और अगर आया तो फिर भी पंजाब गवर्नमेंट क्यों बनवा रही है, और केन्द्रीय सरकार और पंजाब गवर्नमेंट से अब तक आपने क्या लिखा-पढ़ी की है, वह भी मैं जानना चाहता हूं।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)—अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि यदि कोई पड़ोसी प्रदेश हमारी सरहद से मिले किसी काम को करने का इरादा करे तो चाहे वह उसकी शुरुआत करे या नहीं उसकी बड़ी चर्चा हो जाती है और हमारे यहां के लोग बेइन्तिहा परेशान और भड़क जाते हैं। मेरा खयाल यह है कि हमारे माननीय सदस्य जो बुलन्दशहर के हैं उन की भी दिमागी कैफियत कुछ वैसी ही है। उनके दिमाग पर यह असर हो गया है कि पंजाब सरकार ताजेवाले से लेकर जहां तक उसकी हद है सब जगह अपने बांध बनाकर मानेगी और बीच में रुकेगी नहीं। मैंने कई मर्तबे इस सदन में इस बात का जिक्र किया कि सरकारों के बीच में अगर कोई बात ऐसी पैदा होती है तो उसके निपटारे के लिये केन्द्रीय सरकार में मामले पेश किये जाते हैं। सेन्ट्रल वाटर ऐंड पावर कमीशन केन्द्रीय सरकार की एक शाखा है। उसने एक यमुना सब कमेटी बना रखी है। उस कमेटी ने यह तय किया है कि ताजे-वाले से और यमुना का पुल जो दिल्ली में है वहां तक कोई नया बांध न बनाया जाय, जो पुराने बने हुए हैं वे रहें। यह फैसला इस वजह से लिया गया ताकि जब बांध बनाये जाते हैं तो दरिया का पानी जो फैला करता है वह रुकता है और उसकी वजह से पानी कैनलाइज हो कर चला करता है और उससे पुल के बचाव के लिये खतरा पैदा होता है। दिल्ली में जो पुल बना हुआ है और जो आबादी वहां बसी हुई है उन सब के लिये खतरा पैदा हो जाता है। इसलिये यमुना सब कमेटी ने यह फैसला लिया है।

जिस बांध का जिक्र माननीय विकल जी ने किया है यमुना के ऊपर जो दिल्ली में पुल बना हुआ है उससे नीचे का है। लेकिन उसके बावजूद मैंने इस सवाल के बाद अपने चीफ इंजीनियर को यह हिदायत की कि मालूमात करें कि ऐसा कोई बांध ओखले से नीचे बंध तो नहीं रहा है। उनकी मालूमात यही है कि कोई बांध वहां नहीं बन रहा है और इसके बावजूद भी उन्होंने एक खत चीफ इंजीनियर पंजाब के लिये लिख दिया है कि यहां इस तरह का कोई बांध न बांधा जाय क्योंकि हमारे प्रदेश को क्षति पहुंचेगी। साथ ही साथ सेन्ट्रल वाटर ऐंड पावर कमीशन के लिये भी एक नोट भेज दिया गया है कि अगर इस तरह का कोई बांध बांधा जायगा तो उस से यू० पी० के लिये नुकसान है।

हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है कि हम किसी दूसरी सरकार को अपनी किसी शक्ति के जरिये से रोक सकें। हम तो सिवाय इसके कि कोई ऐसा मामला आये तो प्रोटेस्ट करें या जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है उसका इस्तेमाल करें।

लाल टोपी बांध के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। वह ताजेवाले से नीचे बना हुआ है। उसमें यू० पी० सरकार की सम्मति थी क्योंकि उसके न बनने से ताजेवाले हेडवर्क्स के लिये काफी नुकसान पहुंचने वाला था और जो वेस्टर्न कैनाल निकली है उसके लिये भी खतरा था। यह जिस जमाने में हमारे चीफ इंजीनियर विदेश में चले गये थे किसी कान्फ्रेंस के सिलसिले में तो उस लालटोपी बांध का कुछ हिस्सा टूट गया था। कायदे से उस बांध का रिपेयर नहीं होना चाहिये था लेकिन चूंकि हमारे यहां के चीफ इंजीनियर जो उससे ताल्लुक रखते हैं उनकी अदम मौजूदगी में यह वाकया हुआ इसलिये उनको उसकी इत्तिला नहीं आयी और उन्होंने कुछ टूट हुये हिस्से में रिपेयर करवा ली। हमने उसके लिये प्रोटेस्ट किया और सेन्ट्रल वाटर ऐंड पावर कमीशन से कहा कि जो रिपेयर की गयी है वह गलत है और जिस तरह से अगाड़ी बांध बनाने

के लिये इरादा किया जा रहा है वह ठीक नहीं है । उसको उन्होंने रोक दिया और लाल टोपी बांध की योजना बन्द कर दी गयी ।

मैं माननीय सदस्यों के संतोष के लिये यह भी बताना चाहता हूं कि कुदरत की तरफ से भी हमारी मदद हुई । लाल टोपी बांध के बना देने से जो दरिया का रुख एक तरफ हो गया था वह बंट गया और अब दरिया की धारा २ धाराओं में चली जा रही है, जिससे यमुना से यू० पी० के लिये उतना खतरा नहीं है । इसके बावजूद भी हम कोशिश में हैं कि जो रिपेयर्स हुई हैं उसको तोड़ा जाय ताकि दरिया का रुख हमारी तरफ को न बढ़े । मैंने यह भी अर्ज किया कि हमारे पास धन की कमी है । १०,०० ०,००,००० रुपया बाढ़ विभाग के लिए इस स्टेट को मिलना था लेकिन जब प्लानिंग कमीशन के पास धन की कमी हुई तो वहां से हमारी सरकार के लिये यह हिदायत आई कि १०,००,००,००० के बजाय ९,००,००,००० रुपया ही दिया जायगा । ९,००,००,००० की हिदायत के बाद फिर दूसरी हिदायत आई जिसमें हमारे लिये ८,००,००,००० रुपया ही देने के लिये कहा गया । हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हम इस तरह की कमियों को पूरा कर दें लेकिन जब धन की कमी है तब मुश्किल होती है कि इस तरह के काम किये जायं और तब यह मजबूर होकर करना पड़ता है । हमें खुशी नहीं है कि पंजाब सरकार अपना काम करती रहे और हम बेजबान आदमी की तरह से बैठे रहें । लेकिन जब हमारे पास पैसा नहीं है तो बावजूद प्रोटेस्ट करने के और उनसे दरख्वास्त करने के और कोई रास्ता नहीं है । हमारा खयाल यह है कि हमारे परसुएशन के बाद और जो चिट्ठी सेन्ट्रल वाटर एन्ड पावर कमीशन को हमने लिखी है और पंजाब सरकार को भेजी है उसके बाद ऐसी बातों का सवाल नहीं होगा जिससे हमारे प्रदेश को और खासतौर से बुलन्दशहर जिले को कोई खतरा हो । इसके बाद मैं यह और आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं आज दिल्ली जा रहा हूं और कल उस कान्फ्रेन्स में सेन्ट्रल वाटर एन्ड पावर कमीशन के चेयरमैन भी होंगे, उनसे दोबारा गुजारिश करूंगा कि इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिये जिससे हमारी तकलीफ बढ़ जाय । जो केन्द्रीय सिंचाई मंत्री हाफिज जी हैं उनसे भी मैं इस बात का जिक्र करूंगा ।

डाक्टर जयगोपाल (जिला सहारनपुर) ---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अर्ज करना है कि माननीय मंत्री जी ने जिस लाल टोपी बांध का जिक्र किया है उससे ४ फर्लांग पीछे सन् १९३१ में पंजाब गवर्नमेंट ने एक बांध बांधा था । वाकया यह है कि सन् १९३० तक जमुना का रुख पंजाब की तरफ था और यू० पी० स्टेट की जमीन छुटती जा रही थी । सन् १९३१ में वह बांध इसलिये बाँधा गया था कि जमुना का रुख पंजाब की तरफ ज्यादा न बढ़े । इसके वास्ते लाल टोपी बांध बांधा गया । इससे ४ फर्लांग के करीब उन्होंने जमीन बचा ली है और उसमें उन्होंने अपना जंगल उगाया है । इधर की तरफ ४ फर्लांग जमीन जंगल की कट गई है । बरया, कोसी, पिपली गांव जैसा कि बतलाया गया है वह पीछे हट गये हैं । पीछे हटने के बाद भी उनको फिर खतरा है । इसलिये इस बात की जरूरत है कि इस तरफ तवज्जह की जाय । पिछले साल जो बांध टूट गया था अगर वह बांध टूटा न होता तो हमारे ये गांव जिनका मैंने जिक्र किया है बह गये होते । इस मर्तबा भी ये गांव बहने से इसीलिये बचे हैं कि जो हमारे यहां लखनौती कच्चा बांध यू० पी० सरकार ने तजबीज किया है उसके सामने पंजाब सरकार जो बांध बांध रही है जमुना की धारा उस तरफ बह गई और पानी उधर निकल गया । इधर से वह पानी नहीं निकला । अगर इधर से निकला होता तो हमारे इलाके को बहुत नुकसान होता । इसके अलावा यू० पी० सरकार की २४,००,००० रुपया ठोकरों के लिये और ३७,००,००० रुपया ३० मील लम्बे किनारे का बांध बांधने की तजबीज थी । मुझे नहीं मालूम कि किस वजह से वह रुकी । जहां तक गैर-सरकारी तौर पर मुझे इत्तला है वह यह है कि उसमें दिल्ली की सरकार ने यह आपत्ति की है कि अगर यह बांध बांधा जायगा तो इससे हमारा रेलवे पुल बह जायगा । अब हमारे लिये दिक्कत की बात यह है कि आज से कुछ वर्ष पहले यू० पी० क

[डाक्टर जयगोपाल]

इलाका जो निकलता नहीं जा रहा था और कट नहीं रहा था अब वह बांध बनने के बाद कट रहा है। हम लोगों की तसल्ली नहीं कर पाते कि इसके अन्दर हमारी यू० पी० की सरकार पूरी कोशिश कर रही है या कुछ ऐसी दिक्कत पेश आ गई जिसकी वजह से उस बांध के लिये इजाजत देना जरूरी था या यू० पी० की सरकार ने वहां पर सर्वे कराने का तय किया है जिससे वह ३० मील लम्बा बांध बांधा जाय और उन ८ गांवों की बचत हो सके। हमारा खयाल यह है कि यह सरकार अपने फर्ज को पूरा नहीं कर रही है। यह सरकार अगर भारत सरकार या पंजाब सरकार पर दबाव डालती तो यह आपत्ति जो किसी कुदरती तरीके पर नहीं आई बल्कि आदमी ने पैदा कर दी है, वह दूर हो सकती थी। हमारी सरकार को इस मुसीबत को दूर करना चाहिये जिसको वह दूर नहीं कर रही है और सर्वे वगैरह में उनको एक उम्मीद हुई थी लेकिन दिल्ली सरकार के कहने पर उस स्कीम को छोड़ देने से उनको बहुत नाउम्मीदी हुई है।

दूसरी बात यह है कि लखनौती का बांध बनाना उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया था। उसको फर्स्ट प्रायरिटी भी मिली थी। उसके लिये बाकायदा एलान किया गया था। उसको रेसीप्रोकेट करते हुए पंजाब सरकार ने अपना बांध बांध भी लिया। तो उसमें कुल ६, ७ लाख का काम था और उसकी वजह से ३०, ३५ गांव वहां सफर करते हैं। वह ऐसा खयाल करते हैं कि यू० पी० सरकार फैसला कर लेती है लेकिन रुपया नहीं देती और पंजाब सरकार उसमें काम करा जाती है और यह पीछे रह जाते हैं। आज हमारी मुसीबत इसीलिये है कि यू० पी सरकार अपने फर्ज को पूरा करने में कासिर रही। इन वजहों की ओर तवज्जह दिलाता हुआ मैं माननीय मंत्री जी से अर्ज करता हूं कि यह कमियां हैं जिनको दूर किया जाना चाहिये।

*चौधरी दाताराम (जिला सहारनपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो पंजाब सरकार ने बांध बांध लिया है उसके लिये माननीय मंत्री जी ने बताया है कि हमने आगे के लिये मना कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि जो पिछले साल बारिश में बांध टूट गया था, आपने बतलाया कि हमारे चीफ इंजीनियर साहब विदेश गये थे इसलिये उनको ठीक समय पर इत्तला नहीं मिल सकी। इसकी बाबत मैं यह बतलाना चाहता हूं कि मैंने खुद माननीय मुख्य मंत्री जी तथा सिंचाई मंत्री जी को लिखा था चिठ्ठी द्वारा कि पंजाब सरकार यहां बांध बांध रही है और इससे सैंकड़ों गांव सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जिले के नुकसान उठायेंगे। लेकिन किसी कारणवश उस पर फौरी कार्यवाही नहीं की जा सकी और न वह काम रोका गया और मेरे खयाल में अब यह नामुमकिन बात है कि जो बांध पंजाब सरकार ने बांध लिया है वह किसी तरह से तुड़वाया जा सकता है।

दूसरी बात यह है कि तीन बांध यू० पी० सरकार की रजामन्दी से बने हैं और उसके बदले में उन्होंने यह तय किया है कि आप भी तीन बांध यू० पी० में बांध लें। लखनौती का जो बांध है उसके लिये माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम उसे फौरन बांधने वाले हैं। उसका खर्चा साढ़े ७ लाख रुपये होता है। तो मेरा निवेदन यह है कि किसी भी तरह से यह रुपया निकाल कर उसे आप पूरा कर दें ताकि सैकड़ों गांव सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जिले के बच जायं।

श्री अध्यक्ष---श्री तेजासिंह जी, आपको केवल दो मिनट मिलेंगे।

*श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)---अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल इतना निवेदन करना है कि विकल जी ने जिन गांवों का शहादरा बांध में आने का जिक्र किया है वह मेरे हल्के में हैं और मैंने उस बांध के मुताल्लिक खुद सवाल उठाया था और मुझे यह जवाब मिला कि वह बांध बंध रहा है। अब उसके अन्दर हमारे प्रदेश के ९ गांव आते हैं जिनकी आबादी ५, ६ हजार है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसके पड़ोस के जो दिल्ली के गांव हैं उनके लिये जमीन एलाट कर दी गयी है ताकि वे ऊंचे पर बसाये जा सकें। हमारे गांवों के लिये कोई योजना नहीं है और न उनको अब तक ऊंचा किया गया है और न कहीं बसाने का इन्तजाम किया गया है। तो इससे लोगों पर यह असर पड़ता है; कि दिल्ली वालों की अपेक्षा हमारी सरकार रियाया पर रुपया खर्च करने में संकोच करती है जब कि पहाड़ आदि की कई स्कीमें चल रही हैं तो इस इलाके के ९, १० गांवों के लिये कुछ न कुछ इन्तजाम किया जाना चाहिये।

श्री रामचन्द्र विकल—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है कि वह कल मीटिंग में जा रहे हैं और वहां केन्द्रीय सिंचाई मंत्री हाफिज साहब से और जमुना समिति के जो चेयरमैन हैं उनसे बातें करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी यह समस्या उनके दिल्ली जाने से सुलझ जायगी। मुझे अब केवल यह कहना है कि अब यह जो बांध बनाये जा रहे हैं, उनके सम्बन्ध में जो सूचना इस प्रश्न के द्वारा दी गयी है, उसके प्रकाश में वे उनको रुकवा सकेंगे और हमारे उन गांवों को जो तहसील सिकन्दराबाद के डूबने जा रहे हैं, उनको बचा सकेंगे।

श्री अध्यक्ष—क्या मंत्री जी को इस सम्बन्ध में कुछ कहना है?

श्री राममूर्ति—मुझे और कुछ कहना नहीं है।

श्री अध्यक्ष—अब यह विवाद समाप्त होता है। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२४ सितम्बर, १९५८।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६ पर)

१ अप्रैल, १९५८ से ३१ जुलाई, १९५८ तक बदायूं तहसील जिला बदायूं में हुए अग्निकांड का विवरण

(प्रश्न संख्या ९ से सम्बन्धित)

ग्रामों के नाम जिनमें अग्नि-कांड हुए	नुकसान (सम्पत्ति) (रुपये में)	जले मकानों की संख्या	जीव हानि		सहायता जो दी गई		
			मनुष्य	पशु	अहेतुक सहायता (रुपये में)	नेचुरल कैलामिटी रिलीफ फंड (रुपये में)	तकावी (रुपये में)
१	२	३	४ (अ)	४ (ब)	५	६	७
बदरपुर ..	१,३००	६	..	१बैल	..	..	..
गिधौल ..	४,२४२	११	..	..	..	..	..
नगला गम्बाई	३७८	३	..	..	..	..	..
मिन्दुलिया पालसी	७०४	३०	..	..	..	..	३००
मुहम्मदगंज ..	५,९१०	२०	..	..	२०	..	७००
गखेली ..	६०७-४-०	९	१	..	..	..	..
शेखपुर ..	६,८५६	२०	..	५ बकरे	..	..	..
खनक ..	१,१४५	१४	..	..	..	..	..
हुसैनपुर ..	५,१४५	१७	..	..	..	..	..
लौहा व इडी	२,११२	५	..	..	..	..	..
उसरासी ..	३,१८८	८	..	२ बकरे	..	..	..
इजरतगंज ..	११,८४५	३३	..	..	९०	८०	६१५
बइस डम्बरनगर	१,६९,७००	९४	२	३४ (२३ बकरे, ३ गाय, १ भैंस, व १ बैल, ६ मुर्गी)	११६	८७	२,१३१
खेड़ा बुजुर्ग ..	३१०	१	..	..	..	..	..
नरेली मडेरा	९२५	५	..	..	..	..	..
लोऊ ढेर ..	१,२९०	२	..	..	..	५	..
नुरपुर ..	३,३७५	६	..	..	..	..	..
तेरा ..	२८०	९	..	..	..	..	..
सिवायां आनंदपुर	६,००९	११	..	..	..	१०	३५०
गमवाई ..	४,३८४	८	..	..	..	८	४८५
भुगाईदपुर ..	५४०	६	..	..	..	..	..
मतसा ..	१४८	२	..	..	..	..	..
योग ..	२,३०,३९३-४-०	३२०	३	४२	२२६	१९०	४,५८१